Vol. 253 No. 7



Monday, <u>8th February, 2021</u> 19 Magha, 1942 (Saka)

PARLIAMENTARY DEBATES

## **RAJYA SABHA**

## OFFICIAL REPORT (FLOOR VERSION) (PART-II)

## CONTENTS

Oath or Affirmation (page 1)

Papers Laid on the Table (pages 1 - 9)

Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Information Technology - *Laid on the Table* (pages 9 - 10)

Matters raised with Permission -

Need for reduction of GST on Kendu leaves for the State of Odisha (page 12 - 13) Non-Banking Financial Companies (NBFC) (pages 13 - 14) Glitches in CoWIN portal for Covid vaccination (pages 14 - 15) Urban crisis due to reckless constructions (pages 15 - 16) Need to address the problems of sugarcane farmers in Tamil Nadu (pages 16 - 18)

[P.T.O

© RAJYA SABHA SECRETARIAT NEW DELHI

PRICE: ₹100.00

Need for creation of a separate All India Service Cadre for Arunachal Pradesh (page 18)

Regarding objectionable references made about members of certain political parties (pages 18 - 20)

Special Mentions - Laid on the Table

Demand to repair the National Highways that have been damaged due to overloaded vehicles in Uttar Pradesh and Madhya Pradesh (page 20)

Demand for inclusion of children afflicted by Type - I diabetes in persons with disabilities list (page 21)

Demand for consultation with trade unions before notifying rules/regulations in Labour codes (pages 21 - 22)

Demand to open more Medical Colleges/Nursing Training Institutes and another AIIMS in Bihar (page 22)

Demand to review parameters for Renewable Energy Purchase Obligation (REPO) for States like Odisha (pages 22 - 23)

Demand to review norms for paddy procurement and delivery of rice in Odisha (pages 23 - 24)

Observation by the Chair (pages 24 - 25)

Oral Answers to Questions (pages 25 - 91)

[Answers to Starred and Unstarred Questions (Both in English and Hindi) are available as Part-I to this Debate, published electronically on the Rajya Sabha website under the link <u>https://rajyasabha.nic.in/Debates/OfficialDebatesDateWise</u>]

Motion of Thanks on the President's Address - Adopted (pages 92 - 112)

Statement regarding Ordinance (page 112)

Website : <u>http://rajyasabha.nic.in</u> <u>http://parliamentofindia.nic.in</u> E-mail : <u>rsedit-e@\_sansad.nic.in</u> Government Bills and Statutory Resolution -

The National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second (Amendment) Bill, 2021 - *Introduced* (pages 112 - 113)

Disapproval of the Jammu and Kashmir Reorganization (Amendment) Ordinance, 2021 - *Negatived* (pages 113 - 147)

The Jammu and Kashmir Reorganization (Amendment) Bill, 2021 - Passed (pages 113 - 147)

## **RAJYA SABHA**

Monday, the 8<sup>th</sup> February, 2021/19 Magha, 1942 (Saka)

The House met at nine of the clock, MR. CHAIRMAN in the Chair.

### OATH OR AFFIRMATION

Shri Subrata Bakshi (West Bengal)

MR. CHAIRMAN: Shri Subrata was there earlier in Lok Sabha and in the State also. Now, Papers to be Laid on the Table.

## PAPERS LAID ON THE TABLE

- I. Notification of Ministry of Coal
- II. Reports and Accounts  $\left(2019\text{-}20\right)$  of various companies and related papers
- III. MOUs between Government of India and HCL and NALCO

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. MURALEEDHARAN): Sir, on behalf of Shri Pralhad Joshi, I lay on the Table, a copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

 A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Coal Notification No. G.S.R. 332 (E) dated the 29<sup>th</sup> May, 2020, publishing the Coal Mines (Special Provisions) Amendment Rules, 2020, under sub section (3) of the Section 31 of the Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015.

[Placed in Library. See No. LT 3715/17/2021]

II. A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section
(1) (b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:—

 (i) (a) Annual Report and Accounts of the Coal India Limited (CIL), Kolkata, [Volume-I and Volume-II (Part 1, 2 and 3)], along with its subsidiary companies, for the year 2019-20, together with the Auditor's Report on the Accounts and the

### [RAJYA SABHA]

comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

- (b) Review by Government on the working of the above Company. [Placed in Library. See No. LT 3140/17/2021]
- (ii) (a) Sixty-fourth Annual Report and Accounts of the NLC India Limited (NLCIL), Chennai, for the year 2019-20, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
  - (b) Eighth Annual Report and Accounts of the Neyveli Uttar Pradesh Power Ltd., Lucknow, a subsidiary company of the NLC India Limited, for the year 2019-20, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
  - (c) Fourteenth Annual Report and Accounts of the NLC Tamil Nadu Power Limited (NTPL), Chennai, a subsidiary company of the NLC India Limited, for the year 2019-20, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
  - (d) Review by Government on the working of the above Company and its subsidiaries.

[Placed in Library. See No. LT 3141/17/2021]

- (iii) (a) Thirty-ninth Annual Report and Accounts of the National Aluminium Company Limited (NALCO), Bhubaneswar, for the year 2019-20, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
  - (b) Review by Government on the working of the above Company. [Placed in Library. See No. LT 3143/17/2021]
- (iv) (a) Annual Report and Accounts of the Hindustan Copper Limited (HCL), Kolkata, for the year 2019-20, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
  - (b) Review by Government on the working of the above Company. [Placed in Library. See No. LT 2942/17/2021]

- III. A copy (in English and Hindi) of the following papers:-
  - (i) Memorandum of Understanding between the Government of India (Ministry of Mines) and the Hindustan Copper Limited (HCL), for the year 2020-21.

[Placed in Library. See No. LT 2941/17/2021]

 (ii) Memorandum of Understanding between the Government of India (Ministry of Mines) and the National Aluminium Company Limited (NALCO), for the year 2020-21.

[Placed in Library. See No. LT 3148/17/2021]

## MoUs between Government of India and BDL, GRSE and Mishra Dhatu Nigam Limited

SHRI V. MURALEEDHARAN: Sir, on behalf of Shri Shripad Yesso Naik, I lay on the Table, a copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

 (i) Memorandum of Understanding between the Government of India (Ministry of Defence, Department of Defence Production) and the Bharat Dynamics Limited (BDL), for the year 2020-21.

[Placed in Library. See No. LT 2943/17/2021]

 (ii) Memorandum of Understanding between the Government of India (Ministry of Defence, Department of Defence Production) and the Garden Reach and Shipbuilders and Engineers Limited (GRSE), for the year 2020-21.

[Placed in Library. See No. LT 3153/17/2021]

 (iii) Memorandum of Understanding between the Government of India (Ministry of Defence, Department of Defence Production) and the Mishra Dhatu Nigam Limited, for the year 2020-21.

[Placed in Library. See No. LT 3152/17/2021]

## Report and Accounts $\left(2019\text{-}20\right)$ of Haj Committee of India, Mumbai and related papers

SHRI V. MURALEEDHARAN: Sir, on behalf of Shri Kiren Rijiju, I lay on the Table, under sub-section (4) of Section 34 of the Haj Committee Act, 2002, a copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

(a) Administrative Report of the Haj Committee of India, Mumbai, for the year

2019-20.

- (b) Annual Accounts of the Haj Committee of India, Mumbai, for the year 2019-20, and the Audit Report thereon,.
- (c) Statement by Government accepting the above Report.
- (d) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at(b) above.

[Placed in Library. See No. LT 2963/17/2021]

- I. Notification of Ministry of Ports, Shipping and Waterways
- II. Reports and Accounts (2018-19 and 2019-20) of HCSL and SCL and related papers
- III. Reports and Accounts of various Port Trusts for various years and related papers
- IV. Accounts (2019-20) of TAMP, Mumbai and related papers
- V. MOUs (2020-21) between Government of India and CSL and Shipping Corporation of India Ltd.

SHRI V. MURALEEDHARAN: Sir, on behalf of Shri Mansukh Mandaviya, I lay on the Table:-

I. A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways Notification No. IWAI/Cargo/184/2009/Vol-II., dated the 29<sup>th</sup> July, 2020, publishing the Inland Waterways Authority of India (Levy and Collection of Fees and Charges) (Amendment) Regulations, 2020, under Section 36 of the Inland Waterways Authority of India Act, 1985.

[Placed in Library. See No. LT 3274/17/2021]

II. A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1)(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:—

- (i) (a) Third Annual Report and Accounts of the Hooghly Cochin Shipyard Limited (HCSL), Kolkata, for the year 2019-20, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
  - (b) Review by Government on the working of the above Company. [Placed in Library. See No. LT 3253/17/2021]

(ii) (a) Fourteenth Annual Report and Accounts of the

Sethusamudram Corporation Limited (SCL), Chennai, for the year 2018-19, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the above Corporation.

[Placed in Library. See No. LT 3716/17/2021]

- (iii) (a) Fifteenth Annual Report and Accounts of the Sethusamudram Corporation Limited (SCL), Chennai, for the year 2019-20, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
  - (b) Review by Government on the working of the above Corporation.

[Placed in Library. See No. LT 3254/17/2021]

(2) Statement (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) (ii) (a) above.

III. A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section
(2) of Section 103 and Section 106 of the Major Port Trusts Act, 1963:—

- (i) (a) Administration Report and Accounts of the Visakhapatnam Port Trust (VPT), Visakhapatnam, for the year 2019-20, and the Audit Report thereon.
  - (b) Review by Government on the working of the above Port Trust.
  - (c) Review by Government of the Annual Accounts of the above Port Trust.

[Placed in Library. See No. LT 3270/17/2021]

- (ii) (a) Administration Report and Accounts of the Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT), Navi Mumbai, for the year 2019-20, and the Audit Report thereon.
  - (b) Review by Government on the working of the above Port Trust. [Placed in Library. See No. LT 3271/17/2021]
  - (c) Review by Government of the Annual Accounts of the above Port Trust.

[Placed in Library. See No. LT3272/17/2021]

(iii) (a) Administration Report of the Deendayal Port Trust (*formerly Kandla Port Trust*), Kutch, Gujarat, for the year 2019-20.

### [RAJYA SABHA]

[Placed in Library. See No. LT 3366/17/2021]

- (b) Annual Accounts of the Deendayal Port Trust (*formerly Kandla Port Trust*), Kutch, Gujarat, for the year 2019-20, and the Audit Report thereon.
- (c) Review by Government on the working of the above Port Trust.
- (d) Review by Government of the Annual Accounts of the above Port Trust.

[Placed in Library. See No. LT 3367/17/2021]

(iv) (a) Administration Report of the New Mangalore Port Trust, Mangalore, Karnataka, for the year 2019-20.

[Placed in Library. See No. LT 3268/17/2021]

- (b) Annual Accounts of the New Mangalore Port Trust, Mangalore, Karnataka, for the year 2019-20, and the Audit Report thereon. [Placed in Library. See No. LT 3269/17/2021]
- (c) Review by Government on the working of the above Port Trust.
- (d) Review by Government of the Annual Accounts of the above Port Trust.
- (v) (a) Administration Report and Accounts of the Mumbai Port Trust-Pension Fund Trust, Mumbai, Maharashtra, for the year 2019-20, together with the Auditor's Report on the Accounts.
  - (b) Review by Government of the Annual Accounts of the above Trust.
- (vi) (a) One Hundred Forty First Administration Report of the Mumbai Port Trust, Mumbai, for the year 2019-20.
  - (b) Annual Accounts of the Mumbai Port Trust, Mumbai, Maharashtra, for the year 2019-20, and the Audit Report thereon.
  - (c) Review by Government of the working of the above Port Trust.
  - (d) Review by Government of the Annual Accounts of the above Port Trust.

[Placed in Library. See No. LT 2975/17/2021]

- (vii) (a) Annual Administration Report and Accounts of the Chennai Port Trust, Chennai, for the year 2019-20, together with the Auditor's Report on the Accounts.
  - (b) Review by Government of the Annual Accounts of the above Port Trust.

[Placed in Library. See No. LT 3273/17/2021]

(viii) (a) Administrative Report of the Syama Prasad Mookerjee Port, Kolkata, for the year 2019-20.

[Placed in Library. See No. LT 3258/17/2021]

- (b) Annual Accounts of the Syama Prasad Mookerjee Port, Kolkata, for the year 2019-20, and the Audit Report thereon. [Placed in Library. See No. LT 3259/17/2021]
- (c) Review by Government on the working of the above Port Trust.
- (ix) (a) Annual Administration Report of the Mormugao Port Trust (MPT), Goa, for the year 2019-20.

[Placed in Library. See No. LT 3262/17/2021]

- (b) Annual Accounts of the Mormugao Port Trust (MPT), Goa, for the year 2019-20, and the Audit Report thereon.
- (c) Review by Government on the working of the above Port Trust.
- (d) Review by Government of the Annual Accounts of the above Port Trust.

[Placed in Library. See No. LT 3263/17/2021]

(x) (a) Administration Report of the Cochin Port Trust (CoPT), Cochin, Kerala, for the year 2019-20.

[Placed in Library. See No. LT 3260/17/2021]

- (b) Annual Accounts of the Cochin Port Trust, Cochin, Kerala, for the year 2019-20, and the Audit Report thereon.
- (c) Review by Government on the working of the above Port Trust.
- (d) Review by Government of the Annual Accounts of the above Port Trust.

[Placed in Library. See No. LT 3261/17/2021]

- (xi) (a) Forty-first Administration Report and Accounts of the V. O.
   Chidambaranar Port Trust, Tuticorin Tamil Nadu for the year 2019-20, together with the Auditor's Report on the Accounts.
  - (b) Review by Government on the working of the above Port Trust. [Placed in Library. See No. LT 3265/17/2021]
- IV. A copy each (in English and Hindi) of the following papers:-
  - (i) Annual Accounts of the Tariff Authority for Major Ports (TAMP), Mumbai, Maharashtra, for the year 2019-20, and the Audit Report thereon, under sub-section (2) of Section 103 of the Major Port Trusts Act, 1963.

[Placed in Library. See No. LT 3264/17/2021]

V. (i) Memorandum of Understanding between the Government of India (Ministry of Ports, Shipping and Waterways) and the Cochin Shipyard Limited (CSL), for the year 2020-21.

 (ii) Memorandum of Understanding between the Government of India (Ministry of Ports, Shipping and Waterways) and the Shipping Corporation of India Ltd., for the year 2020-21.

[Placed in Library. See No. LT 3257/17/2021]

### Report and Accounts (2018-19) of IIFM and related papers

SHRI V. MURALEEDHARAN: Sir, on behalf of Shri Babul Supriyo, I lay on the Table, a copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

- (a) Annual Report and Accounts of the Indian Institute of Forest Management (IIFM), Bhopal, for the year 2018-19 together with the Auditor's Report on the Accounts.
- (b) Review by Government on the working of the above Institute.
- (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. LT 2994/17/2021]

### Reports and Accounts of various agencies for various years and related papers

SHRI V. MURALEEDHARAN: Sir, on behalf of Shri Rattan Lal Kataria, I lay on the Table, a copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

- (i) (a) Annual Report and Accounts of the National Centre for Drinking Water, Sanitation and Quality (formerly known as International Centre for Drinking Water Quality), New Delhi, for the year 2018-19, and the Audit Report thereon.
  - (b) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.
- (ii) (a) Annual Report and Accounts of the National Centre for Drinking Water, Sanitation and Quality (formerly known as International Centre for Drinking Water Quality), New Delhi, for the year 2019-20, and the Audit Report thereon.
  - (b) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. LT3320/17/2021]

- (iii) (a) Annual Report and Accounts of the National Water Development Agency, New Delhi, for the year 2018-19, together with the Auditor's Report on the Accounts.
  - (b) Statement by Government accepting the above Report.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. LT 3321/17/2021]

- (iv) (a) Annual Report of the National Mission for Clean Ganga (NMCG), New Delhi, for the year 2018-19.
  - (b) Review by Government on the working of the above Mission.
  - (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. LT 3323/17/2021]

- (v) (a) Annual Report of the Polavaram Project Authority, Hyderabad, for the year 2018-19.
  - (b) Review by Government on the working of the above Authority.
  - (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. LT 3322/17/2021]

## REPORTS OF THE DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON INFORMATION TECHNOLOGY

SHRI SYED ZAFAR ISLAM (Uttar Pradesh): Sir, I lay on the Table, a copy each (in English and Hindi) of the following Reports of the Committee on Information Technology (2020-21):—

- (i) Thirteenth Report on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in their First Report (Seventeenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2019-20)' of the Ministry of Communications (Department of Telecommunications);
- (ii) Fourteenth Report on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in their Second Report (Seventeenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2019-20)' of the Ministry of Information and Broadcasting;
- (iii) Fifteenth Report on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in their Third Report (Seventeenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2019-20)' of the Ministry of Communications (Department of Posts);

- (iv) Sixteenth Report on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in their Fourth Report (Seventeenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2019-20)' of the Ministry of Electronics and Information Technology;
- (v) Seventeenth Report on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in their Eighth Report (Seventeenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2020-21)' of the Ministry of Information and Broadcasting;
- (vi) Eighteenth Report on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in their Fifth Report (Seventeenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2020-21)' of the Ministry of Electronics and Information Technology;
- (vii) Nineteenth Report on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in their Sixth Report (Seventeenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2020-21)' of the Ministry of Communications (Department of Telecommunications);
- (viii) Twentieth Report on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in their Seventh Report (Seventeenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2020-21)' of the Ministry of Communications (Department of Posts); and
- (ix) Twenty-first Report on the subject 'India's Preparedness for 5G' of the Ministry of Communications (Department of Telecommunications).

### MATTERS RAISED WITH PERMISSION

MR. CHAIRMAN: Now, Zero Hour mentions, Shri Subhash Chandra Singh.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, I have a point of order.

MR. CHAIRMAN: What is the point of order and under what Rule?

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, Rule 238(5) and Rule 238(3), I am invoking both the rules, and I would like to draw your kind attention.

MR. CHAIRMAN: Please tell me what the subject is?

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: On the last occasion, one of the Telugu Desam Party Members of this House has raised certain issues which are objectionable and should not have been raised in this House, which your good self has permitted him to speak. I want these observations to be expunged, \* Sir.

MR. CHAIRMAN: That cannot be a point of order. You can write to me, definitely, if there is something which is not allowed as per the rules and objectionable that will be taken care of. But, you cannot just mention it using a point of order. Point of order can be raised at the time of speaking....(*Interruptions*)... I have agreed, so, please send it to me.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: The issue which was raised was not relevant to this House.

MR. CHAIRMAN: Please do not go into the merits; do not go into the merits. This will not go on record.

### SHRI V. VIJAYASAI REDDY:#

MR. CHAIRMAN: Shri Binoy Viswam, ...(Interruptions)... Please.. But, you are in this House. ...(Interruptions)... Then, you have to follow the rules. ...(Interruptions)... No, that is not the way ...(Interruptions)... Please sit down and follow the rules. ...(Interruptions)... You are raising point of order quoting a rule without following the rule. ...(Interruptions)... It is not going on record. ...(Interruptions)...

SHRI V. VIJAYASAI REDDY:#

MR. CHAIRMAN: You are saying that the Chairman is biased. Shri Binoy Viswam and the other Member have given notice for suspension of rules. Both the notices, I have gone through, and I have not permitted. ... (Interruptions)... We will discuss in normal course. ... (Interruptions)... Shri Subhash Chandra Singh. ... (Interruptions)... Please. ... (Interruptions)... Shri Subhash Chandra Singh.

<sup>\*</sup> Expunged as ordered by the Chair.

<sup>&</sup>lt;sup>#</sup>Not recorded.

...(*Interruptions*)... It is not going both ways, in print and electronic media. Shri Subhash Chandra Singh. ...(*Interruptions*)... Mr. Vijayasai Reddy, you know the rules. ...(*Interruptions*)... You cannot say like that. ...(*Interruptions*)... Right...(*Interruptions*)... I have given more opportunities to you. ...(*Interruptions*)... All remarks will be expunged. ...(*Interruptions*)...All remarks will be expunged, if they are objectionable and if there is anything what you say is substantial. ... (*Interruptions*)...

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: \*

(At this stage, some hon. Members left the Chamber)

#### Need for Reduction of GST on Kendu leaves for the State of Odisha

SHRI SUBHASH CHANDRA SINGH (Odisha): \* "Sir, out of the 4.5 crore population of Odisha, 10 lakh people are engaged in Kendu leaf sector. A large section of people engaged in this sector are poor, Adivasis and Harijans. Most of them belong to the Western part of Odisha, and 80 per cent of them are women. Their financial condition is very weak. Sir, 18 per cent GST is levied on Kendu leaf. In Odisha, prior to the implementation of GST, there was 5 per cent tax on Kendu leaf. If this tax could be brought down to its earlier level, these poor Adivasi women and poor men who are engaged in this sector between the months of March to June and draw their livelihood and sustenance from the Kendu leaf, such women folk could be largely benefitted. Our hon. Chief Minister of Odisha Sh. Naveen Patnaik has already written twice to the Finance Ministry and to the Chairman, GST. Some direction should come from the hon. Chairman in this matter. These 10 lakh people are engaged in this sector. Out of this 80 per cent are women. They will get benefitted by their earning with the increase in the bonus amount and further they would also get the benefit of security. I urge upon the hon. Chairman to direct the Central Government to take a decision to sort out the major problem of the Kendu leaf workers, and, accordingly, reduce the GST on Kendu leaf from 18 per cent to its earlier level of 5 per cent. Namaskar."

<sup>\*</sup> Not recorded.

<sup>\*</sup> English translation of the original speech made in Odia.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

SHRI SUJEET KUMAR (Odisha): Sir, I also associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

### Non-Banking Financial Companies

SHRI SYED ZAFAR ISLAM (Uttar Pradesh): Mr. Chairman, Sir, I thank you very much for giving me this opportunity to speak. I would like to speak on an issue which is important and relevant and it is pertaining to NBFC which is also referred to Nonbanking Financial Companies. Sir, in India's financial eco-system, NBFC plays a very important role. In fact, they not only supplement, they also complement in banks' efforts to promote financial inclusion. NBFCs have a very vital and important role in reaching out to the last mile credit and last mile credit delivery and reaching out to entrepreneurs even in unbanked segment of the society. Today I think the NBFCs are struggling only because the RBI has issued certain guidelines post-COVID where they have addressed the problems faced by NBFCs on asset side but the liability side problems have not been addressed by those circulars which have come out which RBI issued in August and September 2020. Sir, they have been asked to refer to the prudential framework of stressed assets of 2019 which has been issued by the RBI which actually is pre-COVID level and it does not address the concern and the problem which is being faced by NBFCs. I would like to bring to your attention and, through you, RBI's attention that today the RBI should come out with a new framework which addresses the concern of the NBFCs on the liability side. Thank you, Sir.

SHRI SUJEET KUMAR (Odisha): Sir, I associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I also associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

#### Glitches in Co-Win portal for Covid vaccination

DR. SANTANU SEN (West Bengal): Mr. Chairman, Sir, in all humility, I would like to draw your kind attention to three important issues. Number one, as you know that during this COVID pandemic, the COVID vaccination is being done through CoWIN Though there was not adequate information percolated regarding this App. vaccination across the country but the vaccination is being done through CoWIN App, but several glitches have been found while registering in this CoWIN App. The healthcare workers who are getting registered in CoWIN App, there in the time of vaccination, many a time this App is getting hung. That is why, the vaccination process is getting hampered. This is one. When we are planning to get them vaccinated offline, there is a stricture that no person can be vaccinated offline; otherwise, they would not get the vaccination certificate. Secondly, there is a process of random selection. It means, along with doctors, many ASHA workers and other healthcare workers are automatically getting registered. But, the reality is, many of them are not interested to get vaccinated. On the contrary, those who are really interested to get vaccinated are not getting randomly selected by the App. Thirdly, till date, many healthcare workers and doctors did not get the scope to get their names registered though they need to get vaccinated and are interested to get vaccinated too, because this App suddenly got closed.

My humble submission is that this CoWIN App should be made to function properly. Thank you very much.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRIMATI VANDANA CHAVAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI MD. NADIMUL HAQUE (West Bengal): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: Sir, I have a submission to make. ... (Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: I will look into that. Is the Health Minister there? No. बाद में Now, Shri Kumar Ketkar, from Lok Sabha Chamber, to speak in Marathi.

### Urban crisis due to reckless constructions

श्री कुमार केतकर (महाराष्ट्र): \*"माननीय सभापति महोदय, आपने हमेशा मातृभाषा को प्रोत्साहित किया है और ज़ोर देकर कहा है कि इस सदन के

सदस्य अपनी मातृ भाषा में अपने विचार व्यक्त करें। इस भावना को ध्यान में रखते हुए, मैं आज मराठी में बोलने जा रहा हूं। मुझे मराठी में बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूं।

में देश में बढ़ती हुए अनियोजित शहरी अराजकता के साथ-साथ व्यापक शहरीकरण की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

कई लोगों ने यह विश्वास व्यक्त किया है और उम्मीद की है कि प्रधानमंत्री की अभिनव "स्मार्ट सिटी" परियोजना शहरों में, कम से कम शहरी सुंदरता, शहरी नियोजन और शहरी डिजाइन के संदर्भ में सुधार करेगी। मैं शहरी विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति का सदस्य भी हूं। इसलिए मुझे कई शहरों में जाने का अवसर मिला है। सभी शहरों में सुंदरता लाने के बजाए, शहर बदसूरत और विकृत होते जा रहे हैं। 'स्मार्ट सिटी' 'के नाम पर, कुछ पुरानी परियोजनाओं को ही, मरम्मत आदि कार्य कर, नई परियोजनाओं के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है और करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। क्या कारण है कि राष्ट्रीय संगठनों जैसे कि नेशनल आर्किटेक्ट्स, अर्बन प्लानर्स और उनके आर्किटेक्ट्स एसोसिएशन की बहुत गंभीर आपत्तियों के बावजूद, उन आपत्तियों को नजरअंदाज किया गया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की लापरवाही राजधानी दिल्ली में बरती जा रही है, जहां 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से सेंट्रल विस्टा परियोजना को लागू किया जा रहा है और संसद भवन जैसी अनेक "विरासत"

<sup>\*</sup> Hindi translation of the original speech made in Marathi.

कही जाने वाली और ऐतिहासिक इमारतों को मिटाने के प्रयास किए जा रहे है। यह वह इमारत है जहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्रीजी ने देश के गौरवशाली इतिहास को याद किया, जहाँ इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पाकिस्तान की पूर्ण हार के साथ और बांग्लादेश के निर्माण के साथ दक्षिण एशिया का इतिहास और भूगोल बदल गया। उसके कारण आदरणीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इसी संसद में इंदिरा जी को कांप्लीमेंट दिया था। नए लोकसभा-राज्यसभा भवन का निर्माण करते समय, न केवल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा को जगह से हिलाया गया, बल्कि पूरे संसदीय इतिहास को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। यह केवल 20,000 करोड़ के धन की बरबादी नहीं है, बल्कि स्वतंत्र भारत के इतिहास की बरबादी है। संसदीय लोकतंत्र को एक तरह से चुनौती दी जा रही है। दुर्भाग्य से, इस परियोजना के कारण होने वाले दिल्ली के विघटन और विकृति को सभी के द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, सैकड़ों आर्किटेक्ट्स, शहरी योजनाकारों ने सेंट्रल विस्टा स्कीम के रूप में इस परियोजना पर गंभीर आपत्तियां जताई हैं। करोड़ों रुपये की बरबादी को तत्काल रोका जाना चाहिए क्योंकि देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।"

श्री सभापतिः आपने अच्छा बोला है। धन्यवाद।

SHRI AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. AMEE YAJNIK (Gujarat): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRIMATI VANDANA CHAVAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

### Need to address the problems of sugarcane farmers in Tamil Nadu

SHRI P. WILSON (Tamil Nadu): Mr. Chairman, Sir, in Tamil Nadu, the sugarcane growers are put to untold hardships and are in huge financial distress. The sugarcane growers sell their produce to about 44 sugar mill factories in Tamil Nadu and

Puducherry. However, for the past two years, the private and public sector sugar mills, cooperative sugar mills, including the State Government Cooperative Societies have not paid the purchase price of sugarcane to the cane producers and about Rs.1,000 crores are due to the sugarcane growers by these sugar mills. Sadly more than 15 sugar mill factories in Tamil Nadu and Puducherry have been closed, including the Government-run Puducherry sugar mill. These closed mills owe several hundred crores of rupees to the sugar cane growers leaving behind more than one lakh farmers in distress as they have not settled their sugar cane purchase money.

Due to closure of sugar mills, more than one lakh workers employed, directly or indirectly, are left in lurch and they have not been paid salary for more than two to three years.

Also due to Corona lockdown, there were shortages in labour to harvest the crops. Thousands of sugar cane growers in Cuddalore, Nagapattinam and Thanjavur districts are in huge debts and have mortgaged their lands, sold all their jewels, drained their savings and virtually standing on streets.

The farmers are not in a position to recover their sale proceeds from these closed mills as nationalised banks have priority over these debts and they have invoked the National Company Law Tribunal (NCLT) by initiating insolvency proceedings. The National Cooperative Sugar Mill has not paid State Advisory Price on sugar cane for a period of two years.

Besides, nationalised banks are hesitating to give crop loans to these farmers. The deadlock in the sugar industry can be set right only when the Central Government announces Fair and Remunerative Price (FRP) for the sugar season taking into consideration the interests of all sections.

The Union Government should also come out with a definite sugar cane policy and should frame a rehabilitation package specifically for sugar cane growers in Tamil Nadu, taking into account the pandemic crisis, and sanction a special fund of Rs. 1000 crores, to be paid, through the nationalised banks, to all the sugar cane growers in Tamil Nadu and Puducherry....

MR. CHAIRMAN: Your time is over. There is the fixed time. One has to keep time in mind. Otherwise, it would automatically stop.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

### Need for creation of a separate All India Service Cadre for Arunachal Pradesh

SHRI NABAM REBIA (Arunachal Pradesh): Sir, this is regarding creation of a separate All India Service Cadre of IAS, IPS, and IFS for Arunachal Pradesh. This demand of the Government of Arunachal Pradesh has been pending for long and the Legislative Assembly of Arunachal Pradesh has also passed numerous resolutions to this effect. Being the largest State geographically, in the whole of North-Eastern Region, Arunachal Pradesh needs committed and dedicated All India Service Cadre officers in the State. Therefore, since this request has been forwarded to the Ministry of Home Affairs, I would urge upon the Government to consider this request. Thank you very much.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI SUJEET KUMAR (Odisha): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

MR. CHAIRMAN: Now, we will take up Special Mentions. You have to lay it.

## REGARDING OBJECTIONABLE REFERENCES MADE ABOUT MEMBERS OF CERTAIN POLITICAL PARTIES

SHRI JAIRAM RAMESH (Karnataka): Sir, before you take up the Special Mentions I would like to say something. Before the beginning of Zero Hour, certain references were made about Members of certain political parties. They were highly objectionable references and I would request you to please take note of these, and take necessary action.

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI GHULAM NABI AZAD): Sir, it should be deleted and it should not become part of the record.

श्री भूपेन्द्र यादव (राजस्थान) : सर, Zero Hour समाप्त हो गया है, लेकिन कभी-कभी विषय इतना महत्वपूर्ण होता है, जैसे उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर के...

MR. CHAIRMAN: I am coming to this. I really feel sad today. It has never happened.

SHRI PRASANNA ACHARYA (Odisha): Sir, some action should be taken. It is not desirable. Nobody appreciated it. You were present in the Chair. It should not only be condemned, but some action should also be taken as per the rule.

MR. CHAIRMAN: If a Member is speaking and if anything objectionable is said, any Member can bring it to the Chairman's notice and then, after examination, such remarks are expunged. To my knowledge, nobody raised an objection or protested. Nothing was brought to my notice and, supposing if it was not done, and subsequently if parties or persons realize they should give notice, I will go through it and then take appropriate action, which we have been doing so. But in spite of that, some Members are continuously making allegations. This is not done. The idea is to make the Chairman dysfunctional. And, there are methods if you don't have confidence on the Chairman. I have no problem. But, I will not be cowed down by this sort of efforts for making the Chair dysfunctional.

The day I assumed this post — even before accepted this proposal — I had resigned from the party. And, since then, I am not going to any political programme or attending any such function affiliated to any particular party. This is my decision, during the course of my life time, because of this august position and constitutional responsibility, and I thought it is proper to shoulder it. So, I have done it. And, suddenly, if somebody says that 'your body is here and heart is somewhere and all', I have no problem. My heart is with the country. My heart is with the Constitution. My heart is with the people of India. I don't worry about this. But, normally, as a human being, it pains. I am happy that the Leader of the Opposition, the Chief Whip and other senior Members have taken note of it. Other leaders of parties disassociated themselves with such remarks. I feel really sad.

Shrimati Priyanka Chaturvediji has also given notice for suspension of Business. Please give notice under different rule. I will examine it, Priyankaji.

As far as the issue of Uttarakhand is concerned, the entire House and, for that matter, the country is really concerned. I feel sad of what has happened in Uttarakhand.

[RAJYA SABHA]

Today morning, in the first hour itself, I spoke to the hon. Chief Minister of Uttarakhand. The Chief Minister told me that all efforts are on and there is no certainty about the number of casualties and the tunnel is very long. The ITBP swung into action immediately. Later, Army was also called and other agencies like NDRF, etc., have actively engaged. The efforts are on to save lives of the people. So, let us wait for some time and get full details. The Home Ministry is looking into this. The Prime Minister himself is reviewing what is happening there. It is really a matter of grave concern. We shall wait till we get a final report. Then, I will be asking the Home Minister to apprise us of what has happened exactly and give further details. So, Mr. Kishan Reddy, please tell the Home Minister. I tried to get in touch with him in the morning.

Now, we shall take up the Special Mentions.

### SPECIAL MENTIONS

MR. CHAIRMAN: Shri Vishambhar Prasad Nishad.

## Demand to repair the National Highways that have been damaged due to overloaded vehicles in Uttar Pradesh and Madhya Pradesh

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं एक अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में ओवरलोडेड ट्रकों के संचालन से राष्ट्रीय मार्ग और राजमार्ग ध्वस्त हो रहे हैं और गड्ढों में तब्दील हो गए हैं। बुंदेलखंड के छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, रीवा और उत्तर प्रदेश के बांदा, झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, चित्रकूट, फतेहपुर, कानपुर देहात, इलाहाबाद, सोनभद्र में संपर्क मार्गों सहित राष्ट्रीय मार्गों की हालत खराब है, जिनकी मरम्मत कराने की आवश्यकता है, क्योंकि ग्रामीण इलाके के लोगों को जिला मुख्यालय व जिला चिकित्सालय पहुंचने में परेशानियां हो रही हैं।

अतः मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ओवरलोडेड ट्रकों के संचालन से खराब हो रहे राष्ट्रीय मार्गों और संपर्क मार्गों की मरम्मत कराए जाने के निर्देश जारी करने की कृपा करें।

डा. अमर पटनायक (ओडिशा): महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

MR. CHAIRMAN: Dr. Ashok Bajpai.

# Demand for inclusion of children afflicted by Type-I Diabetes in persons with disabilities list

डा. अशोक बाजपेयी (उत्तर प्रदेश): महोदय, देश में लाखों की संख्या में बाल्यावस्था में ही बच्चे टाइप-1 डायबिटीज़ से ग्रसित हो रहे हैं। चार-पांच साल की उम्र में ही पैंक्रियाज़ काम करना बंद कर देती हैं और वे कृत्रिम इन्सुलिन पर अपना जीवनयापन करते हैं। साधन-सम्पन्न परिवार के बच्चे इन्सुलिन के महंगे खर्च और समय-समय पर ग्लूकोज़ की जांच पर होने वाले महंगे खर्च को वहन कर सकते हैं, परन्तु जनसामान्य परिवार के बच्चों के लिए यह खर्च बहुत भारी हो जाता है। अधिकांश बच्चे अज्ञानतावश टाइप-1 डायबिटीज़ की जांच के अभाव में जीवन-लीला से भी हाथ धो बैठते हैं। अभी तक टाइप-1 डायबिटीज़ के परीक्षण की भी ग्रामीण क्षेत्र में कोई व्यवस्था नहीं है। स्कूलों में भी इस तरह की जांच की कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है।

सामान्यतः बाह्य रूप से शरीर का कोई अंग क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उसे विकलांगता की श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन बचपन से ही जिन बच्चों की पैंक्रियाज़ काम करना बंद कर देती हैं, उन्हें विकलांगता की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, जबकि वह भी तो एक मानव अंग है। इससे इन बच्चों को किसी भी प्रकार की शासकीय सहायता नहीं मिल पाती है, न ही इन्हें नौकरी इत्यादि में कोई प्राथमिकता मिलती है। इलाज के लिए होने वाले खर्च में भी किसी प्रकार की सरकारी सहायता पीड़ित बच्चों को नहीं मिलती है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को संज्ञान में लाकर मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार टाइप-1 डायबिटीज़ पीड़ित बच्चों को विकलांगता की श्रेणी में रखकर विशेष अनुदान इत्यादि देने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे।

MR. CHAIRMAN: Shri M. Shanmugam.

## Demand for consultation with trade unions before notifying rules/regulations in Labour Codes

SHRI M. SHANMUGAM (Tamil Nadu): Sir, there is a time-tested long tradition in the labour world that whenever new legislations or rules are framed, trade union leaders are always consulted through bipartisan meetings. The labour community is already launching agitations and *dharnas* for notifying rules and regulations which are against the interest of labour.

I would, therefore, through this House, urge upon the hon. Prime Minister and the hon. Labour Minister to call a meeting of all the recognised trade unions before finalizing the draft rules on various Labour Codes like the Code on Industrial Relations, the Code on Occupational Safety and Health and the Code on Social Security. I demand that rules should be notified only after consulting all the labour union leaders and getting a consensus. MR. CHAIRMAN: Instead of saying 'following matter', you should say 'Consultation with trade unions before notifying rules and regulations.' You have to read the heading. Shri Ram Nath Thakur.

# Demand to open more Medical Colleges/Nursing Training Institutes and another AIIMS in Bihar

श्री राम नाथ ढाकुर (बिहार) : महोदय, कोविड महामारी के दौरान समूची दुनिया बेबस नज़र आई। इस आपदा ने मानव जीवन को पंगु बना दिया। हर आय वर्ग तथा हर आयु वर्ग के लोग इससे प्रभावित हुए। इस आपदा ने यह भी बताया कि हमें स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार तथा इसके बुनियादी ढांचे के विकास पर और बल देने की जरूरत है। हमें उन क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को खड़ा करने की आवश्यकता है, जहाँ इसका नितांत अभाव है। सरकार ने अपनी ओर से तैयारी शुरू भी कर दी है तथा इस वर्ष के आम बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 2.23 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया है। सरकार द्वारा यह घोषणा की गई थी कि स्वास्थ्य क्षेत्र में पिछड़े राज्यों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा तथा आबादी के आनुपातिक घनत्व को ध्यान में रखते हुए एक से अधिक एम्स भी खोले जाएंगे। यह भी कहा गया था कि प्रत्येक जिले में नर्सों की ट्रेनिंग के लिए संस्थान भी खोले जाएंगे।

महोदय, अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में जिला अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में डॉक्टर तथा नर्सिंग स्टाफ उपलब्ध नहीं हैं, जिसके चलते सही उपचार नहीं मिल पाता है।

महोदय, मैं इस विशेष उल्लेख के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि बिहार में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को सबल बनाने के लिए प्रस्तावित मेडिकल कॉलेजों तथा नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थानों को शीघ्रता से खोला जाए।

MR. CHAIRMAN: Shri Prasanta Nanda.

## Demand to review parameters for Renewable Energy Purchase Obligation (REPO) for States like Odisha

SHRI PRASHANTA NANDA (Odisha): In recent times, it is observed that Renewable Energy Purchase Obligation (REPO) is being raised every year irrespective of its availability in the concerned States. This poses a great problem for the States which are not endowed with renewable energy resources. It is learnt that REPO target of 41 per cent has been fixed for Odisha State by the year 2030. This target is too ambitious for the State of Odisha considering the fact that it has got limited potential for Solar RE as well as RE from small hydro sources. Renewable energy like wind, biomass is almost negligible in the State. In fact, Odisha is considered as a State in terms of availability of renewable energy potential where projects such as solar power projects, hydel project can be implemented on commercial basis. Other renewable energy projects have lesser scope of implementation on commercial basis. Such naturally disadvantaged States, therefore, ought not to be penalised for not achieving stiff REPO targets.

As an alternative, it is suggested that States can comply with REPO target from the available renewable energy resources as per the potential. Therefore, I propose that the future REPO target for the State may be based on the available potential renewable energy. The above step will not only incentivize in fulfilling the REPO target but will also help in progress of both the solar and non-solar energy sectors in equal phase as per the available potential.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I would like to associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

MR. CHAIRMAN: Dr. Amar Patnaik.

#### Demand to review norms for paddy procurement and delivery of rice in Odisha

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, post Covid economic revival is contingent upon continued growth of the agricultural sector and upliftment of our farming community. In Odisha, paddy procurement is one of the important means which ensures that lakhs of farmers get MSP for their paddy sold to the Government. The State is saddled with two important problems, which need immediate intervention of the Central Government. The Odisha State Civil Supplies Corporation has so far borrowed a sum of Rs. 15,000 crore to run the decentralized procurement programme on behalf of the FCI. This high volume of bank loans is mainly due to the non-release of subsidy by the Department of Food and Public Distribution. The OSCSC has pending subsidy claims towards provisional and advance subsidy totaling Rs. 7,300 crore. Since all resources including sanctioned limit of bank finances have been exhausted by OSCSC, further paddy procurement from farmers may be severely affected. The pending subsidy, therefore, needs to be released urgently.

Intimation from FCI is to limit the delivery of surplus parboiled rice of our State to the extent of 50 per cent of last year's FCI delivery and not to accept any surplus in the form of parboiled rice during the Rabi season of the current KMS 2020-21. Under instruction from the hon. Chief Minister of Odisha, Shri Naveen Patnaik, a delegation of hon. Members of Parliament met the hon. Minister of Food to air their grievances.

Though he assured that this stipulation will not be applied this year, it is necessary to remove this restriction by FCI permanently for Odisha. I demand an urgent intervention in this regard.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

#### **OBSERVATION BY THE CHAIR**

MR. CHAIRMAN: Shri Binoy Viswam*ji*, you had raised a matter for suspending the Business of the House. As I explained just now, I don't know whether you heard me, the rescue operations after catastrophic floods in Chamoli district of Uttarakahand are underway. All efforts are being made by the Central Government, the State Government, and also by other agencies -- paramilitary as well as military forces. Let us wait for full details to come, then, we will have a statement or a full mention of the matter later on. That's why I have not allowed your matter.

So far as the matter of Shrimati Priyanka Chaturvedi is concerned, I have already told that she could give me notice. Then, I will have to examine that as per the Rules of the Procedure.

Now, before going to Question Hour, I would like to mention here that Shri Jairam Ramesh, the other day, mentioned that we need to enhance the number of Members sitting in this House. We have gone through in details after wider consultations with the Secretariat and came to the conclusion that if you have to maintain the 'safe' distance, this is the best way. But, still, I would ask him to sit with the Secretariat people and work out if there is a better way to accommodate more people without compromising the 'safe distance' yardstick. In fact, the other day, in the Central Hall also they had proposed to have more people. I had told them that as the guidelines of the Ministry of Health and the Ministry of Home Affairs with regard to 'दो गज़ की दूरी' and wearing mask are there, and our compromising that, and altering those guidelines will send a wrong message to the country. People will also see as to what is happening here or what the leaders of the country are doing. So, I appeal to all to please understand the situation. I will be more than happy if all my Members are here in this House. But, in spite of our best intentions, this is not going to be working out to be practical. That's the reality. But, still, if there is a way, Members can give their suggestions; they can discuss it with the Secretariat and, then, come to me so that the matter can be looked into.

Then, coming to the issue of the simultaneous interpretation, Members are required to give in advance their intention in writing that they want to speak in a particular language, which has been permitted, so that the concerned Interpreters can be informed in advance and they are ready. As I had told you last time also, they are not our permanent employees; we have not got that system. But, they are working on requisition and time basis. So, keeping that in mind, please inform the Chair. Of course, some words, some complimentary comments -- 'वणक्कम' or 'धन्यवाद' -- like can be said and that would be, by and large, understood by the Members. Otherwise, it will be difficult for the House to understand what the Member is saying, in spite of our best intention to have such a discussion.

The 21<sup>st</sup> of this month is the International Mother Language Day. The UNESCO has given a call. I appeal to all the Members -- it is a suggestion -- that, please, in your respective areas, you hold some function where this aspect is highlighted because children of the country deserve to be taught initially in their mother tongue. We are not against any language. We should learn as many languages as possible including English; that will be used for international communication, etc. But the States and the Centre, even as per the latest National Education Policy, need to promote mother tongue. I am happy, yesterday, the Prime Minister said that even for engineering and medical courses, slowly, we must go to our native languages, Some time back, the Supreme Court also permitted mother tongue and all. translation. It is not permitting translation alone; it is transacting proceedings of the High Courts and the Supreme Court later, and also for the other works of the public administration where the local or State- recognised language is used. This is what I want every Member to keep in mind.

### **ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**

MR. CHAIRMAN: Now, Question Hour. Q.No. 61. Hon. Member absent. Are there any supplementaries?

\* 61. [The questioner was absent.]

### Iron and Arsenic contamination in drinking water

\* 61. SHRIMATI JHARNA DAS BAIDYA: Will the Minister of JAL SHAKTI be pleased to state:

(a) whether huge amounts of Iron and Arsenic which is injurious to human life are found in drinking water of North-Eastern States;

(b) if so, by when clean drinking water would be provided to the people in the North-Eastern region particularly, Tripura;

(c) whether Government has any schemes or initiative in this regard; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF JAL SHAKTI (SHRI GAJENDRA SINGH SHEKHAWAT): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

### Statement

(a) As reported by North-Eastern States, 1,247 habitations in Assam are affected by Arsenic contamination in ground water; 231 habitations in Arunachal Pradesh, 1,356 habitations in Tripura and 19,804 habitations in Assam are having Iron contamination in ground water sources.

(b) to (d) Government of India in partnership with States, is implementing Jal Jeevan Mission (JJM) to provide every rural household in the country to have potable water supply through tap water connection by 2024. Under JJM, while planning water supply schemes to provide potable water to households through tap water connection, priority is given to quality—affected habitations. State Governments are prioritising water supply schemes in quality—affected habitations including Arsenic and Iron—affected habitations. In all Arsenic—affected habitations of Assam, provision has been made for potable drinking water for cooking and drinking purposes. To expedite the implementation of Jal Jeevan Mission, regular review meetings are held and field visits along with follow-up with State Governments.

Under Jal Jeevan Mission, Manipur, Meghalaya and Sikkim have planned to provide tap water supply to every household by 2022, whereas Arunachal Pradesh, Mizoram, Nagaland and Tripura by 2023 and Assam by 2024.

श्री शक्तिसिंह गोहिल : महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि 4,818 habitations ऐसे हैं, जहां आर्सेनिक पानी मिलता है, यह बड़ी चिंता का विषय है। सरकार ने अपने प्रत्युत्तर में कहा है कि वर्ष 2024 तक हम इन्हीं जगहों पर घर तक स्वच्छ पानी पहुंचाएंगे। महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह डिसीज़न कब लिया गया, इसका total expense क्या है और अभी तक इसमें कितना खर्च हुआ है?

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : माननीय सभापति महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी ने देश के सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए अनेक योजनाएं पिछले पांच सालों में सफलता के साथ पूरी कीं। 15 अगस्त, 2019 को 'जल-जीवन मिशन' के माध्यम से हर घर तक पीने का स्वच्छ पानी समूचित मात्रा और उचित गूणवत्ता का पहुंचे, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। माननीय सदस्य ने जो जानना चाहा है, मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि इस तरह के कुल मिलाकर 13,819 habitations देश में चिन्हित किए गए थे, जिनमें आर्सेनिक की समस्या थी। National Water Quality Sub-Mission मार्च, 2017 में प्रारम्भ किया गया था, जिसे मार्च, 2021 तक पूरा किया जाना चाहिए। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि 8,841 आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों को इसमें पूरा कर लिया गया है और इसके साथ-साथ राज्यों ने अपने खर्च के माध्यम से, अपने रिसोर्सेज़ से 471 habitations को छोड़कर बाकी 1,148 habitations में काम पुरा कर लिया है या उन पर काम चल रहा है। राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार केवल 78 ऐसे habitations हैं, जहां आज भी आर्सेनिक की समस्या unaddressed है, उनमें से लगभग 60 पश्चिमी बंगाल में हैं। हमने राज्यों से निरंतर आग्रह किया है कि जहां 'जल-जीवन मिशन' की अपेक्षा के अनुसार पाइप्ड वॉटर नहीं दिया जा सकता है, वहां एक बार शॉर्ट टाइम मेज़र के लिए community-based drinking water treatment plant लगाकर, उन्हें 8-10 लीटर स्वच्छ पानी प्रतिदिन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। माननीय सदस्य ने जो राज्यवार खर्च का ब्यौरा जानना चाहा है, मैं उसकी पूरी तालिका माननीय सदस्य को भेज दूंगा।

MR. CHAIRMAN: There is no second supplementary. We would go on to the next Question. Question No. 62, Shri Rajmani Patel. He is not there. Shri Amar Patnaik may put a supplementary question.

\* 62. [The questioner was absent.]

## Best practices for maintaining Air Quality Index

\*62. SHRI RAJMANI PATEL: Will the Minister of ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE be pleased to state:

- (a) whether Government is aware that the State of Punjab recorded a moderate Air Quality Index (AQI) in September-October 2020 despite 11,000 stubble burning cases, whereas Delhi's AQI was poor during the same period;
- (b) whether Government has identified causes for this difference between the two region's AQI;
- (c) if so, the details thereof, and if not, the reasons therefor;

- (d) whether Government has identified good practices of the State Government of Punjab to reduce air pollution; and
- (e) if so, the details thereof, and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE (SHRI PRAKASH JAVADEKAR): (a) to (e) A statement is laid on the Table of the House.

### Statement

(a) to (e) Considering the importance of the clean air, Government has launched Air Quality Index (AQI) in the year 2015.

Air Quality Index (AQI) provides air pollution status of an area or city but not that of any State. AQI of a city depends on multiple factors, which include meteorology, geography, local sources such as vehicles, industries, etc. and contribution from other regional sources.

Delhi with higher population, number of vehicles, emission from various other local sources as well as contribution of regional sources such as stubble burning (during October, November), dust in summer has higher air pollution levels compared to many of the adjoining cities including cities of Punjab.

With low winds, low temperatures and limited mixing area available for dilution, the pollution levels in Delhi are higher during winter. In October and November, wind blows from Punjab towards Delhi. This brings pollution due to stubble burning towards Delhi and adds to Delhi's pollution.

It is observed that meteorology plays very important role in air pollution. Other metropolitan cities like Chennai, Bengaluru and Mumbai have similar or more pollution sources as Delhi. But, air quality in these cities is far better than Delhi due to high winds and mixing zone and other meteorological factors.

With many actions taken by the Government such as introduction of BS-VI, expansion of Metro, operationalization of Eastern and Western peripheral expressways, shifting of industries to PNG, waste processing plants, online round the clock monitoring of red category industries, etc. Air quality has improved significantly in Delhi. **Details are annexed**.

The 'Good', 'Satisfactory' and 'Moderate' days increased to 182 in 2019 in comparison to 108 in 2016 whereas, number of 'Poor', 'Very Poor' and 'Severe' reduced from 246 in 2016 to 183 in 2019.

Punjab has reported that actions such as mandatory use of Super Straw Management System with Combine Harvester, deployment of district level teams to take strict actions against defaulters, putting up biomass power plants, public awareness campaigns, etc. were taken. However, the incidences of stubble burning reported in 2020 (76,590) has increased as compared to last year (52,991 cases).

### Annexure

## CENTRAL GOVERNMENT INITIATIVES TO COMBAT AIR POLLUTION IN DELHI-NCR

### 1. ACTIONS TO CONTROL VEHICLE POLLUTION

### Introduction of BS-IV and BS-VI Fuel and Emission Norms

- BS IV fuel and vehicle emission norms were introduced in April 2017 in the entire country. BS VI fuel was introduced in Delhi from April 2018, in NCR from October 2019 and in entire country by April 2020.
- 80% reduction in Particulate Matter emissions and 30% reduction in Nitrogen Oxides emissions in BS IV heavy duty diesel vehicles compared with BS III norms.
- Leapfrogging to BS VI norms is likely to reduce 50% Particulate Matter emissions and 88.5% Nitrogen Oxide emissions in comparison to BS IV norms. Improvement also in other pollutants and type of vehicles.
- Nearly ₹60,000 Cr were spent on switching over to BS VI fuels.

### Eastern and Western Peripheral Expressways (EPE and WPE)

- EPE and WPE work completed at cost of about ₹17000 Cr and opened for public in May 2018 and November 2018, respectively.
- 30000 to 40000 good vehicles not destined for Delhi are diverted away from national capital due to WPE and EPE. This helps in reduction traffic congestion and pollution caused due to non-destined vehicles which earlier used to pass through Delhi.

### Implementation of RFID system at all 13 entry points of Delhi

- RFID (radio-frequency identity) system implemented by South Delhi Municipal Corporation (SDMC) for collection of toll and Environment Compensation Charges from commercial vehicles entering Delhi.
- Cost ₹120 Cr for over the period of next five years (Design, Built, Finance, Operate and Transfer) basis.
- Strict enforcement of Environmental Compensation Charges on Delhi-bound trucks helps in control on numbers, including enforcement to check and divert all non-Delhi bound truck traffic and age limit (as stipulated by Hon'ble Supreme Court).

### Motor Vehicle Act 2019: Increase in penalty for violation of PUC norms

- With recent amendment in the Motor Vehicle Act and increase in fine from ₹1000/to ₹10000/-for not having PUC certificate, compliance has increased. Due to this, average number of daily PUC certificates issued has increased from 10,000-12,000 to 40000-45000.
- PUC norms compliance and traffic discipline will help in reduction in vehicular pollution in Delhi-NCR, which has a major contribution to pollution levels in Delhi-NCR.

Installation of Vapour Recovery Systems in more than 3000 petrol pumps in NCR is under implementation.

### Delhi Metro Network Augmentation

- Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) network now covers about 389 Km with 285 stations, reaching Delhi-Noida-Greater Noida-Ghaziabad in UP and Gurgaon to Ballabhgarh in Haryana. It today has over 300 train sets of four, six and eight coaches.
- Metro network expansion plays an important role in pollution reduction in Delhi-NCR as it shifts more and more private vehicles user to public transport, thus, minimizing use of individual cars as well as by reducing traffic congestion.
- Environmental friendly Metro at cost of more than ₹70,000 Cr is used by over 30 lakhs people every day and because of this 4,00,000 vehicles are avoided on roads, thereby, reducing pollution.

### E-mobility Initiatives

 Department of Heavy Industry is providing subsidy on e-vehicles under Faster Adoption and Manufacture of (Hybrid &) Electric Vehicles in India (FAME India) scheme. Commencing from 1<sup>st</sup> April 2019, Phase-II of FAME Scheme has been approved with an outlay of Rs. 10,000 Crore for a period of 3 years. <u>48145 electric</u> <u>vehicles</u> have been sold in the country under FAME-II scheme.

- Setting up of public charging stations (PCS) had been de-licensed and any individual/entity is free to set up PCS. EESL has installed more than 70 Public charging stations in Delhi NCR.
- States advised to exempt road tax on e-vehicles thereby reducing cost of purchase of ecofriendly vehicles.
- 2. ACTIONS TO CONTROL ROAD AND CONSTRUCTION & DEMOLITION DUST
- Construction & Demolition (C & D) Waste Management Rules were notified in 2016

## 3. ACTIONS FOR C&D WASTE PROCESSING IN DELHI

- 03 C & D Waste Processing Plants (Jahangirpuri, Shastri Park and Ranikhera) with total capacity of 2650 TPD are operational in Delhi.
- 04 new plants (Baba Hardis nagar, Siraspur, New Ranikhera, Bakkarwala) are being established to increase the processing capacity by 3000TPD.
- At present, 57 lakhMT C&D waste is being processed, with an off-take of 8,83,028 MT.
- 76 mechanized road sweeping machines (number of machines as in September 2019: Delhi 60, Ghaziabad 06, Greater Noida 06, Noida 04) and 502 water sprinklers to various municipal corporations with support ₹280 Cr.

## 4. ACTIONS TO CONTROL INDUSTRIAL EMISSIONS

### Thermal Power Plants

- Closure of Badarpur Thermal Plant of NTPC led to estimated reduction of 8 tons of particulate matter, 44.7 tons of Sulphur dioxide (SO<sub>2</sub>) and 128.4 tons of Oxides of Nitrogen (NOx) emissions per day
- Implementation of new emission norms in thermal power plants will lead to reduction in emission of particulate matter by 92 tons, Sulphur dioxide (SO<sub>2</sub>) by 898tons and Oxides of Nitrogen (NOx) by 474 tons per day in NCR Delhi.
- SO<sub>2</sub> and NOx standards for industrial boilers and Five Industrial Sectors (Ceramic, Foundry, Glass, Lime Kiln & Reheating Furnace) introduced. Out of 1511 operational industries in these sectors in Delhi-NCR, 1388 units have reported compliance with the norms.
- It is estimated that ban on use of petcoke in NCR has led to 48% reduction in total PM emission as compared to using Furnace Oil.
- Out of 5147 industrial units in Delhi NCR,3074 have shifted to PNG.

- Out of 621 Red Category Air Polluting Units in Delhi NCR, OCEMS have been installed and connected to CPCB server by 563 units.
- So far2783 Brick kilns in NCR have converted to Zig-Zag technology. (30 40% reduction)
- 5. ACTIONS FOR SOLID WASTE MANAGEMENT
  - Solid Waste Management Rules have been revamped in 2016
  - Out of 10470 TPD municipal solid waste generated in Delhi, About 10466 TPD waste is being collected, 5193 TPD is being treated and 5276 TPD waste is being Landfilled.
  - More than 5000 TPD Municipal Solid Waste (MSW) is treated at 03 waste to energy (59 MW) plants located in Ghazipur (1300TPD, 12 MW), Okhla (1950 TPD, 23MW) and Bawana (2000TPD, 24MW).
  - 18 compost plants and 9 Bio-methanation plants are operations in Delhi is operational. For treating remaining waste, following actions have been taken by Municipal Corporation of Delhi
    - An integrated waste processing plant to generate 12MW of Power and process 2000 TPD waste is proposed at Ghonda Gujran through Joint Venture by EDMC with NTPC.
    - Waste to Energy plant at Tehkhand for 2000 TPD MSW has been awarded and project is targeted to be completed by December, 2021.
    - 100 TPD Bio methanation plant for treating cattle dung at Ghazipur has been awarded (EDMC)
  - Bio mining of three dumpsites at Bhalsawa, Okhla and Ghazipur. Work for bio mining has been initiated at these three sites.

## 6. MEASURES TO CONTROL OF STUBBLE BURNING

- In- situ Management of Crop Residue: A Central sector scheme launched by Ministry of Agriculture & Farmers Welfare in 2018, 'Promotion of Agricultural Mechanization for in-situ Management of Crop Residue in Punjab, Haryana and Uttar Pradesh and NCT of Delhi' to address air pollution due to stubble burning. The Scheme has been approved for continuation during 2020-21 with an outlay of Rs. 600 crores.
- 70,449 machines have been distributed so far along with establishment of28,
   907 Custom Hiring Centres (CHCs) in Punjab, Haryana, U. P. and Delhi
- In terms of Active Fire Events, stubble burning incidents has reduced by 25% (1652 AFEs) in comparison to 2019 in Haryana.

DR. AMAR PATNAIK: Sir, the statement mentions, "It is observed that meteorology plays a very important role in air pollution", and then there are a number of general statements made. My question is this: Has any study been conducted to understand city-specific contributing factors to air pollution in different cities of this country?

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Sir, the National Clean Air Programme, NCAP जो कार्यक्रम है, यह 100 से ज्यादा, 122 शहरों में लागू होगा और उसमें city-specific pollution के कारण देखकर योजना बनाई जाएगी और यह बन रही है। किसी शहर में इंडस्ट्री ज्यादा होती है, किसी शहर में ट्रैफिक ज्यादा होता है, किसी शहर में वेस्ट प्रबंधन ठीक नहीं होता है, किसी जगह biomass burning होती है, तो जो प्रदूषण के अनेक कारण हैं, उनकी mapping हर शहर की अलग होती है और इसलिए हर शहर का Air Quality Index भी अलग होता है। जहां तक meteorology की बात है, हम हर रोज देखते हैं कि दिल्ली में जब Air Quality Index खराब स्तर पर है, साढ़े तीन सौ तक है, तब उतना ही ट्रैफिक, उतनी ही इंडस्ट्रीज़ और उतनी ही बाकी सारी व्यवस्था होने के बावजूद भी मुम्बई, बेंगलुरु और चेन्नई में यह कम रहता है, क्योंकि वहां हवा है। दिल्ली में winter के मौसम में हवा का मुद्दा आता है। यहां alluvial soil है, यहां धूल उड़ती है, वहां solid rock है, इसलिए वहां धूल नहीं उड़ती। ऐसे अनेक कारण होते हैं, इसलिए हर शहर का नक्शा अलग है।

DR. M. THAMBIDURAI: Sir, the hon. Minister has talked about the problems being faced in tackling pollution. Talking about cities, especially, a lot of garbage gets accumulated there. They are not properly disposed of. We see that in most of our cities. The Government and the hon. Prime Minister came up with the Swachch Bharat Mission and made many efforts towards cleaning up and removal of garbage. Under that, if you take serious corrective measures and using modernized equipment burn the garbage, etc., then this kind of pollution can be avoided. I would like to know from the hon. Minister, through you, Sir, if there is any policy with the Central Government to tackle pollution, not only in the cities but also in the rural areas. This is very important because the whole world is facing the problem of pollution. It is high time that India comes up as a model, as per the hon. Prime Minister's vision, through the Swachch Bharat Mission and pollution is tackled well.

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Sir, this is a serious issue, as everybody knows. There is this issue of legacy waste. Talking about legacy waste, at dump sites, there are huge mounds of garbage, like hills, in many cities. Now we have started biomining and bio-remediation where we introduce biological processes through which one part of the waste gets decomposed and with bio-mining we dig out all the waste,
which can be segregated thereafter. So, there would be very little biomass that remains at the dump site. As we have seen in Indore, there was a huge land-fill site and huge legacy wastes. Now, it has completely gone and a beautiful garden has come up. This experiment is being replicated in many other cities and I am very sure that we will achieve these kinds of legacy waste free cities very soon.

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया : धन्यवाद, सभापति महोदय। मैं सबसे पहले मंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि उन्होंने इस प्रश्न का बड़ा ही विस्तृत उत्तर दिया है। महोदय, यह एक अदृश्य शतु है, जो देश की जनता की जान को जोखिम में डाल रहा है। जहां तक दिल्ली का सवाल है, तो मेरा प्रश्न है कि यह प्रदूषण कितने प्रतिशत फील्ड्स की बर्निंग के आधार पर हमें प्रभावित कर रहा है? उसी के साथ जुड़ा हुआ एक प्रश्न या सुझाव आप समझें कि आपने अपने उत्तर के आखिरी पृष्ठ पर छठे नंबर पर यह सुझाव दिया है कि इसको कंट्रोल करने के लिए आपने 600 करोड़ की capital expenditure की योजना क्रियान्वित की है। सर, प्रश्न केवल capital expenditure का नहीं है। प्रश्न यह है कि अगर आप वहां एक स्कीम लागू करने के लिए सोचें, जिससे एक डायल इन नंबर के आधार पर किसान उस प्रोसेस को बुलाकर वहां मुफ्त में वह किसान के लिए सेवा मिल पाए या दिल्ली और पंजाब सरकार के साथ मिलकर सुझाव निकाल पाएं, जिसके आधार पर stubble burning की सुविधा आप किसानों को दिलवा पाएं।

श्री प्रकाश जावडेकर : सभापति महोदय, पराली के कारण दिल्ली में 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक, 60 दिन हर साल यह प्रॉब्लम दिखाई देती है। पराली जलाने से जो सारा प्रदूषण पैदा होता है, उस समय wind का direction भी eastward होता है, जिसकी वजह से सारा प्रदूषण दिल्ली की तरफ आता है। दिल्ली की situation trough जैसी है, इसलिए यह यहां जम जाता है, जिसकी वजह से हम स्मॉग का अनुभव करते हैं। इसके लिए सरकार ने हज़ारों, करोड़ों रुपये की चालीस हज़ार मशीनें ली हैं, लेकिन उनका बहुत ज्यादा उपयोग नहीं हो रहा है। सर, मैं बताना चाहता हूं कि हरियाणा ने इस साल 25 परसेंट पराली का जलाना कम किया, जिसकी वजह से प्रदूषण का हिस्सा कम हुआ है, लेकिन पंजाब में इस बार 25 परसेंट बढ़ गया है। पहले 50 हज़ार incidences थे, वे इस बार 75 हज़ार हो गए हैं। यह एक निश्चित चिंता का विषय है, लेकिन चार आशा की किरणें भी हैं - जैसे पूसा संस्था, जो केन्द्र सरकार की है, जिसने decomposer तैयार किया है, वैसे ही इंडियन ऑयल भी biomethanation and biogas तैयार करने का बहुत अच्छा प्रयोग कर रहा है। मुझे विश्वास है कि अगले साल उसके बहुत सारे प्लांट्स कार्यरत हो जाएंगे। उसके साथ-साथ अन्य scientific developments और ethanol तैयार करने की भी प्रक्रिया advanced stage में है। मुझे विश्वास है कि आने वाले चंद सालों में इस पर निश्चित उपाय होगा, लेकिन otherwise यह दो महीने का समय दिल्ली के लिए निश्चित परिणाम का होता है और दो परसेंट से लेकर 40 परसेंट तक का प्रदूषण का हिस्सा पराली जलने का होता है।

MR. CHAIRMAN : Question No.63

# Prevention of wildlife trafficking of Red Pandas and Indian Pangolins

\*63. SHRI DINESH TRIVEDI: Will the Minister of ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE be pleased to state:

- (a) the number of red pandas and Indian pangolins in Singalila National Park and Neor a Valley National Park in West Bengal over the last three years;
- (b) whether their population has been decreasing, if so, the reasons therefor;
- (c) whether Government is aware of this decrease and has taken note of their crossborder poaching;
- (d) if so, targeted steps Government has undertaken to deal with this problem;
- (e) whether Government plans to develop a cross-border anti-trafficking network of bureaucrats, local stakeholders, environmentalists, NGOs and communities; and
- (f) if so, the details thereof, if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE (SHRI PRAKASH JAVADEKAR):

(a) to (f) A statement is laid on the Table of the House.

#### Statement

 (a) to (d) As informed by the Government of West Bengal, thepopulation of Red Panda was estimated to be 32 in Neora Valley National Park and 38 in Singalila National Park in the year 2012. Estimates indicate that the numbers of Red Panda after 2012 are on the rise.

Red Panda are found in the temperate montane forests in the eastern Himalayas. In India, Red Pandas are found in States of Sikkim, Arunachal Pradesh, West Bengal and Meghalaya. They are arboreal species and depend on bamboo for their survival.

As informed by the Government of West Bengal and Wildlife Crime Control Bureau, no case of Red Panda poaching or illegal trade of its body parts has been reported in West Bengal.

Indian Pangolins, also known as scaly ant eaters, live in burrows and are found in large numbers in tropical forests as well as open land, grasslands and degraded habitatsthrough out the country except North Eastern States. Population assessment of Indian Pangolins is not carried out.

As informed by the Wild Life Crime Control Bureau, the details of seizure of Pangolin scales/ Pangolinsmade in the country is as follows:

S.No.	Year	No. of cases	No. of accused arrested
1	2017	14	27
2	2018	19	70
3	2019	36	105
4	2020	27	77

The measures taken by the Government to control illegal poaching and illegal trafficking of wild animals including Pangolins and Red Pandasinclude:

- i. In the year 2018, the Standing Committee of National Board for Wildlife approved the inclusion of Red Panda as one of the species under 'Recovery Programme for Critically Endangered Species' for financial assistance under the Centrally Sponsored Scheme: 'Development of Wildlife Habitats'.
- The Government of India is supporting a project: 'Red Panda augmentation Programme in Singalila National Park and Neora Valley National Park in West Bengal', submitted by Government of West Bengal which, inter alia, includes conservation breeding of Red Panda and re-stocking of the population of Red Panda in the wild. Financial support to the tune of Rs. 2.446 Crores has been sanctioned to West Bengal under this project.
- iii. Funds are provided by the Government of India under 'Integrated Development of Wildlife Habitats' for habitat enrichment including maintenance of grasslands, which, *inter-alia*, helps in conservation of Indian Pangolin.

- iv. Both Indian Pangolin and Red Panda are listed in Schedule
   I of Wild Life (Protection) Act 1972, giving them the highest status of protection in the country.
- Wildlife Crime Control Bureaugathers intelligence about v. poaching and unlawful trade in wild animals and animal articles and is responsible for inter-state and transcoordination boundary in enforcement of wildlife laws.Wildlife Crime Control Bureau has coordinated species specific operation named LESKNOW towards control of poaching and illegal trade of lesser known wild animals including Pangolins. Wildlife Crime Control Bureau has regularly participated in global operations such as operation THUNDERBALL envisaged by INTERPOL's Wildlife working group for prevention of poaching and illegal trade of wildlife and their parts.
- (e) and (f) India is a member of South Asian Wildlife Enforcement Network and is also one of the collaborating nations with INTERPOL, which provide platform for cross border co-ordination among countries for sharing information and enforcement actions against transboundary wildlife crimes and illegal wildlife trafficking.

श्री दिनेश त्रिवेदी: सभापति महोदय, जब पर्यावरण की बात आती है, तो पूरी दुनिया उसके बारे में बात करती है। भारतवर्ष में पर्यावरण की बात हमारे वेदों में लिखी गई है और उनका उल्लेख भी है। हमारे "वसुधैव कुटुम्बकम्" का मतलब है - हर जीव, सिर्फ इंसान नहीं, और इन्हीं में रेड पाण्डा और इंडियन पेंगोलिन हमारे इस परिवार के सदस्य हैं। सर, बंगाल की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इनकी तादाद कुछ बढ़ी है- यह सुनकर अच्छा लगा। मेरा प्रश्न यह है कि आपने सिर्फ 2.44 करोड़ रुपये दिए हैं, तो क्या आप इस पर फिर से विचार करके हमारे इन जीवों की आयु बढ़े, उनका conservation हो, उसके बारे में विचार करेंगे?

श्री प्रकाश जावडेकर: हमारे सदस्य श्री दिनेश त्रिवेदी जी को प्रकृति और पर्यावरण की हमेशा बहुत चिंता होती है और मैं इसका स्वागत करता हूं। यह जो रेड पांडा है, उसके संबंध में यह जो सुझाव है कि क्या इसके conservation के लिए ज्यादा पैसे मिल सकते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि इसके लिए पैसे की कभी कमी नहीं रहेगी। चूंकि यह संख्या अभी थोड़ी-थोड़ी बढ़ रही है, तो संख्या ज्यादा बढ़ाने के संबंध में हमारा अच्छा अनुभव है - हमने बाघों की संख्या बढ़ाई है, शेरों की संख्या बढ़ाई है, हाथियों की संख्या बढ़ाई है, लेपर्ड्स की संख्या बढ़ी है और राइनो की संख्या भी बढ़ी है, तो उनकी संख्या बढ़ाने के लिए भी पूरा कार्यक्रम होगा और इसमें हम आप लोगों का भी साथ लेंगे।

श्री दिनेश त्रिवेदी: सर, इसके साथ ही साथ Indian pangolins के आंकड़े नहीं हैं। कहा गया है कि population assessment of Indian pangolins is not carried out. सर, आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है। जीपीएस है, व्यापक रूप से सेटेलाइट कनेक्टेड भी है, तो मेरा प्रश्न यह है कि क्या आप इसको consider करेंगे कि इसका आकलन किस प्रकार से हो?

श्री प्रकाश जावडेकर: ये pangolins हज़ारों की संख्या में हैं, लेकिन यह सच्चाई है कि poaching का भी मुद्दा वही आता है और इसलिए यह गंभीर मुद्दा है, तो इसका सही अंदाज़ा लगाने के लिए क्या technological options हैं, उनको देखा जाएगा और जैसे शेरों और बाघों का camera trap लगाकर देखा जाता है, वैसे ही इसमें क्या किया जाएगा, यह भी देखेंगे।

SHRI K.C. VENUGOPAL: Sir, through you, I would like to invite the attention of the hon. Minister towards a serious issue of man-animal conflict in the wildlife areas. Recently, in the districts of Kerala itself, so many people have died due to the animal attacks. They come into the rural villages and attack the people. Meanwhile, one more point is that recently, the Ministry has issued a draft buffer zone notification regarding some wildlife areas. For example, in Wayanad, they declared some buffer zones and in Sulthan Bathery town...

MR. CHAIRMAN: Please put the question.

SHRI K.C. VENUGOPAL: Shri Rahul Gandhi has already written a letter to the hon. Minister bringing this issue to his notice. Has a collective discussion with the people of that area been undertaken? Without having a discussion with the people of that area, the Government is going to notify the Draft Notification regarding the buffer zone. It is creating a huge issue in that area.

MR. CHAIRMAN: Venugopalji, you have raised the issue.

SHRI K.C. VENUGOPAL: Will the Government hold discussions with the people of that area?

MR. CHAIRMAN: Venugopalji, you have raised the issue. Let the Minister respond.

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Sir, through you, I would like to inform Venugopalji that we, in the Central Government, don't pick up villages and decide the Eco-Sensitive Zone. It is the State Government which gives the proposal. So, it is the State Government's proposal which is under consideration, but the final notification will happen only after we receive suggestions. That is why, we issue draft first and then we issue final notification. That is the first point.

As far as wildlife and human conflict is concerned, that is a very relevant and very serious issue. When we talk about elephant deaths or any wild animal's death, we must be sensitive and compassionate and we must also show our sensitivity. At the same time, let us not forget that in India last year, 100 elephants were killed in various incidents, but 500 people also got killed. So, this is a serious problem and we should not lose sense of proportion and take action. That is what we are doing now.

# श्री सभापतिः श्रीमती सीमा द्विवेदी।

श्रीमती सीमा द्विवेदी: सर, मैं पर्यावरण के बारे में कुछ पूछना चाहती हूं। मान्यवर, मेरे मन की एक जिज्ञासा है कि जो प्रदेशों में प्राइवेट नर्सिंग होम्स चलते हैं और बहुत सारे नर्सिंग होम्स अवैध चलते हैं, उनसे निकलने वाला जो कचरा होता, उसका वेस्ट मैनेजमेंट वे कैसे करते हैं और उनके वेस्ट से कितना सारा पॉल्यूशन होता है? क्या सरकार इसके बारे में कोई खास कदम उठा रही है, यह मैं जानना चाहती हूं।

श्री प्रकाश जावडेकर: सभापति महोदय, हमने वर्ष 2016 में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स तैयार किए। उनके अनुसार हर शहर या छोटा गांव भी जहां सैकड़ों बैड्स के प्राइवेट अस्पताल होते हैं, वैसे ही सभी प्राइवेट अस्पतालों से और बाकी जो पेशेंट्स को इन्डोर में रखते हैं, ऐसी सभी जगहों से बायोमेडिकल वेस्ट कलेक्ट होता है और इसका काम एजेंसी को दिया जाता है तथा उसका एक विशिष्ट तरीके से ही बायो डिस्पोज़ल हो, यह सुनिश्चित किया जाता है। जब कोविड का समय आया तो पीपीई किट और बाकी साधनों से बायोमेडिकल वेस्ट में एकदम बढ़ोतरी हुई, तो उसके लिए भी विशेष योजना बनाई गयी। हमारे यहां अच्छी तरह से वेस्ट मैनेजमेंट हुआ है, ऐसा दुनिया कह रही है।

MR. CHAIRMAN : Question No.64

## Induction Ceremony of Rafale Jets

\*64. DR. SANTANU SEN: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state the details of expenditure incurred in the ceremony organised for the formal induction of Rafale jets in Indian Air Force with all necessary break ups?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI RAJNATH SINGH): A Statement is laid on the Table of the House.

#### Statement

All new aircraft types in IAF are traditionally inducted through a befitting ceremony. The first five Rafale aircraft of IAF were formally inducted into IAF on 10<sup>th</sup> September, 2020. The arrangements for this event were made mostly through local resources of IAF. The total expenditure on the event was Rs. 41.32 lakhs including Rs. 9.18 lakh of GST.

DR. SANTANU SEN: Sir, in the reply, it has been mentioned Rs. 41.32 lakhs were spent on the arrangements for the induction ceremony, and, the arrangements for this event were made mostly through local resources of IAF. Will the hon. Minister be kind enough to let us know as to what are these 'local resources'?

MR. CHAIRMAN: Hon. Member wants to know what are the 'local resources'? जवाब में 'local resources' लिखा है।

श्री राजनाथ सिंह: सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि आर्मी के कुछ established traditions हैं और उन established traditions को आर्मी अथवा एयरफोर्स अथवा नेवी बराबर समय-समय पर फॉलो करती रहती हैं। जो यह अम्बाला में राफेल का induction हुआ है, उसके संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि फ्रांस का भी एक बहुत बड़ा delegation आया था, जिसको स्वयं वहां की Defence Minister lead कर रही थीं और यहां से मैं था। मेरे द्वारा ही वह handing over ceremony वहां पर हुई थी। जहां तक resources का प्रश्न है, मैं इस संबंध में बतलाना चाहूंगा कि राष्ट्रीय महत्व का यह जो आयोजन हुआ है, इसमें पब्लिक फंड के माध्यम से Local Code Head 786/25 के प्रोविज़न के तहत खर्च किया गया है। उपसभापति महोदय, पहली बार ही ऐसा खर्च नहीं हुआ है। इसके पहले Apache भी आया है, Chinook भी आया है। जब कभी भी इस प्रकार के एयरक्राफ्ट्स आए हैं, तो उनकी induction ceremony होती रही है और उनमें भी बराबर खर्च होता रहा है, लेकिन इस बार खर्च ज्यादा इसलिए भी हुआ है, क्योंकि फ्रांस और भारत के बीच में bilateral dialogues भी हुए थे, क्योंकि एक बहुत बड़ा delegation फ्रेंच डिफेंस मिनिस्टर के साथ आया था। वह मेरे हिसाब से बहुत बड़ा delegation था। नम्बर क्या है delegation का, कितने लोगों ने इस induction ceremony में participate किया, इसकी जानकारी माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दी गई है। DR. SANTANU SEN: Sir, my second supplementary to the hon. Minister is whether there is any probability that in the coming days, a few aspects of defence will be really privatised.

श्री राजनाथ सिंहः सभापति महोदय, वैसे मैं समझता हूं कि यह प्रश्न इससे संबंधित नहीं है, लेकिन माननीय सदस्य ने जानकारी चाही है, तो मैं बताना चाहूंगा कि हम तो indigenisation पर विशेष बल दे रहे हैं। 101 आइटम्स ऐसे हैं, जिनके बारे में हमने तय कर लिया है कि अब इनको हम दुनिया के दूसरे देशों से इम्पोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम भारत की धरती पर ही बनाएंगे और भारतीयों के द्वारा ही वे निर्मित होंगे।

DR. SASMIT PATRA: Sir, since the hon. Minister has mentioned about indigenisation, will the Minister kindly provide some information on what is the progress made by Dassault Reliance Aerospace Limited under the 'Indigenously Designed, Developed and Manufactured' initiative to manufacture components for legacy Falcon 2000 series of jets having a possibility of 100 million Euros investments, as has been reported?

श्री राजनाथ सिंहः सभापति महोदय, यह सप्लीमेंटरी क्वेश्चन इस ओरिजनल क्वेश्चन सेरिलेटेड नहीं है। यदि माननीय सदस्य जानकारी चाहेंगे, तो उन्हें देंगे। यह क्वेश्चन केवल induction ceremony से संबंधित है। फिर भी यदि आप जानकारी चाहेंगे, तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा।

श्री महेश पोद्दार: सभापति महोदय, मैं पहले तो रक्षा मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी को राफेल विमान के सौदों के लिए और उन्हें देश में लाने के लिए बधाई देना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि अब तक देश में कितने राफेल विमान आए हैं, कितने आने वाले हैं, कब तक आने वाले हैं और जो आ गए हैं, उनमें से कितने battle ready हैं और आने के बाद में कितने घंटों के अंदर हम उन्हें battle ready कर देते हैं?

श्री राजनाथ सिंह : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूं कि यहाँ पर अभी तक हमारे 11 राफेल आ चुके हैं और इसी मार्च तक 17 राफेल भारत की धरती पर होंगे। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि अप्रैल, 2022 तक हमारे सारे राफेल भारत में आ जाएंगे।

MR. CHAIRMAN: Question No. 65, Shri P. Bhattacharya. .. (Interruptions)..

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, what happened to your directive to the Defence Minister on the discussion of 17<sup>th</sup> September? ...(Interruptions)..

MR. CHAIRMAN: I have taken note of it. There are some sensitive issues involved. I will get back to you. Question No.65.

### Ceasefire violations by Pakistan

\*65. SHRI P. BHATTACHARYA: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) the details of cases of ceasefire violations by Pakistan during the last one year, till date;

(b) the number of persons who died due to ceasefire violations by Pakistan along with the details of loss of property; and

(c) the details of steps taken by Government to strengthen the border security in view of recent violation of ceasefire by Pakistan?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI RAJNATH SINGH): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

#### Statement

(a) and (b) The instances of Ceasefire Violation (CFVs) including Cross Border Firing (CBF) and details of casualties suffered by Security Forces during Ceasefire Violations including Cross border Firing along the Jammu & Kashmir Border in last one year and till 28 January, 2021 are as under:

SI.No.	Year	No. of CFVs			
(i)	2020	5133			
(ii)	2021 (till 28 Jan 21)	299			

There have been a total 46 fatal casualties in the year 2020. This year 01 fatal casualty of Army personnel has been reported till 01 February, 2021.

(c) Appropriate retaliation to the ceasefire violations, as required, has been carried out by the security forces. In addition, all violations of ceasefire are taken up with Pakistan authorities at the appropriate level through the established mechanism of hotlines, flag meeting as well as weekly talks between the Director Generals of Military Operations of the two countries. BSF, too, holds talks at various levels with its counterpart viz. Pakistan Rangers.

Diplomatically, India has repeatedly emphasised at the highest level, the need for Pakistan to uphold the sanctity of the Line of Control (LC) and the International Border as its obligations emanating from the understanding in vogue.

SHRI P. BHATTACHARYA: Sir, the hon. Minister has given the reply to my question. He said, "Appropriate retaliation to the ceasefire violations, as required, has been carried out by the security forces." But it has not been clearly mentioned what steps they are going to take up. I was told that in the figures, it has reduced. But every day in the newspapers we see that the ceasefire is violated by Pakistan. Why is the Government of India so much lethargic and why are they not taking any stern action against Pakistan for violation of ceasefire by them?

श्री राजनाथ सिंह : सभापति महोदय, सुस्ती का तो प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी सेना ने जिस प्रभावी तरीके से कार्रवाई की है - सेना ने इसके पहले भी कार्रवाई की है, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हमारी सरकार के आने के बाद ही सेना ने कार्रवाई की है, लेकिन अब हमारी सेना ने पाकिस्तान की शरारतों को सीमा तक ही सीमित कर दिया है।

सभापति महोदय, जिस प्रकार की कार्रवाई हमारी सेनाओं के द्वारा की जाती है, हमारी बीएसएफ द्वारा की जाती है तथा हमारी जो दूसरी forces हैं, उनके द्वारा की जाती है, सचमुच में उसकी जितनी सराहना की जाए, वह कम है। इस समय जिस प्रकार की कार्रवाई हो रही है - मैंने कहा है कि हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान की हरकतों को अब सीमा तक ही सीमित कर दिया है, इसलिए उनका सचमुच में अभिनंदन किया जाना चाहिए।

SHRI P. BHATTACHARYA: We are extremely happy for our soldiers, the way they are fighting against Pakistani forces. But I would like to know from the Minister what the Government's policy to stop these violations of ceasefire by Pakistan forces is. I was told that the Minister is a very effective person, but I do not know how much effectiveness is shown by him to stop the ceasefire. So, what is his and his Government's policy?

श्री राजनाथ सिंह : सभापति महोदय, वैसे तो मैं समझता हूं कि हमारे द्वारा कैसे कदम उठाए जाते हैं, हम किन-किन हथियारों का प्रयोग करते हैं, इसकी डिटेल में जाना उचित नहीं होगा और इस संबंध में प्रश्न पूछा भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आतंकवादियों को भारत की सीमा में infiltrate कराने के लिए पाकिस्तान के द्वारा बराबर ceasefire का violation किया जाता है। कभी-कभी भारत के अंदर उनके जो आतंकवादी हैं, उनको फिर से भारत से निकालने के लिए भी उनके द्वारा ceasefire violation का सिलसिला जारी किया जाता है। यह कोशिश उनके द्वारा बराबर होती है। महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि इधर ceasefire violation का कुछ नंबर बढ़ा भी है। वह इसलिए बढ़ा है, क्योंकि इस समय कुछ ज्यादा कार्रवाई हो रही है। जब कभी भी कश्मीर में अमन-व-अमान के हालात पैदा होने की स्थिति बनती है, उस समय भी पाकिस्तान के द्वारा यह ceasefire violation अधिक होता है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि सभी को इस पर यकीन होना चाहिए कि हमारी सेना बहुत ही प्रभावी तरीके से सीमा पर कार्रवाई कर रही है और ceasefire violation का जवाब दे रही है।

सभापति महोदय, यदि इसका कोई सचमुच सही जवाब दे सकता है, तो पाकिस्तान के हुक्मरानों का दिल ही इसका जवाब दे सकता है कि कैसे हमारी सेना उन्हें जवाब देने का काम कर रही है।

श्री गुलाम नबी आज़ाद : माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान की तरफ से जो ceasefire violation हो रहा है, उसकी निन्दा करता हूं। मैं माननीय डिफेंस मिनिस्टर से सवाल पूछना चाहता हूं कि इसी सरकार के दौरान ही क्यों ज्यादा ceasefire violation होता है? अगर हम UPA के 10 साल में देखेंगे, तो पूरे 10 साल में 550 ceasefire violations हुए। जब मैं चीफ मिनिस्टर था, तो एक साल ज़ीरो, दूसरे साल 3, तीसरे साल 21 और चौथे साल 77 violations हुए थे और इसी तरह से आगे भी रहे। यह अभी इस साल का ही प्रश्न नहीं है, पिछले साल का ही प्रश्न नहीं है, पिछले साल 5,133 ceasefire violations हुए, उससे पहले 2019 में 3,299 violations हुए, उससे पहले 2018 में 2,936, almost 3,000 violations हुए। इस तरह से 3,000, 3,500, 5,000, यह तो बहुत फर्क है, ज़मीन-आसमान का फर्क है! क्या इसमें हमारी foreign policy की बात है, क्योंकि पिछले 3-4 साल में हमारी जितनी भी neighbouring countries हैं, वे दूर हो गईं और यहाँ ceasefire violations हुए?

सर, मैं केवल एक मिनट लूँगा। इसका public impact क्या होता है? हमारे बहुत सारे लोग समझते हैं कि ceasefire violation कश्मीर में होता है, not knowing कि कश्मीर पाकिस्तान से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। पाकिस्तान की सीमा तो जम्मू के साथ है। यह जम्मू से 2 किलोमीटर-3 किलोमीटर, कठुआ से 2 किलोमीटर-3 किलोमीटर, सांबा से 2 किलोमीटर-3 किलोमीटर दूर है। इसलिए पाकिस्तान की जो policy है, वह है कश्मीर में militants का infiltration करना और जम्मू में, जो पाकिस्तान के साथ लगा हुआ है, वहाँ ceasefire violation करना। जम्मू-कठुआ-सांबा और उधर LoC के साथ पुंछ और राजौरी, इस तरह से जम्मू के पाँच districts पाकिस्तान के साथ लगे हुए हैं। इसलिए जितने ceasefire violations होते हैं, इन्हीं पाँच districts में होते हैं। इससे हमें चार नूकसान होते हैं। इसमें एक तो आदमी मारे जाते हैं, सबसे ज्यादा civilians मारे जाते हैं, उनके घर टूट जाते हैं, उनके मवेशी मर जाते हैं और उनकी फसल तबाह हो जाती है। मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जब मैं चीफ मिनिस्टर था, तो जम्मू, कठुआ और सांबा के लिए हमने बॉर्डर से 5 किलोमीटर दूर उनको जमीन दी, ताकि वहाँ गोला-बारूद न पहुँच जाए। हमने वह जमीन चुनी थी, कुछ जमीनें रह गई थीं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि एक तो ceasefire violation में जिनका loss of life होता है, उनको compensation मिलना चाहिए, जिनके मकान का नुकसान होता है, उनको compensation मिलना चाहिए, जिनके जानवर मर जाते हैं, उनको जानवर का compensation मिलना चाहिए और फसल का compensation मिलना चाहिए।

<sup>†</sup>**جناب غلام نبی آزاد:** مانّئے سبھا پتی مہودے، سب سے پہلے تو میں پاکستان کی طرف سے سیز فائر وائلیشن ہو رہا ہے، اس کی نندا کرتا ہوں۔ میں مانّئے ڈفینس منسٹر سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسی سرکار کے دوران ہی کیوں زیادہ سیز فائر فائلیشن ہوتا ہے؟

آج ہم یو پی۔اے۔ کے دس سال میں دیکھیں گے، تو پورے دس سال میں 550 سیز فائر وائلیشنس ہوئے۔ جب میں چیف منسٹر تھا، تو ایک سال زیرو، دوسرے سال تین، تیسرے سال اکّیس اور چھوتھے سال ستتّر وائلیشنس ہوئےتھے اور اسی طرح

سے ابھی بھی رہے۔ یہ ابھی اس سال کا ہی سوال نہیں ہے، پچھلے سال کا ہی سوال نہیں ہے، پچھے سال 5،133 سیزفائر وائلیشنس ہوئے، اس سے پہلے 2019 میں 3،299 وائلیشنس ہوئے، اس سے پہلے 2018 میں 2،936 3،000 almost وائلیشنس ہوئے۔ اس طرح سے 3،000، 3،500، 5،000، یہ تو بہت فرق ہے۔ زمین آسمان کا فرق ہے! کیا اس میں ہماری فورین پالیسی کی بات ہے، کیوں کہ پچھلے تین-چار سال میں ہماری جنتی بھی نیبرنگ کنٹریز ہیں، وہ دور ہو گئیں اور یہاں سیزفائر وائلیشنس ہوئے؟

سر، میں صرف ایک منٹ لوں گا۔ اس کا public impact کیا ہوتا ہے؟ ہمارے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ سیزفائر وائلیشن کشمیر میں ہوتا ہے، not knowing کہ کشمیر پاکستان سے سیکڑوں کلومیٹر دور ہے۔ پاکستان کی سیما تو جموں کے ساتھہ ہے۔ یہ جموں سے دو کلو میٹر -تین کلو میٹر، کٹھوا سے دو کلومیٹر -تین کلو میٹر، سامبا سے دو کلو میٹر -تین کلو میٹر دور ہے۔ اس لئے پاکستان کی جو پالیسی ہے، وہ ہے کشمیر میں militants کا nifiltration کرنا اور جموں میں، جو پاکستان کے ساتھہ لگا ہے، وہاں سیز فائر وائلیشن کرنا۔ جموں -کٹھوا-سامبا اور ادھر ایل۔او۔سی۔ کے ساتھہ پونچھہ اور راجوری، اس طرح سے جموں کے پانچ ڈسٹرکٹس پاکستان کے ساتھہ لگے ہوئے ہیں۔ اس لئے جتنے سیز فائر وائلیشن ہوتے ہیں، انہیں پانچ ڈسٹرکٹس میں ہوتے ہیں۔ اس سے ہمیں چار نقصان ہوتے ہیں۔ اس میں ایک تو آدمی مارے جاتے ہیں، سب سے زیادہ سویلئنس مارے جاتے ہیں، ان کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، ان کے مویشی مر جاتے ہیں اور ان کی فصل تباہ ہو جاتی ہے۔ میں مائئے رکشا منڈری جی سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں چیف منسٹر تھا، تو ران کی فصل تباہ ہو جاتی

سامبا کے لئے ہم نے بارڈر سے پانچ کلو میٹر دور ان کو زمین دی، تاکہ وہاں گولی بارود نہ پہنچ جائے۔ ہم نے وہ زمین چن تکہ وہاں گولی بارود نہ پہنچ جائے۔ ہم نے وہ زمین چنی تھی، کچھہ زمینیں رہ گئی تھیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو سیز فائر وائلیشن میں جن کا loss of اور ان کو کمپنسیشن ملنا چاہئے، جن اور life ہوتا ہے، ان کو کمپنسیشن ملنا چاہئے، جن کے مکان کا نقصان ہوتا ہے، ان کو کمپنسیشن ملنا چاہئے، جن کے حاور میٹر دور ان کو خوصل کا کمپنسیشن ملنا چاہتا ہوں کہ ایک تو سیز فائر وائلیشن میں جن کا life ہوتا ہوں کہ ایک تو سیز فائر وائلیشن میں جن کا cos

श्री राजनाथ सिंह : सभापति महोदय, माननीय गुलाम नबी आज़ाद जी ने जो compensation की बात कही है, उन्होंने जो अंतिम बात कही है, पहले मैं उसका उत्तर दे देता हूँ। Loss of life और loss of property का proper compensation दिया जाना चाहिए। हमारे माननीय गुलाम नबी आज़ाद जी को इस बात की जानकारी होगी कि जब civilians मारे जाते हैं, तो उनका compensation State Government के द्वारा दिया जाता है, Central Government उसका compensation ...(व्यवधान)... लेकिन State Government के द्वारा दिया जाता है। यही परंपरा पहले से चली आ रही है। लेकिन मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूँ कि पिछली बार जब मैं होम मिनिस्टर था, तो पहले compensation का amount बहुत ही कम था। पहले यदि तीन जानवर मारे जाते थे, केवल तभी compensation मिलता था, लेकिन मैंने बढ़ा कर यह कर दिया कि चाहे जितने भी जानवर मारे जाएँगे, वह compensation सभी को मिलेगा और हमने compensation

<sup>&</sup>lt;sup>[]</sup> Transliteration in Urdu script.

का amount भी बढ़ा दिया था। Bunkers भी बड़ी संख्या में बनाए जा रहे हैं, काफी बन चुके हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है, उस समय 14 हजार से अधिक का target था, उसमें काफी bunkers बन चुके हैं। जब ceasefire violation होता है और यदि किसी प्रकार से यह लगता है कि civilians के ऊपर हमला होगा अथवा वे घायल होंगे, तो हम उन civilians को निकाल कर दूर ले जाते हैं। उसके लिए पहले से कुछ निर्धारित स्थान होते हैं। यह व्यवस्था पहले से चली आ रही है।

एक बात और, जो आपने पूछी कि हमारे समय में ceasefire violations कम होते थे और आपके समय में ceasefire violations अधिक क्यों हो रहे हैं। जो ceasefire violations होते हैं, जब पाकिस्तान यहाँ कुछ घटनाएँ कराना चाहता है, जैसे पठानकोट की, नगरोटा की, उरी की, सुंजुवान की, पुलवामा की, जब भी भारत में ये सारे attacks होते हैं, तब वहाँ पर पाकिस्तान ceasefire violations का सिलसिला भी बढ़ा देता है। ऐसा नहीं है, इससे पहले 2003 में, जब पाकिस्तान ने पहले एकतरफा घोषित किया कि हम ceasefire violation नहीं होने देना चाहते, हम शांति करेंगे, उस समय परवेज़ मुशर्रफ साहब थे, उसके बाद लगातार, अब हमारे पास 2011 से आँकड़ा है, पहले 51 रहा, फिर बढ़ कर 93 हो गया, फिर 199 हो गया। मतलब यह कि उसके बाद यह लगातार बढ़ता ही गया। कम नहीं हुआ है। हाँ, मैं मानता हूं कि इस बार, 2020 में 4,649 ceasefire violations हुए हैं। लेकिन इतनी बात तो स्वीकार की जानी चाहिए कि हमारी आर्मी और हमारी security forces पूरी तरह से एलर्ट हैं। पाकिस्तान के द्वारा जो नापाक हरकतें की जा रही हैं, हमारी security forces उनका हर तरीके से मुंहतोड़ जवाब दे रही हैं।

MR. CHAIRMAN: Question No.66

# Human-animal conflict in the country

\*66. DR. BANDA PRAKASH: Will the Minister of ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE be pleased to state:

- (a) whether Government is aware of the fact that the population of various wild species have multiplied during the last few years and that they are posing danger by encroaching into agriculture fields and nearby human habitations, near forest borders due to insufficient food and water; and
- (b) if so, the measures taken by Government to control the human-animal conflict in the country?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE (SHRI PRAKASH JAVADEKAR): (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House.

## Statement

(a) and (b) As a result of concerted efforts made for protection and conservation of wildlife, the population of several wildlife species like Tigers, Elephants, Asiatic Lion, Rhino etc. in the country has increased. There are reports of wild animals moving out of the forests leading to human wildlife conflict situations.

The management of wildlife is primarily the responsibility of the concerned States/Union Territories.

The important steps taken by Government of India to manage and mitigate human-animal conflict in the country include:

i. Funds are provided under the National CAMPA for augmentation of fodder and water in forest areas for restricting wild animals to forest areas. An amount of Rs. 47,872.31 Crores has been provided to various States for promoting afforestation and achieving green objectives of the country during 2019-2020.

ii. Ministry provides financial assistance to States/UTs under the Centrally Sponsored Schemes of 'Development of Wildlife Habitats', 'Project Tiger' and 'Project Elephant' for management of wildlife and its habitats in the country. The broad activities supported under these schemes include habitat enrichment, water augmentation.

iii. The funds are also used for construction /erection of physical barriers such as solar powered electric fence, bio-fencing using cactus, boundary wall, animal proof trenches around forest, etc.

iv. The financial support to the States/UTs also includes a component of compensation due to damage by wild animals.

v. Voluntary relocation of villages from the core area of Tiger Reserves, National Parks and Sanctuaries are also being funded under the Centrally Sponsored Scheme: 'Integrated Development of Wildlife Habitats' as proposed by the State Governments for avoiding conflict.

vi. Periodic awareness campaigns to sensitize, guide and advise the general public on man-animal conflict, including dissemination of information through various forms of media.

vii. Directions have been sent to all States/Union Territories for use of undergrounding of cables upto 33 KV of electricity cables in forest areas and also maintaining transmission lines to avoid sagging.

viii. Government of India has issued Standard Operating Procedures (SOPs)/guidelines to manage Human-Tiger/Human-Leopard /Human-Elephant conflict.

ix. Ministry, in the year 2018, has increased ex-gratia relief under the Centrally Sponsored Scheme in case of depredation by wild animals.

x. Under the revamped operational guidelines of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna (PMFBY), issued by the Government of India (effective from the year 2020), States can provide add-on coverage for crop loss due to attack by wild animals.

xi. To mitigate human wildlife conflict along linear infrastructures like rail tracks, roads/highways and power transmission lines passing through the Protected Areas and other wildlife rich areas, the Standing Committee of National Board for Wildlife has recommended that all linear infrastructure development Agencies, should submit animal passage plans based on the guidelines prepared by Wildlife Institute of India.

xii. The Ministry has approved a project for undertaking immunocontraceptive measures for population management of wild animals.

DR. BANDA PRAKASH: Sir, in the last five years, in human-animal conflicts, more than 2,639 persons were killed whereas animals are in less number. Will you bring forward any policy to protect human beings living in those particular areas? What is the compensation you are paying for this?

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Sir, there are two ways to look at the problem. We are taking holistic view. First is, animals should not venture out of forest areas. How can that happen? Farmers told me that animals come out when they don't get enough water or fodder in forest areas. Then only, elephants and others come out. So, we have taken up a huge programme of fodder and water augmentation in forest areas. We distributed CAMPA funds amounting to Rs.47,000 crore to all the States. The main part of this work is fodder and water augmentation. We are also using new technology. This time LiDAR survey is being done in one forest in each State. This year, there will be complete good Watershed Management. So, water availability will increase. That is the first. Second is, we are also making it a participatory movement where people are made aware, and we are also creating hurdles on the path of animals from venturing out. We have noticed कि जब फसल तैयार होती है, तो वहां पर उनको fodder और बाकी सब चीज़ें तुरन्त मिल जाती हैं, इसके कारण भी वे जंगलों से बाहर आ जाते हैं। इसको रोकने के लिए हम comprehensive plan पर workout कर रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: Bandra Prakashji, your second supplementary, if you have.

DR. BANDA PRAKASH: Sir, as per the data available for the last five years from 2014 to 2019, 2,638 human beings were killed whereas compensation of Rs.510 lakh has been given. It is a very nominal amount. What is the budget you are allotting for compensation to human beings killed by animals? What is the support structure you are providing to the family members of the people killed in the conflict?

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Sir, as per the formula, the compensation is paid, and many State Governments are paying extra than what the Central Government is paying. Third, people now are also buying more insurance. We have taken very serious note of loss of human life in human-animal conflicts.

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, the Minister rightly said that the main reason for the animals moving out of forests is deforestation and lack of water. The move of the Government to augment fodder and water by way of providing funds to the tune of Rs.47,000 crore is appreciable. I would like to know how much amount has been given to the State of Tamil Nadu and what is the outcome or development after this scheme has been implemented.

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Sir, as far as amount is concerned, I would come back to the hon. Member because it is a long table. I will provide it separately. We have provided amount to each State and I will give you the figure in respect of Tamil Nadu. The issue is that Compensatory Afforestation Fund is given to the States, the fund which was not given for 15 long years. Because of a court case, the funds so collected were deposited here in the account and only a part of interest was given to the States every year. Now, we have won the case in Supreme Court. Thereafter, we had the Bill also here. We have passed the new Act. After that, we have distributed to all the States.

श्री सभापतिः श्री अनिल देसाई, आप बोलिये। ..(व्यवधान)... नहीं, जो सवाल पूछा है और जो प्रश्न पूछना चाहते हैं, उन्हें पहले मुझे नाम देना है।

श्री अनिल देसाई : माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने इस प्रश्न का काफी विस्तृत उत्तर दिया है।..(व्यवधान)... MR. CHAIRMAN: Please; some people are speaking from the Gallery. Everything is reverberating. Please try to understand.

श्री अनिल देसाई : माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने इस प्रश्न का काफी विस्तृत उत्तर दिया हुआ है और इस उत्तर में जो भी विश्लेषण है, उसके तहत राष्ट्रीय CAMPA के द्वारा वन्य पशुओं को वन क्षेत्रों तक सीमित रखने हेतु वन क्षेत्रों द्वारा चारे-पानी की मात्रा में वृद्धि करने के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं। जैसे पहले स्पीकर ने पूछा, उसी तरह से मैं भी पूछना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के लिए क्या राशि प्रदान की गई? वर्ष 2019-20 में तो राशि प्रदान की गई, परन्तु वर्ष 2020-21 में जब कोविड का समय था, क्योंकि यह काफी महत्व का विषय होने के कारण वनीकरण और वन्य पशुओं के विषय को महाराष्ट्र में काफी महत्व और प्राथमिकता दी जाती है, तो इस बारे में क्या है और आगे किस तरह से इसकी मात्रा में वृद्धि होगी या किस तरह से राशि प्रदान की जाएगी, यह बतायें।

श्री प्रकाश जावडेकर: महाराष्ट्र में 3,844 करोड़ रुपये CAMPA के तहत दिये गये हैं। यह हर साल जैसे-जैसे नया आता रहेगा, वैसे-वैसे डिलिवर करते जाएंगे। अब एक एस्क्रो एकाउन्ट टाइप व्यवस्था है, because it is the amount collected through the State, what was locked here, has been unlocked and, therefore, you have got Rs.113 crores.

SHRI BHUBANESWAR KALITA: The man-animal conflict in a forest area is, I think, of every State and everybody has brought supplementaries. My supplementary arises, particularly, from Assam. The reason for man-animal conflict, animals coming down from the forest, is depletion of forests and shortage of fodder and water. Sir, the Assam Government has taken appropriate steps to stop that by increasing forest cover. Eight crore new trees have been planted so that the fodder for the wildlife are available over there.

MR. CHAIRMAN: What is your supplementary?

SHRI BHUBANESWAR KALITA: Then, poaching of rhinos has been stopped. That is one credit of the Assam Government. To end up man-animal conflict and to supply them with fodder and water, the forest cover has to be increased, which has been done in Assam. My question is: What amount has been given to Assam in this regard?

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: As you know, the Finance Commission, this time, has increased the percentage of allocation on the basis of your jungle area, your forest area. So, last time, under the last Finance Commission, it was 7 per cent. Now, it is

10 per cent. So, that is a major thing which would bring more resources to maintain the forest area and develop the forest area.

As far as development of forest is concerned, I have very good news that we have increased tree and forest cover by 15,000 square kilometres in the last six years.

MR. CHAIRMAN: Question No.67, Shri Neeraj Dangi.

### Jaipur-Ajmer Expressway

\*\*67. SHRI NEERAJ DANGI: Will the Minister of ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS be pleased to state:

(a) the details of concessional period and rate of toll determined according to the traffic census and construction cost which was done prior to commencement of constructing Jaipur-Ajmer Expressway;

(b) whether concessional period and toll rate have been increased from time to time even after starting toll on the Jaipur-Ajmer Expressway toll road, if so, the reasons therefor; and

(c) whether traffic census has been conducted every year after starting toll on the Jaipur-Ajmer Expressway toll road, if so, the details thereof?

THE MINISTER OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS (SHRI NITIN JAIRAM GADKARI): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

#### Statement

(a) National Highways Authority of India (NHAI) has constructed six lane National Highway between Jaipur to Kishangarh with concession period of 20 years starting from 17.03.2003 to 16.03.2023. The total construction cost of this project is Rs. 614.50 crores. This stretch was having traffic intensity in the range of 35254 to 39439 Passenger Car Unit per day (PCU/day) prior to commencement of six laning work.

<sup>&</sup>lt;sup>I</sup> Origianal notice of the question was received in Hindi.

The rate of toll is determined according to Gazette of India notification S.O. 1457(E) dated 20.12.2003.

(b) Concession Period has not been increased for Jaipur-Kishangarh project. Toll rates are revised annually based on Whole Sale Price Index as notified under NH Act, 1956 and Concession Agreement.

(c) Traffic surveys have been conducted by Indian Highways Management Company Limited (IHMCL) near toll plaza at Thikariya and Kishangarh every year from 2015 to 2019. The average traffic on this stretch during this period is in the range of 74673 to 92020 PCU/day.

SHRI NEERAJ DANGI: Sir, my supplementary question is regarding Jaipur-Ajmer Expressway. मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि जयपुर-अजमेर एक्सप्रेसवे का निर्माण आरम्भ करने से पूर्व की गयी यातायात की गणना तथा उसकी निर्माण लागत के अनुसार निर्धारित की गयी रियायत अवधि तथा टोल की दर का ब्योरा क्या है और क्या जयपुर-अजमेर एक्सप्रेसवे टोल रोड पर टोल आरम्भ किये जाने के बाद भी समय-समय पर रियायत अवधि तथा टोल की दर में वृद्धि की गयी है, यदि हाँ, तो उसका कारण क्या है? क्या जयपुर-अजमेर एक्सप्रेसवे टोल रोड पर टोल आरम्भ किये जाने के बाद प्रतिवर्ष यातायात गणना करायी जाती है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

श्री नितिन जयराम गडकरी: माननीय सभापति महोदय, यह जयपुर-किशनगढ़ नेशनल हाईवे 6 लेन है, जिसकी total length 90 किलोमीटर है और यह 9.04.2005 को कम्प्लीट हुआ है। इसका concession period जो था, वह 17.03.2003 से 16.03.2023, 20 साल का था। इसके concession period में कोई increase नहीं किया गया है। इसकी total cost of the project Rs. 614.50 करोड़ थी। जब award किया गया था, तो उस समय NHAI की grant 211 करोड़ थी और traffic prior to commencement of work जो था, वह 35,254 to 39,439 PCUs per day था। माननीय सदस्य ने जो पूछा है, इसके बारे में Toll Notification dated 20.12.2003 निकला था। जो टोल बढ़ता है, वह based on Wholesale Price Index है और traffic census जो carried out होता है, वह every year from 2016-2020 ranging from 74673 to 92020 PCUs per day है और इसमें टोल का जो total collection FASTag से होता है, वह आज 92 per cent हो रहा है। इसमें जो toll collection ज्यादा होता है, तो आधा NHAI को मिलता है और आधा concessionaire को मिलता है, as far as contract यह तय हुआ है। अभी तक total toll collection 3,507 करोड़ हुआ है और इसमें से NHAI को 363 करोड़ रुपये मिले हैं। इसके बारे में कोई complaint अभी तक नहीं आयी है।

श्री सभापतिः नीरज डांगी जी, क्या आपका second supplementary question है?

# श्री नीरज डांगीः नहीं, सर। धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: Thank you. Then, Shri A. Vijayakumar.

SHRI A. VIJAYAKUMAR: Sir, I want to know from the hon. Minister as to when will the Kanyakumari-Trivandrum four-lane Project be finished, and opened for public usage.

SHRI NITIN JAIRAM GADKARI: Mr. Chairman, Sir, I don't have the exact information about that project. We are doing a lot of projects and the number of projects which we are doing is more than 3,000. Out of which, one of the projects relate to Kanyakumari. As far as my information and knowledge is concerned, I am not very much sure about it, it is already going on, and it will be completed as early as possible.

श्री हरनाथ सिंह यादवः मान्यवर, वाहन चालक अधिक कार्यभार व अल्प वेतनभोगी होने के कारण तनाव में रहते हैं, परिणामतः अधिक सड़क दुर्घटनाएँ होती हैं। माननीय मंत्री जी से मेरा सवाल यह है कि वाहन चालकों की निजी समस्याओं के निदान व दक्षता वृद्धि हेतु सरकार ने क्या कोई कार्य योजना तैयार की है?

श्री नितिन जयराम गडकरी: महोदय, हमारे देश में हर साल करीब 5 लाख accidents होते हैं और डेढ़ लाख लोगों की मौतें होती हैं। कोविड काल में भी एक साल में जितना नहीं हुआ, उससे ज्यादा इससे नुकसान होता है। इसमें road engineering के बारे में भी कुछ प्रश्न आये, जिनके ऊपर हमने बड़े परिमाण में काम हाथ में लिये हैं। इसके साथ-साथ automobile engineering में भी काफी सुधार किया गया है, airbag से लेकर काफी चीज़ों के बारे में सरकार ने निर्णय किया है। ड्राइवर्स के प्रशिक्षण के लिए करीब 1,000 स्कूल्स देश में खोलने की भी व्यवस्था की गयी है। इस बार ड्राइवर के साथ, विशेष रूप से ट्रक में जो केबिन होता है, उसकी AC करने के बारे में भी हमने बीच में manufacturer से चर्चा की थी, क्योंकि वे 14-14 घंटे ड्राइविंग करते हैं। विशेष रूप से western countries में, अमेरिका में और बाकी जगहों पर इसके बारे में नियम बने हुए हैं कि ड्राइवर को कितने सालों तक कितने घंटे तक चलना चाहिए और हमारे देश में उसके बारे में अभी तक ऐसा नियम हम नहीं बना पाये हैं। फिर भी ड्राइवर्स के हेल्थ के लिए कैम्प भी लगाये जाते हैं और नये Motor Vehicles Act में ड्राइवर्स की सेफ्टी के बारे में और उनके अधिकारों के बारे में, चाहे वे प्राइवेट टैक्सी चलायें, ट्रक चलायें, बसेज़ चलायें, उनके बारे में हम बहुत सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हैं।

MR. CHAIRMAN: The voice is not coming. आपकी आवाज़ नहीं आ रही है।

**डा**. अशोक बाजपेयी : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा कि इतने बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण गुणवत्तापरक हुआ है, लेकिन उसके साथ ही माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि नेशनल हाइवे 24, जो लखनऊ से दिल्ली तक आता है, उसका लखनऊ से शाहजहाँपुर तक का हिस्सा बहुत खराब है। सीतापुर से शाहजहाँपुर के बीच का यह पैच लगभग 80 किलोमीटर का है, जो कई वर्षों से खराब है। मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि इसे प्राथमिकता के आधार पर निर्मित कराने का काम करें।

श्री नितिन जयराम गडकरी : माननीय सभापति महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण रास्ता है। हम लखनऊ से कानपुर तक नई alignment के साथ ग्रीन एक्सप्रेस हाइवे बना रहे हैं। उसकी land acquisition और alignment पूर्ण हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की सरकार और मुख्य मंत्री से चर्चा करने के बाद यह alignment पक्का हुआ है और आने वाले तीन महीने में लखनऊ से कानपुर तक का हाइवे के एक्सप्रेस हाइवे, जो access controlled है, उसके कार्य का शुभारंभ होगा। जहाँ तक कानपुर के बाद दिल्ली की तरफ आने के लिए जो रोड है, जो एनएच-24 है, वह दिल्ली से मेरठ तक 16 लेन्स का बनी हुई है। वर्ल्ड में पहली बार 16 लेन्स की रोड दिल्ली से जाते समय आगे मेरठ तक है। इसके आगे भी विस्तार करने के बारे योजना तैयार की गई है और 'भारत माला' प्रोजेक्ट में भी उनमें से एक प्रोजेक्ट है। आने वाले समय में लखनऊ से दिल्ली तक फास्ट एक्सप्रेस हाइवे होगा, access controlled होगा और आने वाले नए साल में इस पर काफी कामों की शुरुआत हो जाएगी।

डा. अशोक बाजपेयी : माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि एनएच-24 ...(व्यवधान)...

श्री सभापति : नहीं, नहीं, मैंने आपको supplementary question पूछने का मौका दिया। आपने प्रश्न पूछ लिया और उसका जवाब भी आपको मिला है। I have gone to next question; Question No. 68.

# Releasing funds to Polavaram Project

\*68. SHRI V. VIJAYASAI REDDY:

Will the Minister of JAL SHAKTI be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Chief Minister of Andhra Pradesh has given a plan for flow of funds to Polavaram Irrigation Project to ramp up works and avoid delays;

(b) whether it is also a fact that there is a lengthy process in releasing funds to Polavaram Project, right from proposal receiving from AP Government to sending money into Polavaram Project Authority;

(c) whether any serious thought has been given to the CM's proposal; and

(d) if so, the outcome thereof?

THE MINISTER OF JAL SHAKTI (SHRI GAJENDRA SINGH SHEKHAWAT): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

#### Statement

(a) to (d) Hon'ble Chief Minister, Government of Andhra Pradesh (GoAP), vide letter dated 05.02.2020, has inter-alia requested for intervention of Government of India to streamline the procedure for reimbursement of project cost to GoAP in respect of Polavaram Irrigation Project (PIP).

Government of India has been reimbursing the expenditure on Irrigation component of the PIP with effect from 01.04.2014, upon receipt of verified bills and recommendations from the Polavaram Project Authority (PPA) and Central Water Commission (CWC), with the approval of Ministry of Finance (MoF).

Funds are being provided for PIP through Extra Budgetary Resources (EBR) from NABARD under Long Term Irrigation Fund (LTIF), after seeking specific approval from MoF.

Further, NABARD raises the funds from the market once requirement of requisite amounts is conveyed to them by this Ministry. NABARD normally requires about two to three weeks to arrange funds from market (depending upon market conditions) and transfer to National Water Development Agency (NWDA). Thereafter, the funds are transferred to the GoAP promptly by PPA, normally within one or two working days.

Response along above lines, was duly conveyed to the Hon'ble CM, GoAP, vide letter dated 06<sup>th</sup> July 2020.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, in March, 2020, the hon. Minister told in Lok Sabha that the Revised Cost Committee recommended revised estimates at Rs.47,725 crores, but the Technical Advisory Committee (TAC) has given investment clearance for Rs.55,656 crores as per 2017-18 price levels. The State Government so far has spent about Rs.2,500 crores of its own money for the national project. I would like to know from the Minister as to when the Ministry is planning to approve the revised amount cleared by TAC.

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने यह जानना चाहा है कि यह revised cost estimate, जिसे जल शक्ति मंत्रालय ने approve किया था...(व्यवधान)...

श्री सभापति : मंत्री जी, आपकी आवाज़ कट रही है। Shekhawatji, you are taller, the mic is smaller. Please sit down and then speak.

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने यह जानना चाहा है कि Revised Cost Committee ने जो अनुशंसा की है, उसे कब स्वीकार किया जाएगा? मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि Andhra Pradesh Reorganization Act में पोलावरम प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट declare किया गया था और राज्य सरकार उसे बनाएगी, इस बात का निर्णय हुआ था, तब उसी एक्ट में यह लिखा गया था। इस एक्ट का कैबिनेट नोट Finance Ministry ने मूव किया था और उसमें यह लिखा गया था कि 2013-14 के प्राइस लेवल पर इसे पूरा किया जाएगा और उससे आगे price escalation की अनुमति नहीं दी जाएगी। सर, Revised Cost Committee ने अपनी पूरी गणना करके प्रोजेक्ट की further cost as on 2017 work out की है। मुझे लगता है कि अभी इसके आगे के विषय पर विचार किया जाना बाकी है। इसके आगे के विषय पर विचार करके केबिनेट के पास भेजा जाएगा और केबिनेट इस पर जो भी निर्णय करेगी, उसी के अनुरूप आगे कार्रवाई होगी।

MR. CHAIRMAN: Now, second supplementary.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, the hon. Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu, wants to complete this project by early next year, that is, 2022. But, there is a huge problem with flow of funds at times. It is impacting the progress of the work. As suggested by our hon. Chief Minister, the Ministry could create a revolving fund with Polavaram Project Authority, whereby money pooled by NABARD would be deposited in this fund and the Government of Andhra Pradesh sends the project expenditure to Polavaram Project Authority (PPA) and, after verification, deposit that amount in the current account we opened in the name of Polavaram Project, so that flow of funds would not be affected.

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : माननीय सभापति महोदय, जहाँ तक flow of funds का प्रश्न है, मैं सदन और सदन के माननीय सदस्यों को इस बात के लिए निवेदन करना चाहता हूँ कि flow of funds को लेकर किसी तरह की कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि जब यह तय किया था कि यह नेशनल प्रोजेक्ट बनेगा, तभी यह तय किया गया था कि यह reimbursement mode पर pay किया जाएगा। सर, हम एलटीआईएफ में नाबार्ड के माध्यम से पैसा रेज़ करके राज्य सरकार को देते हैं। राज्य सरकार बिल्स सबमिट करती है, सारे डॉक्युमेंट्स का verification होता है और उसके बाद हम पैसा रिलीज़ करते हैं। मुझे लगता है कि इसे लेकर कोई चुनौती नहीं है, बल्कि चुनौती यह है कि अभी राज्य सरकार को जिन विषयों में और तेजी के साथ काम करने और ध्यान देने की आवश्यकता है, वे R&R रिलेटेड इश्यूज़ हैं। मैं मानता हूँ कि इस प्रोजेक्ट को जिस अपेक्षा और भावना के साथ माननीय मुख्य मंत्री, आंध्र प्रदेश पूरा करना चाहते हैं, वह R&R issues को गति प्रदान किए जाने के बाद ही पूरा हो पाएगा।

MR. CHAIRMAN: Now, next supplementary, Shri G.V.L. Narasimha Rao.

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: Sir, I thank the hon. Prime Minister and the Minister for releasing Rs.10,848 crores towards Polavaram Project so far and only in December, Rs.2,234 crores have been released. I would like to thank the Government for this. My question to the hon. Minister is: By what date, by what timeframe, are you visualising the completion of the Polavaram Irrigation Project?

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : सर, जहाँ तक पोलावरम प्रोजेक्ट के काम के completion की बात है, मैंने अभी कहा कि यह राज्य सरकार द्वारा संपादित किया जा रहा है। जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है, spillway का काम अभी लगभग अगले तीन महीने में पूरा होगा और cofferdam बनने के बाद 41 मीटर तक की हाइट तक पानी एक बार स्टोर किया जा सकेगा, लेकिन उसके बाद की प्रगति, जैसा कि मैंने अपने पिछले supplementary question के उत्तर में बताया कि इस बात पर निर्भर करेगी कि राज्य सरकार R&R रिलेटेड एक्टिविटीज़ को किस गति के साथ पूरा कर पाती है।

MR. CHAIRMAN: Right. Now, we will move to the next question... (Interruptions)...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, I have requested for a supplementary.

MR. CHAIRMAN: Right. Please ask quickly.

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, the hon. Minister has mentioned about the delay in the R&R of Polavaram Project. Could he please apprise us about the number of families which have not been settled and how many acres of submersions is caused by that?

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कुल मिलाकर एक लाख एकड़ लैंड का submergence as such चिन्हित किया गया था, लेकिन फर्स्ट फेज़ में जितनी फैमिलीज़ को -- अभी 41 मीटर की हाइट पर जो submergence होगा, उसमें जितनी फैमिलीज़ हैं, वे affected हैं। अभी उन फैमिलीज़ में से लगभग 35 परसेंट के आसपास फैमिलीज़ को वहाँ से मूव किया गया है। अभी शेष habitation पर काम होना है। हमे पोलावरम प्रोजेक्ट अथॉरिटी की चेयरमैनशिप में Field Survey team भेजी थी उनके द्वारा जो डिटेल भेजी गई, उस डिटेल के अनुरूप जो शेष बची हुई affected families हैं, मैं उनका ब्योरा माननीय सदस्य के पास भेज दूँगा।

MR. CHAIRMAN: Question No. 69. The hon. Member is absent and there are no supplementary questions also. The Answer to be laid on the Table.

\* 69. [The questioner was absent.]

# Providing arms to forest guards and rangers

\*69. SHRI PRABHAKAR REDDY VEMIREDDY: Will the Minister of ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE be pleased to state:

- (a) the details of States which are providing arms to forest guards and rangers
- (b) whether according to a report more than thirty per cent of world's fatal attacks on rangers took place in India;
- (c) whether the Ministry, as suggested by Supreme Court, proposes to create a separate wing in the Enforcement Directorate to check wildlife trafficking, timber mafia, poachers and forest encroachers; and
- (d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE (SHRI PRAKASH JAVADEKAR): (a) to (d) The Statement is laid on the table of the House.

## Statement

(a) As per information received from the States and Union Territories (UTs), the States/UTs of Andaman and Nicobar Islands, Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Chandigarh, Chhattisgarh, Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Tripura, Uttar Pradesh, Uttarakhand and West Bengal have provided arms to different levels of frontline staff including forest guards and forest rangers. In the State of Manipur procurement of arms is under process.

(b) No such official report is available with the Ministry.

There is a non-official global forum namely International Ranger Federation which publishes Roll of Honour every year enlisting deaths of Rangers naturally or otherwise. This report has not been authenticated/verified by the Government.

Range Officers are the frontline forest officers who fearlessly protect our forest and wildlife and fight with wildlife poachers, timber smugglers and encroachers. It is true that in this commendable effort to protect our forest and wild life they have laid down their lives. Their martyrdom and effortshave been acknowledged for the first time at the national level and 25 forest staff have been given the certificate of recognition posthumously on the Forest Martyrs Day on 11 September 2020.

(c) & (d) In the order by Hon'ble Supreme Court in I.A. No. 941/2021 and Interlocutory Application Nos. 94310, 94313 and 94317/2020 dated 08.01.2021, there is no specific direction to the Ministry in this regard.

For the purpose of fighting wildlife crime and trafficking, the Wildlife Crime Control Bureau under the Ministry is empowered to collect and collate intelligence related to organized wildlife crime and coordinate action by various officers, State Governments and other authorities.

MR. CHAIRMAN: Question No.70.

#### Development of traditional arts

\*\*70. SHRI BRIJLAL: Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

(a) the details of schemes in place for development of traditional arts of the country;
(b) whether any scheme is under consideration to identify and develop local arts of other States on the lines of 'One District One Product' scheme popularly known as ODOP being run by Government of Uttar Pradesh; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (SHRI NITIN JAIRAM GADKARI): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

<sup>&</sup>lt;sup>I</sup> Origianal notice of the question was received in Hindi.

#### Statement

(a) Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises is implementing a scheme titled 'Scheme of Fund for Traditional Industries (SFURTI)'. The main objective of the SFURTI scheme is to organize the traditional industries and artisans into clusters, including clusters of traditional arts, to make them competitive and provide long term sustainable employment.

Under the scheme, two types of clusters are set up. The maximum financial assistance provided is Rs.2.50 crore for a Regular Cluster (up to 500 artisans) and Rs.5.00 crore for a Major Cluster (more than 500 artisans). The assistance includes infrastructure development like setting up of Common Facility Centers, procurement of new machineries, raw materials, along with training, exposure visits, etc.

Till date, 335 clusters have been approved under the scheme and 82 clusters are functional. These clusters include sectors like Khadi, Coir, Handloom, Traditional Dress Making, Handicraft, Hraditional Arts like — Kalamkari, Dokra art, Bamboo products, Food processing including honey, etc. The list of these clusters is placed at **Annexure**.

**Besides** this, Ministry of Textiles implements schemes for development of traditional arts under 'National Handicraft Development Programme (NHDP)' that has 7 components namely (i) Ambedkar Hastshilp Vikas Yojana (Base Line Survey & Mobilization of artisans), (ii) Design & Technology Up gradation, (iii) Human Resource Development, (iv) Direct Benefit to Artisan, (v) Infrastructure and Technology Support, (vi) Research and Development and (vii) Marketing Support & Services. In addition, Ministry of Textiles implements 'Comprehensive Handicrafts Cluster Development Scheme (CHCDS)' that has two components namely Mega Cluster & Special Projects under Integrated Development and Promotion of Handicraft (IDPH).

Ministry of Tourism under the Swadesh Darshan scheme provides financial assistance to the State Govt./UTs/Central Agencies for setting up projects as part of development of tourism infrastructure in the country. Craft Haat/Craft Bazaar, Open Air Theatre/Amphi theatres, Souvenir Shops are set up under the scheme to help development of traditional arts in the country.

Ministry of Minority Affairs is implementing a scheme titled USTTAD (Upgrading the Skills and Training in Traditional Arts/ Crafts for Development) that aims at capacity building and upgrading the traditional skills of master craftsmen/artisans; training of minority youths in various identified traditional arts/crafts; develop national and international market linkages and preservation of

languishing arts/crafts. Hunar Haat has been implemented as a component of this scheme which is an effective platform wherein opportunity is given to minority artisans/craftsmen and culinary experts from across the country to showcase and market their finest handicraft and exquisitely crafted indigenous products. 23 Hunar Haats have been organized since November, 2016 till December 2020 at different places.

Ministry of Rural Development under Deendayal Antyodaya Yojana-National Rural Livelihood Mission (DAY-NRLM) is implementing a scheme for promoting handloom and handicraft artisanal clusters. The scheme is being implemented in 13 States (Assam, Bihar, Chattisgarh, Gujarat, Jharkhand, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh and West Bengal).

(b) and (c) No, sir.

#### <u>Annexure</u>

## State-wise details of SFURTI clusters

S.	State	District	Cluster Name	No. of	Approved	Status
No.				Artisans	Cost (Rs. in	
					Lakh)	
1.	Andaman & Nicobar	South Andaman	Andaman Coir	400	249.28	Under implementation
2.	Andhra Pradesh	Chittoor	Chittoor Tamarind	1377	324.10	Under implementation
3.	Andhra Pradesh	Chittoor	Srikalahasthi Kalamkari	300	121.49	Functional
			Craft Cluster			
4.	Andhra Pradesh	Chittoor	Chittoor Coir Cluster	1600	112.03	Under implementation
5.	Andhra Pradesh	East Godavari	Jonada Food	461	155.88	Under implementation
6.	Andhra Pradesh	East Godavari	Amlapurm Coir Cluster	1060	313.94	Under implementation
7.	Andhra Pradesh	East Godavari	Kadiyapulanka Coir	1000	377.29	Under implementation
			Cluster			
8.	Andhra Pradesh	East Godavari	Agro Industry	776	260.29	Under implementation
			Horticulture and			
			Floriculture, Herbal			
			medicines, forest			
			produce			

9.	Andhra Pradesh	Guntur	Mangalgiri Gold Jewellery	1017	425.71	Functional
10.	Andhra Pradesh	Krishna	Kondapali Wooden Toys	201	132.85	Under implementation
11.	Andhra Pradesh	Visakhapatnam	Visakhapatnam Coffee Cluster	500	165.25	Under implementation
12.	Andhra Pradesh	Vizainagaram	Vizainagaram Coir Cluster	400	266.59	Functional
13.	Andhra Pradesh	Vizianagaram	Vizianagarm Gold Jewellery Cluster	1008	440.12	Under implementation
14.	Arunachal Pradesh	East Siyang	Eri Silk Khadi Cluster	224	92.58	Functional
15.	Arunachal Pradesh	Lower Subansiri	Handloom	225	83.31	Functional
16.	Arunachal Pradesh	Namsai	Aloe-vera, Turmeric, Moringa and Mushroom and value addition cluster	575	396.70	Under implementation
17.	Assam	Baksa	Manas Traditional Dress	550	140.50	Functional
18.	Assam	Barpeta	Barpeta Brass Metal cluster	544	143.99	Functional
19.	Assam	Barpeta	Chenga Traditional Dress Making Cluster	672	298.83	Under implementation
20.	Assam	Bongaigaon	Birangana Agro Processing Cluster	500	256.83	Under implementation

21.	Assam	Cachar	Tapang Shitalpati	615	355.16	Under implementation
			Cluster			
22.	Assam	Darrang	Cane and Bamboo	550	92.34	Functional
			Cluster			
23.	Assam	Darrang	Traditional Dress	350	121.40	Under implementation
			Making & Embroidery			
			Cluster			
24.	Assam	Dhubri	ChaparTerracota	432	108.17	Functional
			Cluster			
25.	Assam	Dibrugarh	Weaving Readymade	695	211.76	Under implementation
26.	Assam	Dibrugarh	Dhemechi Organic	700	245.99	Under implementation
			Green Tea Cluster			
27.	Assam	Goalpara	Sitalpati Cluster	550	94.38	Functional
28.	Assam	Goalpara	Balijana Dress Making	250	162.59	Under implementation
			& Handicraft Cluster			
29.	Assam	Goalpara	Kuchdhuwa Turmeric	700	117.84	Under implementation
			Cluster			
30.	Assam	Golaghat	Bosa Kumar Gaon	128	99.69	Under implementation
			Pottery Cluster			
31.	Assam	Jorhat	Majuli Handicraft, Endi	252	137.30	Functional
			Silk, Diversified			
			Handloom			

32.	Assam	Kamrup	Artistic Textiles Cluster	300	131.02	Under implementation
33.	Assam	Kamrup	Demoria Cluster	550	398.91	Under implementation
34.	Assam	Kamrup	ChaygaonAgro Cluster	641	167.73	Under implementation
35.	Assam	Kamrup	Brass Metal Cluster, Hajo Development	500	249.79	Under implementation
			Block			
36.	Assam	Kamrup, Hajo	PSK Silk Khadi Cluster	261	175.13	Functional
37.	Assam	Kamrup, Mirza	Hastkala Shilpa Cluster	544	143.99	Functional
38.	Assam	KarbiAnglong	Lumbajong Ginger and Turmeric Cluster	614	358.81	Under implementation
39.	Assam	Kokrajhar	Traditional Dress Making & Embroidery Cluster	350	122.52	Functional
40.	Assam	Lakhimpur	Silk Khadi Cluster	400	182.64	Under implementation
41.	Assam	Lakhimpur	Gorchiga Traditional Handloom Cluster	409	250.39	Under implementation
42.	Assam	Morigaon	Baghara Traditional Dress Making Cluster	350	210.69	Under implementation
43.	Assam	Nagaon	Silk and Handicraft Cluster	300	258.80	Under implementation
44.	Assam	Sonitpur	Naharbari Tea Cluster	1981	330.56	Functional
45.	Assam	Tinsukia	Rampur Tea Cluster	530	424.88	Under implementation

46.	Assam	Udalguri	Artistic Textiles Cluster	300	133.08	Under implementation
47.	Bihar	Gaya	Mushroom and Baby	799	364.65	Under implementation
			Corn processing and			
			Value-addition Cluster			
48.	Bihar	Madhubani	Madhubani Art Cluster	600	147.89	Functional
49.	Bihar	Madhubani	Makhana Processing	878	303.00	Under implementation
			and Value Addition			
			Cluster			
50.	Bihar	Muzafarpur	Khudani Agro Producer	501	482.655	Under implementation
			Cluster			
51.	Bihar	Purnea	Banana & Jute Fibre	1000	448.41	Under implementation
			Craft Cluster			
52.	Bihar	Rohtas	Rohtas Pottery	150	127.87	Under implementation
53.	Chattisgarh	Bastar	Bastar Handicraft	600	98.03	Functional
			Cluster			
54.	Chattisgarh	Dantewada	Herbal	650	195.94	Under implementation
55.	Chhatisgarh	Korba	Bamboo Craft Cluster	903	344.88	Under implementation
	Ob attic mark	Deinur		200	00.15	
56.	Chattisgarh	Raipur	Pressed Dry Flower	389	93.15	Functional
			Cluster	500		
57.	Gujarat	Anand, Tarapur	Coir	500	247.48	Under implementation
58.	Gujarat	Banaskantha	Samvedana Coir	500	149.99	Functional
			Cluster*			

59.	Gujarat	Baruch	Sujani (Quilt) Cluster	410	247.35	Under implementation
60.	Gujarat	Narmada	Tilakwada Bamboo Craft Cluster	415	213.14	Under implementation
61.	Gujarat	Navsari	Cane & Bamboo Cluster	250	144.13	Under implementation
62.	Gujarat	Navsari	Patch Work and Embroidery Cluster	455	234.92	Under implementation
63.	Gujarat	Surat	Blacksmithy and Agri tools	498	118.57	Functional
64.	Gujarat	Surendra Nagar	Embroidery & Stitching Cluster, Kharaghoda	600	243.02	Under implementation
65.	Gujarat	Тарі	Bamboo Cluster	512	207.90	Functional
66.	Haryana	Hissar	Zari Zuti/ Handicraft	500	231.56	Under implementation
67.	Haryana	Panipat	Durries/Carpet/ Handicraft	329	122.29	Functional
68.	Haryana	Sonipat	Moringa paper production and value addition cluster	509	359.32	Under implementation
69.	Himachal Pradesh	LahaulSpiti	Shansha Cut Flower Cluster	225	167.24	Under implementation
70.	Himachal Pradesh	LahaulSpiti	Gondla Cut Flower Cluster	126	150.24	Under implementation

71.	Himachal Pradesh	Sirmour	Triloki Enriched	200	196.89	Under implementation
			Composting/ Vermi-			
			Composting Cluster			
72.	Jammu and Kashmir	Anantnag	Martand Chainstich and	5000	450.00	Functional
			& Crewel Embroidery			
			Cluster			
73.	Jammu and Kashmir	Bandipora	Bandipora Karaj Bee	250	211.35	Under implementation
			Keeping			
74.	Jammu and Kashmir	Baramulla	Pattan Embroidery	236	248.37	Under implementation
			Cluster			
75.	Jammu and Kashmir	Budgam	Sukhnag Sozni	5000	445.00	Functional
			Embroidery Cluster			
76.	Jammu and Kashmir	Doda	Kailashkund Bee	300	126.85	Under implementation
			Keeping			
77.	Jammu and Kashmir	Kishtwar	Manufacturing of	418	196.00	Under implementation
			essential Oils from			
			flowers, Hebs and Nuts			
78.	Jammu and Kashmir	Pulwama	Vitasta Hosiery Cluster	236	216.46	Under implementation
79.	Jammu and Kashmir	Ramban	Banihal Bee Keeping	157	128.14	Under implementation
80.	Jammu and Kashmir	Samba	Samba Bee Keeping	164	124.01	Under implementation
81.	Jammu and Kashmir	Srinagar	Kasur Maunch Srinagar	1200	299.80	Under implementation
82.	Jammu and Kashmir	Srinagar	Sozni Embroidery	571	259.20	Under implementation
			cluster			

83.	Jharkhand	Bokaro	Gumla Food Processing	800	254.24	Functional
84.	Jharkhand	Bokaro	Annat Dev Woodcraft	150	238.84	Under implementation
			Cluster			
85.	Jharkhand	Deogarh	Santhal Pragana Silk	681	150.00	Functional
			Cluster			
86.	Jharkhand	Godda	Basantrai Badge and	207	217.5	Under implementation
			Embroidery Cluster			
87.	Jharkhand	Gumla	Lac and other NTFP	500	149.32	Under implementation
			Processing Cluster			
88.	Jharkhand	Hazari Bagh	KariyatPur Brass	266	241.58	Under implementation
			Manufacturing Cluster			
89.	Jharkhand	Koderma	Agarbatti Cluster	250	127.44	Under implementation
90.	Jharkhand	Lohardaga	Honey Bee-keeping	250	146.45	Under implementation
			Cluster			
91.	Jharkhand	Ramgarh	Gold & Silver Jewellery	500	310.54	Under implementation
			Cluster			
92.	Jharkhand	Ranchi	Bundu Lac Farming &	500	480.00	Under implementation
			Processing Cluster			
93.	Jharkhand	Ranchi	Bamboo Crafts Cluster	698	414.64	Under implementation
94.	Jharkhand	Hazaribagh	Bishnugarh Brass &	832	421.90	Under implementation
			Bronze Cluster			
95.	Karnataka	Ballari	Sandur Khadi Cluster	847	423.09	Under implementation
96.	Karnataka	Belgaum	Hudli Khadi Cluster	730	132.82	Functional
97.	Karnataka	Belgaum	Bijapur Khadi Cluster	503	237.17	Functional
------	-----------	----------------	------------------------	------	--------	----------------------
98.	Karnataka	Belgavi	Athani Leather Cluster	489	138.51	Under implementation
99.	Karnataka	Bidar	Wooden Artefacts &	250	145.37	Functional
			Toys Cluster			
100.	Karnataka	Bidar	Ready Made Garment	495	250.00	Under implementation
			Cluster			
101.	Karnataka	Chickballalpur	Zari And Multi Product	1150	498.17	Under implementation
			Cluster			
102.	Karnataka	Chikballarpur	Sidhalgatta Khadi	300	132.03	Functional
			Cluster			
103.	Karnataka	Davangere	Harihara Khadi Cluster	501	130.50	Functional
104.	Karnataka	Hassan	Javagal Coir Cluster	500	147.21	Under implementation
105.	Karnataka	Hassan	Hassan (Haralkatta)	500	148.54	Functional
		(Haralakatta)	Coir cluster			
106.	Karnataka	Mandya	Kadaluru Coir Cluster	820	415.67	Under implementation
107.	Karnataka	Shivamoga	Sagara Woodcrafts	580	229.48	Under implementation
			Cluster			
108.	Karnataka	Shivmogga	Shivmoga Natural Dyed	459	198.38	Under implementation
			Handloom cluster			
109.	Karnataka	Tumkur	Sri	752	442.20	Under implementation
			Gaviranganathaswamy			
			SFURTI Coir Cluster			
110.	Karnataka	Tumkur	Cheluru Coir Cluster	800	413.69	Under implementation

111.	Karnataka	Tumkur	Koratagere Coir Cluster	825	450.88	Under implementation
112.	Karnataka	Tumkur	Coir Cluster	2500	740.86	Under implementation
113.	Karnataka	Uttara Kannada	Kumta Coir Cluster	500	149.36	Functional
114.	Karnataka	Uttara Kannada	Honnawar Beekeeping Cluster	231	91.4	Under implementation
115.	Karnataka	Uttara Kannada	Ankola Beekeeping Cluster	210	81.25	Under implementation
116.	Kerala	Alappuzha	Haripada Coir Cluster	3000	284.03	Functional
117.	Kerala	Alapuzha	Ambalapuza Coir	368	159.48	Functional
118.	Kerala	Kannur	Kannur Beekeeping Cluster	270	229.67	Under implementation
119.	Kerala	Kasargod	Kasara God Beekeeping Cluster	579	177.3	Under implementation
120.	Kerala	Kozhikode	Balussery Coir Cluster	500	109.02	Functional
121.	Kerala	Malappuramm	Tirur Virgin Coconut Oil Cluster	750	245.89	Functional
122.	Kerala	Thiruvanthapura m	Foot & Floor Mat Cluster	500	75.49	Under implementation
123.	Kerala	Thrissur	Guruvayoor Handicrafts Cluster	300	206.16	Under implementation
124.	Kerala	Trivandrum	Neyyattinkara Coir Cluster	2000	144.08	Functional

125.	Madhya Pradesh	Balaghat	Lac processing and	250	175.00	Under implementation
			value addition cluster			
126.	Madhaya Pradesh	Betul	Bamboo Cluster	817	286.40	Under implementation
127.	Madhya Pradesh	Betul	Terracotta Pottery	509	148.55	Functional
			Cluster			
128.	Madhya Pradesh	Bhopal	Stitching and surface	230	217.39	Functional
			ornamentation			
			women's cluster			
129.	Madhya Pradesh	Chindwara	Magtha Weaving	915	357.91	Under implementation
			Cluster			
130.	Madhaya Pradesh	Dewas	Terracota Craft Cluster,	223	196.91	Under implementation
			Kilodabee, Kannod,			
131.	Madhya Pradesh	Dindori-District	Lantana Cluster,	410	211.18	Under implementation
			Samanapura			
132.	Madhya Pradesh	District-	Bamboo Craft Cluster	891	343.31	Under implementation
		Chhindwara	Rangari,			
133.	Madhya Pradesh	Hoshangabad	Bamboo Cluster	474	149.44	Under implementation
134.	Madhya Pradesh	Hoshangabad	Embroidery and Carpet	250	150.74	Functional
			making cluster, Itarsi			
135.	Madhya Pradesh	Jabalpur-District	Embroidery & Zari-	844	314.92	Under implementation
			zardozi Cluster			
136.	Madhya Pradesh	Jobat (Alirajpur)	Natural Dye clustrer	300	112.65	Under implementation

137.	Madhya Pradesh	Khalghat, Dhar	Handlooms and	324	223.94	Under implementation
			Handicrafts Cluster			
138.	Madhya Pradesh	Khandwa-District	Bamboo ClusterKhalwa	441	218.01	Under implementation
139.	Madhya Pradesh	Khargone	Kasravad Art Cluster	407	245.68	Under implementation
140.	Madhya Pradesh	Raisen	Zari Zardosi,	418	224.61	Under implementation
			SilaaiKadhaai Cluster			
141.	Madhya Pradesh	Satna	Chitrakoot Herbal Multi	500	245.24	Functional
			Product & Health Care			
			Product Cluster			
142.	Madhya Pradesh	Sidhi	Carpet Cluster Hatwa	520	235.86	Under implementation
143.	Madhya Pradesh	Ujjain District	Batik and Block Printing	414	232.32	Under implementation
			Cluster, Bhairogarh			
144.	Madhya Pradesh	Vidisha	Stitching Embroidery	410	233.92	Under implementation
			Cluster			
145.	Madhya Pradesh	Vidisha	Moringa Value Chain	341	161.90	Under implementation
			vermicomposting			
			Cluster			
146.	Maharashtra	Amrawati	Honey and Khawa value	620	143.57	Under implementation
			Added Multi Product			
			Processing Cluster			
147.	Maharashtra	Beed	Banjara Handicrafts	250	98.09	Functional
148.	Maharashtra	Bhandara	Sakoli Bamboo Cluster	426	193.76	Functional

149.	Maharashtra	District -	Embroidery & Kantha	900	336.68	Under implementation
		Chandrapur	Stiching Cluster			
150.	Maharashtra	Nagpur	Readymade Garment	533	112.24	Under implementation
			cluster			
151.	Maharashtra	Nagpur-District	Embroidery Cluster	408	224.61	Functional
			Saoner			
152.	Maharashtra	Pune	Sus Cotton Garments	1055	427.80	Functional
			Cluster			
153.	Maharashtra	Pune	Dang Bamboo Cluster	252	122.62	Under implementation
154.	Maharashtra	Satara	Mahabaleswar Bee	470	116.30	Functional
			Keeping			
155.	Maharashtra	Sindhudurg	Pendur Coir Cluster	550	149.34	Functional
			Sindhudurg			
			Maharashtra			
156.	Maharashtra	Sindhudurg	Sawantwadi Coir	500	149.34	Under implementation
			Cluster			
157.	Maharashtra	Sindhudurg	Mangaon Bamboo	400	179.34	Under implementation
			Processing Cluster			
158.	Maharashtra	Sindhudurg	Jijamata Fruit	523	226.12	Under implementation
			Processing Cluster			
159.	Maharastra	Sindhudurg	Bamboo Craft	250	149.89	Functional
			Development Cluster			

160.	Maharashtra	Wardha	Wardha Bamboo	229	161.12	Under implementation
			Cluster			
161.	Maharashtra	Washim	Pandit deenDayal	950	145.10	Under implementation
			Upadhyay Tribal			
			WomensBibbaProcessi			
			ng Cluster			
162.	Maharashtra	Yalgud	Kolhapur Traditional	321	117.22	Under implementation
			Jewellery Cluster			
163.	Maharashtra	Pune	Sunderban Fruit &	404	227.82	Under implementation
			Vegetable Processing			
			Cluster			
164.	Maharashtra	Solapur	Solapur Broom &	240	173.49	Under implementation
			Allied Products Cluster			
165.	Maharashtra	Chandrapur	Bhadrawati Terracotta	201	166.85	Under implementation
			Cluster			
166.	Maharashtra	Nasik	Paithini Saree,	1022	427.29	Under implementation
			Embroidery and			
			Stitching Cluster			
167.	Manipur	Chandel	Cane & Bamboo Craft	500	222.07	Under implementation
			Cluster			
168.	Manipur	Churachandpur	ChurachandpurAgro	281	138.41	Under implementation
			Cluster			
169.	Manipur	Churachandpur	Churachandpur	860	476.86	Under implementation

			Aromatic Cluster			
170.	Manipur	East Manipur	Bee Keeping Cluster	500	457.38	Under implementation
171.	Manipur	Imphal East	Nimongthong Reed	316	135.75	Under implementation
			Cluster			
172.	Manipur	Imphal East	Pineapple Processing	500	203.45	Under implementation
			and value addition			
			SFURTI Cluster,			
			Toupokpi			
173.	Manipur	Imphal East	Wood based furniture	250	215.27	Under implementation
			cluster			
174.	Manipur	Imphal East	Kaunna Processing	200	170.20	Functional
			Cluster			
175.	Manipur	Imphal West	Wood carving and	500	241.01	Under implementation
			carpentry cluster			
176.	Manipur	Imphal West	Woven Textile and	500	433.09	Under implementation
			Garment Manufacturing			
			Cluster			
177.	Manipur	Jiribam	Cane Processing and	250	216.67	Under implementation
			Bamboo and Cane			
			Furniture Cluster			
178.	Manipur	Kakching	Food and Spice	529	389.09	Under implementation
			Processing Cluster			
179.	Manipur	Senapati	Mao Beekeeping	300	145.61	Under implementation

180.	Manipur	Tamenglong	Cane & Bamboo	372	218.13	Under implementation
			Based Furniture &			
			Utility Product Cluster			
181.	Manipur	Tamenglong	Impa Handloom Cluster	345	254.49	Under implementation
		District				
182.	Manipur	Thoubal	Thoubal Traditional	450	117.79	Functional
			Embroidery			
183.	Manipur	Thoubal	Honey Processing and	250	192.05	Under implementation
			vermicomposting			
			cluster			
184.	Manipur	Ukhrul	Wino Bazar Weaving	600	207.20	Under implementation
			Cluster			
185.	Manipur	Ukhrul	Medicinal herbs	1500	381.24	Under implementation
			extraction unit with			
			associated production			
			cluster			
186.	Manipur	West Imphal	Kangmong Agro Cluster	220	126.13	Under implementation
187.	Meghalaya	West Garo Hills	Cane & Bamboo	241	103.76	Under implementation
			Cluster Selsella			
188.	Mizoram	Mamit	Reiek Multi Farming	304	90.70	Under implementation
			Cluster			
189.	Nagaland	Dimapur	Bamboo Handicraft &	300	147.86	Functional

			Naga Traditional Textile			
			Cluster			
190.	Nagaland	Kiphire	Agri Business Cluster	500	247.34	Under implementation
191.	Nagaland	Mokok Chung	Bamboo & Cane Craft	250	237.86	Under implementation
			Cluster			
192.	Nagaland	Mokokchung and	Pineapple Processing	250	207.45	Under implementation
		Kohima	and value addition			
			cluster			
193.	Nagaland	Zunheboto	Turmeric, Ginger and	600	388.10	Under implementation
			Moringa value addition			
			cluster			
194.	Nagaland	Zunheboto	Cane and Bamboo	280	192.13	Under implementation
			Processing, Furniture			
			Making Cluster			
195.	Odisha	Angul	Athamalik Handloom	374	169.00	Under implementation
			Cluster			
196.	Odisha	Balasore	Bhograi Coir cluster	559	150.34	Under implementation
197.	Odisha	Balasore	Kalyani Jute Craft	502	185.61	Under implementation
			Cluster			
198.	Odisha	Balasore	Stone Carving Cluster	550	235.15	Functional
199.	Odisha	Bhadrak	BhadrakAgarbatti	300	209.00	Under implementation
200.	Odisha	Bhadrak	Applique and Allied	270	232.49	Under implementation
			Cluster			

201.	Odisha	Cuttack	Bahugram Jute Cluster	500	200.15	Under implementation
202.	Odisha	Cuttack	Bhatimunda bell metal	600	290.63	Under implementation
			cluster			
203.	Odisha	Cuttack	Silver Filigree Cluster	450	226.78	Under implementation
204.	Odisha	Cuttack	Banki Aromatic	1756	492.33	Under implementation
			Products Cluster			
205.	Odisha	Cuttak	Maniabandha	550	236.56	Under implementation
			Handloom			
206.	Odisha	Dhenkanal	Dhenkanal Bamboo	500	192.19	Under implementation
			Craft &Agarbatti			
207.	Odisha	Dhenkenal	Suravi Vegetable &	617	489.38	Under implementation
			Food processing cluster			
208.	Odisha	Ganjam	Berhampur Handloom	700	113.17	Under implementation
209.	Odisha	Ganjam	Jagmohan Brass Metal	314	121.20	Functional
210.	Odisha	Ganjam	Kukudakhandi Corn	1200	490.00	Under implementation
			Cluster			
211.	Odisha	Ganjam	Humma Dry Fish	728	417.00	Under implementation
			Cluster			
212.	Odisha	Jajpur	Haripur Royal Dress	250	119.17	Under implementation
			Cluster			
213.	Odisha	Kalahandi	Bamboo Craft	500	199.60	Under implementation
			Bhawanipatna			
214.	Odisha	Kalahandi	KhairaPadar	547	222.05	Under implementation

			Woodcarving Cluster			
215.	Odisha	Kandhamal	Phiringia Turmeric	601	320.14	Under implementation
			Cluster			
216.	Odisha	Kendrapara	Rajkanika Coir cluster	401	161.25	Under implementation
217.	Odisha	Keonjhar	Paper Machle Cluster	580	113.27	Under implementation
218.	Odisha	Keonjhar	Telkoi Tamarind,	1031	445.00	Under implementation
			Mango and Mahua			
			Cluster			
219.	Odisha	Khordha	Bangurigaon Dal	1005	483.19	Under implementation
			Product Cluster			
220.	Odisha	Khordha	Kantilo Bell Metal and	987	453.85	Under implementation
			Wood Cluster			
221.	Odisha	Khordha	Hadapada Stone	250	248.70	Under implementation
			Carving			
222.	Odisha	KHORDHA	Aabhana Fruit &	188	132.05	Functional
			Vegetable Processing			
223.	Odisha	Khordha	Jayadev Banana Fiber	350	250.00	Under implementation
			Extranction Cluster			
224.	Odisha	Mayurbhanj	UdalaPalmaroja Cluster	1200	412.45	Under implementation
225.	Odisha	Mayurbhanj	Mohanpur Millet Magic	980	430.57	Under implementation
			Cluster			
226.	Odisha	Mayurbhanj	Udala Weaving Cluster	250	150.80	Under implementation
227.	Odisha	Mayurbhanj	Udala Sal Leaf Cluster	250	139.80	Functional

228.	Odisha	Mayurbhanj	Mayurbhanj Badasahi	750	413.16	Under implementation
			Dairy			
229.	Odisha	Mayurbhanj	Bamboo Craft Baripada	687	368.21	Under implementation
			Cluster			
230.	Odisha	Mayurbhanj	Puffed Rice Cluster	502	206.82	Under implementation
231.	Odisha	Mayurbhanj	BinjhuaTussar	1233	383.32	Under implementation
			Handloom Cluster			
232.	Odisha	Mayurbhanj,	Non Timber Forest	550	159.36	Under implementation
		Betonoti	Produce			
233.	Odisha	Nayagarh	Bee-Wax honey	550	258.68	Under implementation
			processing cluster			
234.	Odisha	Nayagarh	Bamboo Craft	500	193.55	Under implementation
			Rohibanka, Cluster			
235.	Odisha	Nuapada	Sinapali Handloom	550	268.88	Under implementation
			Nuapada			
236.	Odisha	Puri	Raghunath Coir Cluster	1187	243.34	Under implementation
237.	Odisha	Puri	PuriRadharani Coir	500	185.08	Under implementation
			Cluster			
238.	Odisha	Puri	Konark Coir cluster	1044	174.44	Under implementation
239.	Odisha	Puri	Dhankera Applique	500	214.24	Under implementation
			Cluster			
240.	Odisha	Puri	Urnati Jute Craft Cluster	300	147.06	Under implementation
241.	Odisha	Puri	East River Estuary 550	)	455.75	Under implementation

242.	Odisha	Sundargarh	Bamunda Mahua Cluster	626	286.11	Under implementation
243.	Punjab	Bhatinda	Bhatinda Bee Keeping	1090	265.24	Functional
244.	Punjab	Ludhiana	Doraha Beekeeping Cluster	310	150.00	Under implementation
245.	Punjab	Hoshiarpur	Hoshiarpur Wood Cluster	618	250.75	Under implementation
246.	Rajasthan	Ajmer	Millet Processing and Value Addition Cluster	800	325.00	Under implementation
247.	Rajasthan	Banswara	Pulse Processing Cluster	685	311.90	Under implementation
248.	Rajasthan	Bharatpur	Bee Keeping Cluster	670	435.1	Under implementation
249.	Rajasthan	Bikaner	Urmul Natural Dyeing Cluster	650	229.25	Under implementation
250.	Rajasthan	Dausa	Sikandara Stone carving cluster	200	110.50	Functional
251.	Rajasthan	Jaipur	Sanchor Leather cluster	200	115.21	Functional
252.	Rajasthan	Laxmangarh	Leather Craft Cluster	325	248.96	Under implementation

253.	Rajasthan	Nagaur	Guar gum and	744	390.00	Under implementation
			Isabgol processing			
			cluster			
254.	Rajasthan	Udaipur	Wooden Furniture	258	180.26	Under implementation
			& Wooden			
			Artefacts Cluster			
255.	Rajasthan	Banswara	Bamboo based	331	185.32	Under implementation
			Cluster Gorcha			
256.	Rajasthan	Barmer	Barmer Handicraft	890	296.91	Under implementation
			Cluster			
257.	Rajasthan	Ajmer	Kishangarh Marble	281	201.10	Under implementation
			and Granite Cluster			
258.	Rajasthan	Jhunjhunu	Kolsiya Tie &Dye	349	275.60	Under implementation
			Cluster			
259.	Rajasthan	Jodhpur	Metal Craft Cluster	657	305.01	Under implementation
260.	Rajasthan	Jhalawar	Garlic Processing	710	363.07	Under implementation
			and Value Addition			
			Cluster			
261.	Sikkim	East & West	West Sikkim	250	234.71	Under implementation
		Sikkim	Shitake			
			Mushrooom &			
			Other Food			
			Processing Cluster			

## [RAJYA SABHA]

262.	Sikkim	Jorethang	Sumbuk Shitake	250	234.71	Under implementation
			Mushroom			
			&Other Food			
			Processing Cluster			
263.	Sikkim	South Sikkim	Norbuchoeling	250	234.71	Under implementation
			Shiitake Mushroom			
			& Other Food			
			Processing Cluster			
264.	Sikkim	West District	Moonew Tareybhir	200	196.89	Under implementation
			Enriched			
			Composting /			
			Vermicomposting			
			Cluster			
265.	Tamil Nadu	Coimbatore	Pollachi Coir	3350	662.24	Functional
			Cluster			
266.	Tamil Nadu	Dharmapuri	Coir Cluster	750	148.25	Functional
267.	Tamil Nadu	Dindigul	Coir Cluster	1330	291.62	Functional
268.	Tamil Nadu	Erode	Kongu Coir Cluster	908	473.65	Under implementation
269.	Tamil Nadu	Kanyakumari	Ethamozy Coir	1960	149.06	Functional
			Cluster			
270.	Tamil Nadu	Krishnagiri	Coir Cluster	695	286.96	Under implementation
271.	Tamil Nadu	Krishnagiri	Multi Products	300	149.84	Under implementation
			Cluster			

272.	Tamil Nadu	Madurai	Coir Cluster	2450	299.72	Functional
273.	Tamil Nadu	Salem	Omalur Coir	960	494.35	Functional
			Cluster			
274.	Tamil Nadu	Salem	Sarkar Steel &	345	142.85	Under implementation
			Wooden Furniture			
275.	Tamil Nadu	Salem	Coir Cluster	1430	298.91	Functional
276.	Tamil Nadu	Thanjavour	Kumbkonam Steel	270	220.08	Under implementation
			& Wooden			
			Furniture Cluster			
277.	Tamil Nadu	Tirunelveli	Coir Cluster	1330	273.71	Functional
278.	Tamil Nadu	Tiruppur	Kangayam Khadi	309	130.50	Functional
			Cluster			
279.	Tamil Nadu	Tiruppur	Kangayam Coir	650	289.19	Functional
			Cluster			
280.	Tamil Nadu	Tiruppur	Palladam Growbag	885	289.90	Functional
281.	Tamil Nadu	Tiruvarur	Mannargudi Coir	810	493.00	Under implementation
			Cluster			
282.	Tamil Nadu	Vellore	Pakkam coir	866	491.48	Under implementation
			Cluster			
283.	Tamil Nadu	Salem	Mecheri Handloom	493	249.40	Under implementation
			Cluster			
284.	Tamil Nadu	Ranipet	Velampudur	311	180.47	Under implementation
			Jaggery and Value-			

			Added Products			
			Cluster			
285.	Telangana	Badradri	Chandrugonda	957	313.47	Under implementation
			Bamboo Cluster			
286.	Telangana	Chandrayanagutt	Zardozi craft	624	195.39	Under implementation
		a, Hyderabad	cluster			
287.	Telangana	Hyderabad	Lac Bangles craft	726	187.39	Under implementation
			Cluster			
288.	Telangana	Mehboob Nagar	leezaGadwal Silk	600	198.55	Under implementation
			cluster			
289.	Telangana	Nalgonda	Mothkur Ikat	400	143.38	Functional
			Handloom Weaving			
			Cluster			
290.	Telangana	Nizamabad	Pottery and	150	77.87	Under implementation
			Terracotta Cluster			
291.	Telangana	Nizamabad	Banjara	635	191.51	Under implementation
			Embroidery and			
			Beeds cluster			
292.	Telangana	Nizamabad	Tribal Jewellery	64	101.22	Under implementation
			craft Cluster			
293.	Telangana	Panjagutta	Karimnagar Silver	520	250.00	Under implementation
			Filigree Cluster			
294.	Telangana	Vikerabad	Zardozi craft	369	192.26	Under implementation

			cluster			
295.	Telangana	Wanaparthy	Amarchinta	350	230.69	Under implementation
			Handloom Cluster			
296.	Telangana	Warangal	Pembarthi	200	149.96	Functional
			Metalware cluster			
297.	Tripura	West Tripura	Bamboo Mat	500	272.21	Under implementation
			Cluster			
298.	Uttar Pradesh	Allahabad	Hand Knotted	539	130.50	Functional
			Carpet Cluster			
299.	Uttar Pradesh	Allahabad	Holagarh	369	92.10	Under implementation
			Embroidery Craft			
			Cluster			
300.	Uttar Pradesh	Ambedkar Nagar	Zari Zardozi,	400	210.59	Under implementation
			Stitching &			
			Embroidery Cluster			
			Tanda			
301.	Uttar Pradesh	Amethi	Leather Goods and	800	294.50	Under implementation
			Associated Fashion			
			Accessories			
			Cluster			
302.	Uttar Pradesh	Azamgarh	Mau Pottery	444	121.43	Functional
			Cluster			
303.	Uttar Pradesh	Azamgarh	Mini Pottery Cluster	300	111.65	Functional

304.	Uttar Pradesh	Azamgarh	Zari Zardosi Cluster	369	123.87	Under implementation
305.	Uttar Pradesh	Bahraich	Curcumin	657	427.25	Under implementation
			Extraction and			
			Value-addition			
			Cluster			
306.	Uttar Pradesh	Chhatrapati	Baraulia Medicinal	500	225.20	Functional
		Shahuji Maharaj	Plant			
		(Amethi)				
307.	Uttar Pradesh	Deoria	Crochet	300	101.87	Functional
			(Croshiya) Cluster			
308.	Uttar Pradesh	Farukkabad	Farukkabad Potato	500	160.49	Under implementation
			processing cluster			
309.	Uttar Pradesh	Lucknow	Chinhat	217	112.77	Under implementation
			Beekeeping Cluster			
310.	Uttar Pradesh	Mirzapur	Hand Knotted	300	112.17	Functional
			Carpet Cluster,			
311.	Uttar Pradesh	Narayanpur,	Pottery and	207	193.34	Under implementation
		Mirzapur	Terracotta Cluster			
312.	Uttar Pradesh	Saharanpur	Gango Bee-	307	223.61	Under implementation
			Keeping			
313.	Uttar Pradesh	Shravasti	Bee Keeping and	646	416.40	Under implementation
			Medicinal Herbal			
			Processing and			

			Value Addition			
			Cluster			
314.	Uttar Pradesh	Sonbhadra	Sonbhadra Rugs	550	435.00	Under implementation
			and floorings			
			Cluster			
315.	Uttar Pradesh	Varanasi	Kashi Pottery	341	229.90	Under implementation
			Cluster			
316.	Uttar Pradesh	Lucknow	Lucknow Jute	740	409.78	Under implementation
			Products			
317.	Uttar Pradesh	Mathura	Traditional Poshak	807	290.03	Under implementation
			Production Cluster			
318.	Uttar Pradesh	Buddha	Processing and	821	299.00	Under implementation
			Value addition of			
			Kala Namak,			
			(Buddha) Rice			
			Cluster,			
			Siddarthnagar			
319.	Uttar Pradesh	Gonda	Gonda Embroidery	510	227.56	Under implementation
			and Garment			
			Cluster			
320.	Uttarakhand	Almora	Aipan Craft Cluster	252	103.39	Under implementation
321.	Uttarakhand	Haridwar	Roorkee Nautical	500	231.96	Functional
			Artefacts cluster			

322.	Uttarakhand	Nainital	Kumaun	504	219.14	Under implementation
			Beekeeping Cluster			
323.	Uttarakhand	Pithoragarh	DewalthalCluser	500	224.69	Under implementation
324.	West Bengal	Bankura	Central Bankura	350	181.18	Under implementation
			Integrated Pamgur Cluster			
325.	West Bengal	Birbhum	Fashion	500	147.47	Under implementation
			Accessories			
			Cluster			
326.	West Bengal	Birbhum	Labpur Banana	636	232.00	Under implementation
			Fibre Cluster			
327.	West Bengal	Birbhum	Nawpara Bamboo	360	198.44	Under implementation
			Handicrafts Cluster			
328.	West Bengal	District - South	Embroidery &	690	332.77	Under implementation
		24 Pargana	Kantha Stiching			
329.	West Bengal	Murshidabad	ChakIslampur	750	192.50	Functional
			Khadi Cluster			
330.	West Bengal	Murshidabad	Bijoypur Silk Khadi	324	258.53	Under implementation
			Cluster			
331.	West Bengal	Nadia	Chitrashali Khadi	251	165.67	Functional
			Cluster			
332.	West Bengal	Paschim	CSWS Mat Craft	500	242.97	Under implementation

		Medinipur	Cluster			
333.	West Bengal	Purba	Dokra Craft Cluster	500	149.42	Functional
		Bardhaman				
334.	West Bengal	Purba Bardhman	Purba Bardhman	600	296.86	Under implementation
			Coir Cluster			
335.	West Bengal	Bankura	Ranibandh Jangal	300	147.66	Under implementation
			Mahal Sabai Life			
			Cluster			

[Answers to Starred and Unstarred Questions (Both in English and Hindi) are available as Part-I to this Debate, published electronically on the Rajya Sabha website under the link <u>https://rajyasabha.nic.in/Debates/OfficialDebatesDateWise</u>]

#### MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS\*

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, the House has taken up the discussion on Motion of Thanks on the President's Address, and we have spent around fifteen hours and more than fifty hon. Members from different political parties have taken part in the discussion. Now, it is the time for conclusion, and the reply is going to be given by the hon. Prime Minister. So, I call upon hon. Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modi to reply.

DR. SANTANU SEN (West Bengal): Sir, All India Trinamool Congress is walking out.

SHRI MD. NADIMUL HAQUE (West Bengal): Sir, we are walking out.

MR. CHAIRMAN: He has already said it. He is your leader, follow the leader. Thank you.

(At this stage, some hon. Members left the Chamber)

श्री सभापति : यह हँसने का विषय नहीं है। If they want to walk out, they have the right. Walk out or talk out is the way out, not the wash out or all out. I am happy. Now, hon. Prime Minister will reply to Motion of Thanks on the President's Address.

प्रधान मंत्री (श्री नरेन्द्र मोदी) : आदरणीय सभापति जी, आज पूरा विश्व अनेक चुनौतियों से जूझ रहा है। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि मानव जाति को ऐसे कठिन दौर से गुज़रना पड़ेगा। ऐसी चुनौतियों के बीच, इस दशक के प्रारम्भ में ही हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी ने संयुक्त सदन में जो अपना उद्बोधन दिया, वह अपने आप में इस चुनौती भरे विश्व में एक नई आशा जगाने वाला, नयी उमंग पैदा करने वाला और नया आत्मविश्वास पैदा करने वाला रहा। 'आत्मनिर्भर भारत' की राह दिखाने वाला और इस दशक के लिए एक मार्ग प्रशस्त करने वाला राष्ट्रपति जी का उद्बोधन रहा। आदरणीय सभापति जी, मैं राष्ट्रपति जी का तहेदिल से आभार व्यक्त करने के लिए आज आप सबके बीच खड़ा हूँ।

राज्य सभा में करीब 13-14 घंटे तक 50 से अधिक माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे, बहुमूल्य विचार रखे, अनेक पहलुओं पर विचार रखे और इसलिए इस चर्चा को समृद्ध बनाने के लिए मैं सभी आदरणीय सदस्यों का हृदयपूर्वक आभार भी व्यक्त करता हूँ। अच्छा होता कि राष्ट्रपति जी का भाषण सुनने के लिए भी सब होते, तो लोकतंत्र की गरिमा और बढ़ जाती और हम सबको कभी गिला-शिकवा न रहता कि हमने राष्ट्रपति जी का भाषण सुना नहीं था, लेकिन राष्ट्रपति जी के भाषण की ताकत इतनी थी कि न सुनने के बावजूद भी बहुत कुछ बोल पाए। यह

<sup>\*</sup> Further discussion continued on the motion moved on 3<sup>rd</sup> February, 2021.

अपने आप में उस भाषण की ताकत थी, उन विचारों की ताकत थी, उन आदर्शों की ताकत थी कि जिसके कारण न सुनने के बाद भी बात पहुँच गई और इसलिए मैं समझता हूँ कि इस भाषण का मूल्य अनेक गुणा है।

आदरणीय सभापति जी, जैसा मैंने कहा, अनेक चुनौतियों के बीच राष्ट्रपति जी का इस दशक का प्रथम भाषण हुआ, लेकिन यह भी सही है कि जब हम पूरे विश्व पटल की तरफ देखते हैं, भारत के युवा मन को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि आज भारत सच्चे अर्थ में अवसरों की एक भूमि है। अनेक अवसर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। इसलिए जो देश युवा हो, जो देश उत्साह से भरा हुआ हो, जो देश अनेक सपनों को लेकर संकल्प के साथ सिद्धि को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हो, वह देश इन अवसरों को कभी जाने नहीं दे सकता। हम सबके लिए यह भी एक अवसर है कि हम आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, यह अपने आपमें एक प्रेरक अवसर है। हम जहां भी हों, जिस रूप में हों, माँ भारती की संतान के रूप में इस आज़ादी के 75वें पर्व को हमें प्रेरणा के पर्व के रूप में मनाना चाहिए। देश को आने वाले वर्षों के लिए तैयार करने के लिए कुछ न कुछ कर गुज़रने का जज्बा होना चाहिए। वर्ष 2047 में देश जब आज़ादी की शताब्दी मनाए, तब हम देश का कहां तक ले जाएंगे, हमें इन सपनों को बार-बार देखते रहना चाहिए।

महोदय, आज पूरे विश्व की नज़र भारत पर है, भारत से अपेक्षाएं भी हैं और लोगों में एक विश्वास भी है कि अगर भारत यह कर लेगा, तो दुनिया की बहुतेक समस्याओं का समाधान वहीं से हो जाएगा, यह विश्वास आज दुनिया में भारत के लिए बढ़ा है।

आदरणीय सभापति महोदय, जब मैं अवसरों की चर्चा कर रहा हूं, तब महाकवि मैथिलीशरण गुप्त जी की कविता को मैं उद्घोषित करना चाहूंगा। गुप्त जी ने कहा था:-

> "अवसर तेरे लिए खड़ा है, फिर भी तू चुपचाप पड़ा है। तेरा कर्मक्षेत्र बड़ा है, पल पल है अनमोल। अरे भारत! उठ, आँखें खोल॥"

लेकिन मैं सोच रहा था कि इस कालखंड में 21वीं सदी के आरम्भ में अगर उनको लिखना होता तो वे क्या लिखते। मैं कल्पना करता कि वे लिखते:-

> "अवसर तेरे लिए खड़ा है, तू आत्मविश्वास से भरा पड़ा है। हर बाधा, हर बंदिश को तोड़, अरे भारत! आत्मनिर्भरता के पथ पर दौड़॥"

आदरणीय सभापति महोदय, कोरोना के दौरान किस प्रकार की वैश्विक परिस्थितियां बनीं, कोई किसी की मदद कर सके, यह असंभव हो गया। एक देश दूसरे देश की मदद न कर सका, एक राज्य दूसरे राज्य की मदद न कर सका, यहां तक कि परिवार का एक सदस्य परिवार के दूसरे सदस्य की मदद न कर सका, वैसा माहौल कोरोना के कारण पैदा हुआ। भारत के लिए तो दुनिया ने बहुत आशंकाएं जतायी थीं, विश्व बहुत चिंतित था कि अगर कोरोना की इस महामारी में भारत अपने आपको नहीं संभाल पाया, तो न सिर्फ भारत, बल्कि पूरी मानव जाति के लिए कितना बड़ा संकट आ जाएगा, ये आशंकाएं सबने जतायी थीं। करोड़ों लोग फंस जाएंगे, लाखों लोग मर जाएंगे। हमारे यहां डराने के लिए भरपूर बातें भी हुई हैं। यह क्यों हुआ, यह मेरा सवाल नहीं है, क्योंकि एक unknown enemy क्या कर सकता है, किसी को अंदाज़ा नहीं था। हर एक ने अपने-अपने तरीके से आकलन किया था, लेकिन भारत ने अपने देश के नागरिकों की रक्षा करने के लिए एक unknown enemy से, जिसकी कोई पूर्व परंपरा नहीं थी कि ऐसी चीज़ को ऐसे डील किया जा सकता है, इसके लिए यह प्रोटोकॉल हो सकता है, कुछ पता नहीं था, एक नए तरीके से, नई सोच के साथ हर किसी को चलना था। हो सकता है कि कुछ विद्वान,सामर्थ्यवान लोगों का कुछ अलग विचार हो सकता है, लेकिन था यह कि एक unknown enemy था। हमें रास्ते भी खोजने थे, रास्ते बनाने भी थे और लोगों को बचाना भी था। उस समय जो भी ईश्वर ने बुद्धि, शक्ति, सामर्थ्य दी, इस देश ने उसको करते हुए, देश को बचाने में भरसक काम किया है। आज दुनिया इस बात का गर्व कर रही है कि वाकई इस भारत ने दुनिया की मानव जाति की रक्षा करने में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई है। यह लड़ाई जीतने का यश किसी सरकार को नहीं जाता है और न किसी व्यक्ति को जाता है, लेकिन हिन्दुस्तान को तो जाता है। गर्व करने में क्या जाता है, विश्व के सामने आत्मविश्वास के साथ बोलने में क्या जाता है? इस देश ने यह किया है, देश के गरीब से गरीब व्यक्ति ने इस काम को किया है। आपने उस समय सोशल मीडिया में देखा होगा कि फूटपाथ पर एक छोटी झोंपड़ी लगाकर एक बूढ़ी मां बैठी हुई है। वह भी अपनी झोंपड़ी के बाहर दीया जलाकर भारत के शुभ के लिए कामना कर रही है। हम उसका मज़ाक उड़ा रहे हैं, उसकी भावनाओं का मखौल उड़ा रहे हैं। जिसने कभी स्कूल का दरवाज़ा नहीं देखा था, उसके मन में भी देश के लिए जो भी भावना थी- यदि दीया जलाकर देश की सेवा कर सकता हूं, तो करूं इस भाव से किया था और उसने देश में एक सामूहिक शक्ति का जागरण किया था, अपनी शक्ति का, सामर्थ्यता का परिचय करवाया था, लेकिन उसका भी मज़ाक उडाने में मज़ा आ रहा है। आज विरोध करने के लिए कितने मुद्दे हैं, विरोध करना भी चाहिए, लेकिन ऐसी बातों में न उलझें, जो देश के मनोबल को तोडती हैं, जो देश की सामर्थ्य को नीचा आंकती हैं। इससे कभी लाभ नहीं होता है। हमारे कोरोना वॉरियर्स, हमारे frontline workers, आप कल्पना कर सकते हैं, जब कहीं किसी तरफ से भी कोरोना आ जाएगा तो ऐसे समय में ड्युटी करना, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना, ये कोई छोटी चीजें नहीं हैं, इसका गर्व करना चाहिए। हमें उनका आदर करना चाहिए। इन सबके प्रयासों का परिणाम है कि देश ने आज यह करके दिखाया है। हम यदि भूतकाल की तरफ देखें, यह आलोचना के लिए नहीं है, हमने उन स्थितियों को जीया है। कभी चेचक की बात होती थी, तब कितना भय फैल जाता था, पोलियो कितना डरावना लगता था, उसकी वैक्सीन पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पडती थी, क्या-क्या तकलीफें उठानी पडती थीं - मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कब मिलेगी, कितनी मिलेगी, कैसे मिलेगी, कैसे लगाएंगे, ऐसे दिन हमने बिताए हैं। ऐसी स्थिति में अगर उन दिनों को याद करें, तो पता चलेगा कि आज जिन देशों को 3rd world countries में गिना जाता है, वह देश मानव जाति के कल्याण के लिए वैक्सीन लेकर आया है। इतने कम समय में mission mode में हमारे वैज्ञनिक भी जुटे रहे हैं।

मानव जाति के इतिहास में भारत का योगदान एक गौरवपूर्ण गाथा है, हम इस पर गर्व करें। उसी में से एक नए आत्मविश्वास की प्रेरणा भी जगती है। उस नए आत्मविश्वास की प्रेरणा को जगाने के ऐसे प्रयासों पर आज देश गर्व कर सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान मेरे देश में चल रहा है। विश्व में तेज गति से टीकाकरण आज कहीं हो रहा है, तो हम सब की मां भारती की गोद में हो रहा है। भारत की यह सामर्थ्य कहां नहीं पहुंची है? आज कोरोना ने भारत को दुनिया के साथ रिश्तों में एक नई ताकत दी है। जब शुरुआत में वैक्सीन नहीं थी, तो कौन-सी दवाई काम करेगी - तब सारे विश्व का ध्यान भारत की दवाइयों पर गया, भारत विश्व में फार्मेसी के हब के रूप में उभर कर आया। उस संकट काल में भी 150 देशों में दवाई पहुंचाने का काम इस देश ने किया। मानव जाति की रक्षा के लिए हम पीछे नहीं हटे। इतना ही नहीं, इस समय वैक्सीन के संबंध में भी विश्व बडे गर्व के साथ कहता है कि हमारे पास भारत की वैक्सीन आ गई है। हम सभी को मालूम है कि दुनिया के बड़े-बड़े अस्पतालों में बड़े-बड़े लोग जब मेजर ऑपरेशन कराने जाते हैं और ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद और प्रक्रिया शुरू होने से पहले उनकी आंखें यह ढूंढ़ती हैं कि कोई हिंदुस्तानी डॉक्टर है या नहीं है। जैसे ही उस टीम के अंदर एकाध हिंदुस्तानी डॉक्टर दिखता है, तो उनको विश्वास हो जाता है कि अब ऑपरेशन करा सकते हैं- यह इस देश ने कमाया है, इसका हमें गर्व होना चाहिए और इसलिए इसी गर्व को लेकर हम आगे बढ रहे हैं। इस कोरोना काल में जैसे वैश्विक संबंधों में भारत ने अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है, अपना स्थान बनाया है, वैसे ही भारत ने हमारे federal structure को, इस कोरोना के कालखंड में हमारी अंतर्भूत ताकत क्या है, संकट के समय हम कैसे मिलकर काम कर सकते हैं, एक ही दिशा में सब शक्तियां लगाकर के हम कैसे प्रयास कर सकते हैं, यह सब केन्द्र और राज्यों ने मिलकर करके दिखाया है। मैं राज्यों को भी, क्योंकि इस सदन में राज्यों का अपना flavour होता है और इसलिए इस सदन में तो मैं विशेष रूप से राज्यों का भी अभिनन्दन करता हूं। इस कोरोना काल में cooperative federalism को ताकत देने का काम, इस संकट को अवसर में बदलने का काम हमारे सभी साथियों ने किया है, इसलिए सब अभिनन्दन के अधिकारी हैं। यहां पर लोकतंत्र को लेकर काफी उपदेश दिए गए, उसके बारे में बहुत कुछ कहा गया, लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि जो बातें बताई गई हैं, देश का कोई भी नागरिक इन पर भरोसा करेगा। भारत का लोकतंत्र ऐसा नहीं है, जिसकी खाल हम इस प्रकार से उधेड़ सकते हैं। ऐसी गलती हम न करें। मैं श्रीमान देरेक जी की बात सुन रहा था, तो उनकी बातों में freedom of speech, intimidation और hounding जैसे बढ़िया-बढ़िया शब्दों का प्रयोग हो रहा था। जब मैं शब्द सून रहा था, तब ऐसा लग रहा था कि ये बंगाल की बात बता रहे हैं या देश की बता रहे हैं! स्वाभाविक है कि चौबीस घंटे वे वही देखते हैं, वही सूनते हैं, तो शायद गलती से वही बात यहां बता दी होगी। कांग्रेस के हमारे बाजवा साहब भी काफी अच्छा बता रहे थे और इतना लंबा खींचकर के बता रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बस अब थोड़ी देर में ये इमरजेंसी तक पहुंच जाएंगे। मुझे लग रहा था कि थोड़ी देर में, एक कदम बाकी है, वे 1984 तक पहुंच जाएंगे, लेकिन वे वहां नहीं गए। खैर कांग्रेस इस देश को बहुत निराश करती है, आपने भी निराश कर दिया।

माननीय सभापति जी, मैं एक quote इस सदन के सामने रखना चाहता हूं और खासकर लोकतंत्र पर जो लोग शक उठाते हैं, भारत की मूलभूत शक्ति पर जो शक उठाते हैं, उनको तो मैं विशेष आग्रह से कहूंगा कि इसको समझने का प्रयास करें। "हमारा लोकतंत्र किसी भी मायने में western institution नहीं है। यह एक human institution है। भारत का इतिहास लोकतांत्रिक संस्थानों के उदाहरणों से भरा पडा है। प्राचीन भारत में 81 गणतंत्रों का वर्णन हमें मिलता है। आज देशवासियों को भारत के राष्ट्रवाद पर चौतरफा हो रहे हमले से आगाह करना जरूरी है। भारत का राष्ट्रवाद न तो संकीर्ण है, न स्वार्थी है और न ही आक्रामक है। यह सत्यम, शिवम, सुंदरम के मूल्यों से प्रेरित है।" आदरणीय सभापति जी, यह quotation आज़ाद हिंद फौज की प्रथम सरकार के प्रथम प्रधान मंत्री नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का है और संयोग है कि आज हम उनकी 125वीं जयंती मना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जाने-अनजाने में हमने नेताजी की इस भावना को, नेताजी के इन विचारों को, नेताजी के इन आदर्शों को भुला दिया और उसका परिणाम है कि आज हम ही अपने को कोसने लग गए हैं। मैं तो कभी-कभी हैरान हो जाता हूं। दुनिया हमें जो कोई शब्द पकड़ा देती है, हम भी उसको पकड़कर चल पड़ते हैं - दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी - यह सूनते हुए हमें भी अच्छा लगता था कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन हमने अपनी यूवा पीढ़ी को यह नहीं सिखाया कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। यह लोकतंत्र की जननी है। हम सिर्फ बडा लोकतंत्र हैं, ऐसा नहीं है। यह देश लोकतंत्र की जननी है, यह बात हमें हमारी आने वाली पीढियों को सिखानी होगी और हमें गर्व से इस बात को बोलना होगा, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमें यह विरासत दी है। भारत की शासन व्यवस्था डेमाक्रेटिक है, सिर्फ इसी वजह से हम लोकतांत्रिक देश नहीं हैं। भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार, भारत की परंपरा, भारत का मन लोकतांत्रिक है और इसलिए हमारी व्यवस्था लोकतांत्रिक है। यह है, इसलिए यह है, ऐसा नहीं है। मूलतः हम लोकतांत्रिक हैं, इसलिए यह है। देश की यह कसौटी भी हो चूकी है। आपातकाल के उन दिनों को याद कीजिए। न्यायपालिका का हाल क्या था? मीडिया का क्या हाल था? शासन का क्या हाल था? सब कुछ जेलखाने में परिवर्तित हो चूका था, लेकिन इस देश के संस्कार, इस देश का जन-मन, जो लोकतंत्र के रंगों से रंगा हुआ था, उसको कोई हिला नहीं पाया था। मौका मिलते ही उसने लोकतंत्र को प्रस्थापित कर दिया। यह लोगों की ताकत है, यह हमारे संस्कारों की ताकत है, यह लोकतांत्रिक मूल्यों की ताकत है। मुद्दा यह नहीं है कि कौन सरकार - मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं और न ही मुझे ऐसी चीज़ों में समय लगाने के लिए आप लोगों ने यहां बैठाया है। हमें लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करते हुए आगे बढ़ना है।

'आत्मनिर्भर भारत' के संबंध में भी चर्चा हुई। हमारे साथी धर्मेंद्र प्रधान जी ने बहुत ही अभ्यासपूर्ण और आत्मनिर्भर भारत की हमारी दिशा क्या है, उसका उन्होंने विस्तृत बयान किया है। लेकिन यह बात सही है कि आर्थिक क्षेत्र में भी आज भारत की एक पहुंच बन रही है। कोरोना काल में दुनिया के लोग निवेश के लिए तरस रहे हैं, सारी बातें बाहर आ गई हैं, लेकिन भारत है, जहां पर रिकॉर्ड निवेश हो रहा है। सारे तथ्य बता रहे हैं कि अनेक देशों की अर्थ स्थिति डांवाडोल है, जबकि दुनिया भारत में डबल डिजिट ग्रोथ का अनुमान लगा रही है। एक तरफ निराशा का माहौल है जब कि हिन्दुस्तान में एक आशा की किरण नज़र आ रही है, यह दुनिया की तरफ से आवाज़ उठ रही है। आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर है, आज भारत में अन्न उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर है। भारत आज दुनिया में दूसरा बड़ा देश है, जहां पर इंटरनेट यूजर्स हैं, भारत में आज हर महीने 4 लाख करोड़ रुपये का लेनदेन डिजिटली हो रहा है, यूपीआई के माध्यम से हो रहा है। याद कीजिए यहां के, इसी सदन के दो साल पहले, तीन साल पहले के भाषण मैं सुन रहा था कि लोगों के पास मोबाइल कहां हैं, लोग डिजिटली कैसे करेंगे, यह देश की ताकत देखिए -हर महीने चार लाख करोड़ रुपए के लेनदेन के साथ ही भारत मोबाइल फोन के निर्माता के रूप में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बना है। भारत में रिकॉर्ड संख्या में स्टार्ट-अप्स, Unicorns और जिसका विश्व में जय-जयकार होने लगा है, इसी धरती पर हमारी यूवा पीढ़ी कर रही है।

रिन्यूअल एनर्जी के क्षेत्र में विश्व के पहले पांच देशों में हमने अपनी जगह बना ली है और आने वाले दिनों में हम ऊपर ही चढ़ते जाने वाले हैं। जल हो, थल हो, नभ हो, अंतरिक्ष हो, भारत हर क्षेत्र में अपनी रक्षा के लिए, अपनी सामर्थ्य के साथ खड़ा है। सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक हो, भारत की capability को दुनिया ने देखा है।

आदरणीय सभापति जी, जब 2014 में पहली बार मैं इस परिसर में आया था और जब मुझे नेता के रूप में चुना गया था, तो मैंने अपने पहले भाषण में कहा था कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित है। मैं आज दोबारा आने के बाद भी यही बात दोहरा रहा हूं और न हम, न हमारी डायरेक्शन बदली है, न हमने डायल्यूट किया है, न डायवर्ट किया है, उसी मिज़ाज के साथ हम काम कर रहे हैं, क्योंकि इस देश में आगे बढ़ने के लिए हमें गरीबी से मुक्त होना ही होगा। हमें प्रयासों को जोड़ते ही जाना होगा। पहले के प्रयास हुए होंगे, तो उसमें और जोड़ना ही पड़ेगा, हम रुक नहीं सकते, जितना कर लिया बहुत है। हम नहीं रुक सकते, हमें और करना ही होगा।

आज मुझे खुशी है कि जो मूलभूत आवश्यकता है, ease of living के लिए और जिसमें से आत्म-विश्वास पैदा होता है और एक बार गरीब के मन में आत्म-विश्वास भर गया तो गरीब खुद गरीबी को चुनौती देने की ताकत के साथ खड़ा हो जाएगा, गरीब किसी की मदद का मोहताज नहीं रहेगा, यह मेरा अनुभव है। मुझे खुशी है कि 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने हैं।

#### 11.00 **A.M**.

41 करोड़ से ज्यादा लोगों के बैंक खाते खोले गए, 2 करोड़ से अधिक गरीबों के घर बने हैं, 8 करोड़ से अधिक मुफ्त गैस के कनेक्शन दिए गए हैं, 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज गरीब की ज़िदगी में एक बहुत बड़ी ताकत बनकर खड़ा हुआ है। ऐसी अनेक योजनाएं हैं, जो गरीबों के जीवन में बदलाव ला रही हैं, नया विश्वास पैदा कर रही हैं।

आदरणीय सभापति महोदय, चुनौतियाँ हैं, अगर चुनौतियाँ न होतीं - ऐसा कहीं कुछ नज़र नहीं आएगा, दुनिया के समृद्ध से समृद्ध देश के सामने भी चुनौतियाँ होती हैं। उसकी चुनौतियाँ अलग प्रकार की होंगी, हमारी चुनौतियाँ अलग प्रकार की हैं, लेकिन तय हमें यह करना है कि हम समस्या का हिस्सा बनना चाहते हैं या समाधान का हिस्सा बनना चाहते हैं? बस यह एक पतली-सी रेखा है। अगर हम समस्या का हिस्सा बने, तो राजनीति तो चल जाएगी, लेकिन अगर हम समाधान का माध्यम बनते हैं, तो राष्ट्र नीति को चार चाँद लग जाते हैं, इसलिए हमारा दायित्व है कि हमें वर्तमान पीढ़ी के लिए भी सोचना है और भावी पीढ़ी के लिए भी सोचना है। समस्याएं हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि यदि हम साथ मिलकर काम करेंगे, आत्म-विश्वास से काम करेंगे, तो हम स्थितियों को भी बदलेंगे और इच्छित परिणाम भी प्राप्त कर सकेंगे, यह मेरा पक्का विश्वास है। आदरणीय सभापति जी, सदन में किसान आंदोलन की भरपूर चर्चा हुई है। ज्यादा से ज्यादा समय जो बातें बताई गईं, वे आंदोलन के संबंध में बताई गईं। किस बात को लेकर आंदोलन है, उस पर सब मौन रहे। आंदोलन कैसा है, आंदोलन के साथ क्या हो रहा है, ये सारी बातें बहुत बताई गईं। उनका भी महत्व है, लेकिन जो मूलभूत बात है, अच्छा होता कि उसकी विस्तार से चर्चा होती। ..(व्यवधान)..वैसे हमारे माननीय कृषि मंत्री जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से कुछ सवाल भी पूछे हें, उन सवालों के जवाब तो नहीं मिलेंगे, मुझे खुशी है, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से इस विषय की इस सदन में चर्चा की है।

आदरणीय सभापति महोदय, मैं आदरणीय देवेगौड़ा जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस पूरी चर्चा को एक गांभीर्य दिया है। उन्होंने सरकार के जो अच्छे प्रयास हैं, उनकी सराहना की, क्योंकि वे जीवन-भर किसानों के लिए समर्पित रहे हैं। उन्होंने इस सरकार के प्रयासों की सराहना भी की और अच्छे सुझाव भी दिए। मैं आदरणीय देवेगौड़ा जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।

आदरणीय सभापति जी, खेती की मूलभूत समस्या क्या है? उसकी जड़ें कहाँ हैं? मैं आज पूर्व प्रधान मंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने विस्तार से जो बताया था, उसी का ज़िक्र करना चाहता हूं। बहुत लोग हैं, जो चौधरी साहब की विरासत संभालने का गर्व करते हैं, वे जरूर इस बात को समझने का शायद प्रयास करेंगे। 1970-71 का जो एग्रिकल्चर सेंसस हुआ था, उसका ज़िक्र उनके भाषण में हमेशा आता था और वे उसका उल्लेख करते थे। चौधरी चरण सिंह जी ने क्या कहा था? उनका quote है-

"किसानों का सेंसस लिया गया, तो 33 परसेंट किसान ऐसे हैं, जिनके पास जमीन 2 बीघे से कम है, 2 बीघे नहीं है, 2 बीघे तक है, 2 बीघे से कमा 18 फीसदी जो किसान कहलाते हैं, उनके पास 2 बीघे से 4 बीघे जमीन है, यानी आधा हेक्टेयर से 1 हेक्टेयर। ये 51 फीसदी किसान हैं। ये चाहे कितनी मेहनत करें, अपनी थोड़ी-सी जमीन पर इनकी गुजर ईमानदारी से उसमें हो नहीं सकती।" यह चौधरी चरण सिंह जी का quote है। छोटे किसानों की दयनीय स्थिति चौधरी चरण सिंह जी को हमेशा बहुत पीड़ा देती थी। वे हमेशा उसकी चिंता करते थे। अब हम आगे देखें, ऐसे किसान, जिनके पास एक हेक्टेयर से भी कम जमीन होती है, 1971 में वे 51 परसेंट थे, आज 68 परसेंट हो चुके हैं। यानी देश में ऐसे किसानों की संख्या बढ़ रही है, जिनके पास बहुत थोड़ी सी जमीन है। आज हम लघु और सीमांत किसानों को मिलाएँ, तो 86 परसेंट से ज्यादा किसानों के पास दो हेक्टेयर से भी कम जमीन ही है? क्या देश की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या हमें कभी अपनी योजनाओं के केन्द्र में इन 12 करोड़ किसानों को रख्या 12 करोड़ है। क्या इन 12 करोड़ किसानों के प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या देश की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या हमें कभी अपनी योजनाओं के केन्द्र में इन 12 करोड़ किसानों को रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? इस सवाल का जवाब चौधरी चरण सिंह जी हमारे लिए छोड़ कर गए हैं। हमें इस जवाब को ढूँढ़ना होगा। हमें चौधरी चरण सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए भी इस काम के लिए, जिसको जो सूझे, जिसको मौका मिले, सबको प्रयास करना होगा, तब जाकर हम यह काम कर सकते हैं।

अब पहले की सरकारों की सोच में छोटा किसान क्या था? अगर एक बार हम थोड़ा सोचेंगे, तो ध्यान आएगा, मैं आलोचना के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सचमुच में हम सबको सोचने की आवश्यकता है। जब हम चुनाव आते ही कर्जमाफी का एक कार्यक्रम करते हैं, अब वह किसान का कार्यक्रम है कि वोट का कार्यक्रम है, वह तो हिन्दुस्तान में हर कोई भली-भाँति जानता है, लेकिन जब हम कर्जमाफी करते हैं, तब छोटा किसान उससे वंचित रहता है, उसके नसीब में कुछ नहीं आता है, क्योंकि कर्जमाफी, जो बैंक से लोन लेता है, उसके लिए होती है। बेचारे छोटे किसान का बैंक में खाता ही नहीं, वह कहाँ लोन लेने जाएगा! हमने यह छोटे किसान के लिए नहीं किया है, भले ही हमने राजनीति कर ली हो। एक-दो एकड़ जमीन वाला किसान, जिसके पास बैंक का खाता भी नहीं है, न वह कर्ज लेता है, न उसको कर्जमाफी का फायदा मिलता है।

उसी प्रकार से पहले की 'फसल बीमा योजना' क्या थी? एक प्रकार से वह बीमा, जो बैंक गारंटी के रूप में काम करता था. वह भी छोटे किसान के लिए तो नसीब ही नहीं होता था। वह भी उन्हीं किसानों के लिए होता था, जो बैंक से लोन लेते थे और उनका इंश्योरेंस होता था, तो बैंक वालों को भी एक विश्वास हो जाता था और काम चल जाता था। आज दो हेक्टेयर से कम वाले कितने किसान होंगे, जो बैंक से लोन लेते हैं? सिंचाई की सुविधा देखिए, सिंचाई की सुविधा भी छोटे किसान के नसीब नहीं हुई। बड़े किसान तो बड़े-बड़े पंप लगा देते थे, ट्यूबवेल लगा देते थे, बिजली भी ले लेते थे और बिजली भी मुफ्त मिल जाती थी, उनका काम चल जाता था। छोटे किसान के लिए तो सिंचाई के लिए भी दिक्कत थी। वह तो कभी ट्यूबवेल लगा ही नहीं सकता था, कभी-कभी तो उसको बडे किसान से पानी खरीदना पडता था और वह जो दाम माँगे, वह दाम देना पड़ता था। यूरिया देखिए, बड़े किसानों को यूरिया प्राप्त करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन छोटे किसान को रात-रात भर लाइन में खडे रहना पडता था, उस पर डंडे चलते थे और कभी-कभी तो बेचारा यूरिया के बिना घर वापस लौट जाता था। हम इन छोटे किसानों का हाल जानते हैं। 2014 के बाद हमने कुछ परिवर्तन किए। हमने 'फसल बीमा योजना' का दायरा बढ़ा दिया, ताकि छोटा किसान भी उसका फायदा ले सके। हमने बहुत मामूली रकम से यह काम शुरू किया। पिछले 4-5 साल में 'फसल बीमा योजना' के तहत 90 हजार करोड रुपए, यह छोटी रकम नहीं है, 90 हजार करोड़ रुपए के क्लेम्स किसानों को मिले हैं! यह आँकड़ा कर्जमाफी से भी बड़ा हो जाता है।

फिर किसान क्रेडिट कार्ड देखिए। हमारे यहाँ किसान क्रेडिट कार्ड हुए, लेकिन वे बड़े किसानों तक गए। उनको बैंक से बहुत ही कम ब्याज पर, कुछ राज्यों में ज़ीरो परसेंट ब्याज पर पैसे मिल जाते थे और उनका कोई न कोई उद्योग-धंधा, व्यापार होता था, वे पैसे वहाँ भी लग जाते थे। छोटे किसान के नसीब में यह नहीं था। हमने तय किया कि हम हिन्दुस्तान के हर किसान को किसान क्रेडिट कार्ड देंगे। इतना ही नहीं, इसका दायरा हमने फिशरमेन तक भी बढ़ा दिया है, ताकि वे भी इसका फायदा उठा सकें। पौने-दो करोड़ से ज्यादा किसानों तक 'किसान क्रेडिट कार्ड' का फायदा पहुंच चुका है। बाकी राज्यों से भी हम आग्रह कर रहे हैं कि वे इस कार्य को लगातार आगे बढ़ाते रहें, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इसका लाभ उठा सकें। इसमें राज्यों की जितनी ज्यादा मदद मिलेगी, उतना ही ज्यादा काम हो सकेगा। इसी प्रकार हम एक योजना लाए - 'प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना'। इसके माध्यम से रकम सीधे किसानों के खाते में जाती है। ये सब ऐसे गरीब किसान हैं, जिनके पास पहले कभी इस प्रकार की मदद पहुंची ही नहीं थी। आज 10 करोड़ परिवार ऐसे हैं, जिनको इसका लाभ मिल चुका है। अगर पश्चिमी बंगाल में राजनीति आड़े न आती और वहां के किसान भी इससे जुड़ गए होते, तो यह आंकड़ा इससे भी कहीं ज्यादा होता। अब तक इन किसानों के खाते में 1,15,000 करोड़ रुपया जा चुका है। जिनके पास यह रुपया पहुंचा है, वे सब गरीब और छोटे किसान हैं। हमारी सब योजनाओं के केन्द्र बिन्दु में इसी स्तर के लोग आते हैं।

सभापति महोदय, हमने 100% सॉइल हेल्थ कार्ड की बात कही है, ताकि हमारा छोटा किसान भी यह पता लगा सके कि उसकी जमीन कैसी है और वह कैसी उपज के लिए योग्य होगी। हमने 100% सॉइल हेल्थ कार्ड के लिए काम किया है। इसी प्रकार से हमने यूरिया की नीम कोटिंग को 100% किया है। इसके पीछे हमारा इरादा यही था कि गरीब से गरीब किसान तक भी यूरिया पहुंचने में रुकावट न हो। हम अपने इस उद्देश्य में सफल हुए हैं, क्योंकि यूरिया डायवर्ट होता था।

छोटे और सीमान्त किसानों के लिए पहली बार हम पेंशन सुविधा देने की योजना लेकर आए हैं। मैं देख रहा हूं कि अब धीरे-धीरे हमारे छोटे किसान आगे आ रहे हैं। इसी प्रकार से हमारी 'प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना' है। इस योजना के माध्यम से सिर्फ रोड ही नहीं बनाई जाती, यह गांव के किसानों की जिन्दगी बदलने की एक बहुत बड़ी यश रेखा है, इसलिए हमने इस पर भी बल दिया है।

हमने पहली बार किसान रेल की कल्पना की। छोटे किसान का माल बिकता नहीं था, लेकिन आज किसान रेल के कारण गांव का किसान मुम्बई के बाज़ार में अपना माल बेचने लगा है, फल-सब्जी बेचने लगा है और लाभ कमा रहा है। किसान रेल से छोटे किसानों को फायदा हो रहा है। 'पीएम कृषि उड़ान योजना' के द्वारा उनका सामान हवाई जहाज़ से दूसरी जगह पहुंच सकता है, जैसे हम नॉर्थ-ईस्ट का उदाहरण लें। नॉर्थ-ईस्ट में इतनी बढ़िया-बढ़िया चीज़ें उत्पादित होती हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अभाव में वहां का किसान इनका बेनिफिट नहीं ले पाता था। आज उनको भी 'पीएम कृषि उड़ान योजना' का लाभ मिल रहा है।

छोटे किसानों की परेशानियों से हर कोई परिचित है। उनके सशक्तिकरण की मांग भी समय-समय पर उठती रही है। हमारे आदरणीय शरद पवार जी, कांग्रेस के कई नेता और हर सरकार कृषि सूधारों की वकालत करती रही है। इसमें कोई पीछे नहीं है। हरेक को लगता है कि हमको यह करना चाहिए, कर पाए हों या न कर पाए हों, यह अलग बात है, लेकिन यह होना चाहिए, यह बात हरेक के मुंह से निकली है। आज ही नहीं, पहले भी जब भी जहां जो लोग थे, उन सबने यह बात कही है। अभी माननीय शरद पवार जी ने तो एक बयान भी दिया था कि मैं कृषि में सुधारों के पक्ष में हूं। ठीक है, पद्धति के सम्बन्ध में उनके मन में सवाल हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने सुधारों का विरोध नहीं किया है। मैं समझता हूं कि इस विषय में हमारे साथी श्रीमान सिंधिया जी ने इस कानून को लेकर बहुत ही अच्छे ढंग से इसके कई पहलूओं पर अपने विचार यहां रखे थे। ये सारी बातें पिछले दो दशक से लगातार चल रही हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे आने के बाद ही चली हैं। हरेक ने इन सुधारों के बारे कहा है और हरेक को यह लगा कि अब समय आ गया है, अब यह हो जाएगा। यह ठीक है कि कोई कौमा या फुलस्टॉप इधर-उधर हो सकते हैं, लेकिन कोई भी यह दावा नहीं कर सकता है कि हमारे समय की सोच ही बहुत बढ़िया थी। मैं भी यह दावा नहीं कर सकता हूं कि हमारे समय की ही सोच बढ़िया है और दस साल बाद भी कोई नई सोच नहीं आ सकती है। ऐसा नहीं होता है। यह समाज और हमारा जीवन परिवर्तनशील है। आज के समय हमें जो ठीक लगा, तो चलो चलें, इसे पूरा करें, आगे फिर सुधार करेंगे और नई चीज़ों को इससे जोडेंगे। यही तो प्रगति का रास्ता होता है। रुकावटें डालने से प्रगति कहां होती है?

लेकिन मैं हैरान हूं, कुछ लोगों ने अचानक यू-टर्न ले लिया। ऐसा क्यों किया? ठीक है, आन्दोलन के मुद्दों को लेकर आप इस सरकार को घेर लेते, लेकिन साथ-साथ किसानों से भी तो कहते कि भाई, बदलाव बहुत जरूरी है, अब बहुत साल हो गए, इसलिए अब नई चीज़ों को लेना पड़ेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। मुझे लगता है कि कभी-कभी राजनीति इतनी हावी हो जाती है कि अपने ही विचार पीछे छूट जाते हैं। ठीक है, जो ये सब काम कर रहे हैं, अच्छा है।

आदरणीय डा. मनमोहन सिंह जी यहां पर मौजूद हैं। आज यहां पर मैं उन्हीं का एक quote पढ़ना चाहता हूं। हो सकता है कि जो यू टर्न कर रहे हैं, वे मेरी बात मानें या न मानें, मनमोहन सिंह जी की बात जरूर मानेंगे। "There are other rigidities because of the whole marketing regime set up in the 1930s which prevent our farmers from selling their produce where they get the highest rate of return. It is our intention to remove all those handicaps which come in the way of India realising its vast potential as one large common market."

यह आदरणीय मनमोहन सिंह जी का quote है। आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने किसान को उपज बेचने की आज़ादी दिलाने, भारत को एक कृषि बाज़ार दिलाने के सम्बन्ध में अपना इरादा व्यक्त किया था और वह काम हम कर रहे हैं। आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि देखिये, मनमोहन सिंह जी ने कहा था, वह मोदी को करना पड़ रहा है, आप गर्व कीजिए।..(व्यवधान)...

```
MR. CHAIRMAN: Please. ... (Interruptions)...
```

श्री नरेन्द्र मोदी : मज़ा यह है कि जो लोग उछल-उछल करके पोलिटिकल बयानबाज़ी करते हैं, उनके राज्यों में भी जब उनको मौका मिला है, हर किसी ने इसी में से आधा-अधूरा कुछ न कुछ किया ही किया है। यहां जो दल विरोध में हैं, उनकी भी जहां सरकारें हैं, वहां आधा-अधूरा कुछ न कुछ तो किया ही है, क्योंकि उनको भी मालूम है कि रास्ता तो यही है और मैंने देखा है कि इस चर्चा में लॉ की जो स्पिरिट है, उस पर किसी की चर्चा नहीं हुई है। शिकायत यह है कि तरीका ठीक नहीं था, जल्दी कर दिया, इसको नहीं पूछा, यह रहता है - वह तो परिवार में शादी होती है तो भी फूफी नाराज़ होकर कहती है कि मुझे कहां बुलाया - वह तो रहता है, इतना बड़ा परिवार है तो रहता ही है।

### (उपसभापति महोदय पीठासीन हुए)

हम कुछ और बातों की ओर भी ध्यान दें। अब देखिये, दूध उत्पादन किसी बंधनों में बंधा हुआ नहीं है, न पशुपालक बंधनों में बंधा हुआ है, न दूध बंधनों में बंधा हुआ है, लेकिन मज़ा देखिये। दूध के क्षेत्र में या तो प्राइवेट या कोऑपरेटिव, दोनों ने एक ऐसी बड़ी मज़बूत चेन बनाई है, दोनों मिल करके इस काम को कर रहे हैं और एक बेहतरीन सप्लाई चेन हमारे देश में बनी है और यह मेरे काल में नहीं बनी है। आप भी इसका गर्व कर सकते हैं। मेरे काल से पहले बनी हुई है, हमें गर्व करना चाहिए। फल-सब्जी से जुड़े विषय में ज्यादातर बाजारों का सीधा सम्पर्क रहता है, बाज़ारों का दख़ल हट गया है। इसका लाभ मिल रहा है। क्या डेयरी वाले, फल-सब्जी खरीदने वाले उद्यमी, पशुपालकों या किसानों की जमीन पर कब्ज़ा हो जाता है, क्या उनके पशु पर कब्ज़ा हो जाता है? नहीं होता है। दूध बिकता है, पशु नहीं बिकता है। हमारे देश में डेयरी उद्योग का योगदान कृषि अर्थव्यवस्था के कुल मूल्य में 28 प्रतिशत से भी ज्यादा है। यानी हम इतना बड़े एग्रीकल्चर की चर्चाएं करते हैं और इस पहलू को हम भूल जाते हैं, 28 परसेन्ट कंट्रीब्यूशन है और करीब-करीब आठ लाख करोड़ रुपयों का कारोबार है। जितने रुपये का दूध होता है, उसका मूल्य, अनाज और दाल दोनों मिला लें तो उससे ज्यादा है। हम कभी इस तरफ देखते ही नहीं हैं। पशुपालकों को पूरी आज़ादी, अनाज और दाल पैदा करने वाले छोटे और सीमान्त किसानों को, जैसे पशुपालक को आजादी मिली है, इनको आजादी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? अब इन सवालों के जवाब हम ढूंढ़ेंगे तो हम सही रास्ते पर चलेंगे।

आदरणीय उपसभापति जी, यह बात सही है, जैसा हम लोगों का स्वभाव रहा है कि घर में भी, यदि थोडा सा भी परिवर्तन करना हो तो घर में भी तनाव हो जाता है, चेयर यहां क्यों रखी, टेबल यहां क्यों रखी, ऐसा घर में भी होता है। ऐसा घर में भी होता है। इतना बड़ा देश है और जिस प्रकार की परम्पराओं में हम पले-बढ़े हैं, तो मैं यह स्वाभाविक मानता हूँ। जब भी कोई नयी चीज़ आती है, तो हमारे यहाँ थोडा-बहुत भय रहता ही है, असमंजस की स्थिति भी रहती है। लेकिन ज़रा वह दिन याद कीजिए जब हरित क्रांति की बातें होती थीं। हरित क्रांति के समय जो कृषि सुधार हुए, तब भी जो आशंकाएँ हुईं, जो आन्दोलन हुए, यह well documented है और यह देखने जैसा है। कृषि सुधार के लिए सख्त फैसले लेने के उस दौर में शास्त्री जी का हाल यह था कि अपने साथियों में से कोई कृषि मंत्री बनने को तैयार नहीं होता था, क्योंकि लगता था कि यह ऐसा है कि हाथ जल जायेंगे और किसान नाराज़ हो जायेंगे, तो मेरी तो राजनीति समाप्त हो जाएगी। ये शास्त्री जी के समय की घटनाएँ हैं। अन्त में शास्त्री जी को सी. सुब्रमण्यम जी को कृषि मंत्री बनाना पड़ा था और उन्होंने reforms की बातें कीं। योजना आयोग ने भी उसका विरोध किया था। मज़ा देखिए कि योजना आयोग ने भी विरोध किया था। वित्त मंत्रालय सहित पूरी कैबिनेट के अन्दर भी विरोध का स्वर उठा था, लेकिन देश की भलाई के लिए शास्त्री जी आगे बढ़े। लेफ्ट पार्टी जो आज भाषा बोलती है, वही उस समय भी बोलती थी। वह यही कहती थी कि अमेरिका के इशारे पर शास्त्री जी यह कह रहे हैं, अमेरिका के इशारे पर कांग्रेस यह कर रही है। सारी चीज़ें, जितनी आज मेरे खाते में जमा हैं, वे पहले आपके यहाँ के अकाउंट में थीं। ...(व्यवधान)... कांग्रेस के नेताओं को अमेरिका का एजेंट कह दिया जाता था।

# (सभापति महोदय पीठासीन हुए)

यह सब कुछ, लेफ्ट वाले आज जो भाषा बोलते हैं, उस समय भी उन्होंने यही भाषा बोली थी। कृषि सुधारों को छोटे किसानों को बरबाद करने वाला बताया गया था। देश भर में हजारों प्रदर्शन आयोजित हुए थे, बड़ा मूवमेंट चला था। इसी माहौल में भी श्री

लाल बहादुर शास्त्री जी और उनके बाद की सरकार जो करती रही, उसी का परिणाम है कि जो कभी हम PL 480 मँगवाकर खाते थे, आज देश अपने किसानों के द्वारा अपनी मिट्टी से पैदा की हुई चीज़ें खाता है। ...(व्यवधान)...

रिकॉर्ड उत्पादन के बावजूद भी हमारे कृषि क्षेत्र में समस्याएँ हैं। कोई इससे तो मना नहीं कर सकता कि समस्याएँ नहीं हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान हम सब को मिल कर करना होगा और मैं मानता हूँ कि अब समय ज्यादा इंतज़ार नहीं करेगा। हमारे राम गोपाल जी ने बहुत ही अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि कोरोना लॉकडाउन में भी हमारे किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया है। सरकार ने भी बीज, खाद, सारी चीज़ें कोरोना काल में भी पहुँचाने में कोई कमी नहीं होने दी, कोई संकट नहीं आने दिया और उसका सामूहिक परिणाम मिला कि देश के पास यह भंडार भरा रहा, उपज की रिकॉर्ड खरीदी भी इस कोरोना काल में ही हुई है। तो मैं समझता हूँ कि हमें नये-नये उपाय खोज-खोज कर आगे बढ़ना होगा और जैसा मैंने कहा कि कोई भी - कई कानून हैं, हर कानून में दो साल, पाँच साल के बाद, तो कभी दो महीने, तीन महीने के बाद सुधार करते ही करते हैं। हम कोई static अवस्था में जीने वाले लोग थोड़े ही हैं। जब अच्छे सुझाव आते हैं, तो अच्छे सुधार भी आते हैं और सरकार भी अच्छे सुझावों को स्वीकार करती है। सिर्फ हमारी सरकार ही नहीं, हर सरकार ने अच्छे सुझावों को स्वीकार किया, यही तो लोकतंत्र की परम्परा है। इसलिए अच्छा करने के लिए अच्छे सुझावों के साथ, अच्छे सुधारों की तैयारी के साथ हम सब को आगे बढ़ना चाहिए। मैं आप सब को निमंत्रण देता हूँ कि आइए, देश को आगे ले जाने के लिए, कृषि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए, आन्दोलनकारियों को समझाते हुए हमें देश को आगे ले जाना होगा। हो सकता है कि शायद आज नहीं तो कल, जो भी यहाँ होगा, किसी न किसी को यह काम करना ही पडेगा। आज मैंने किया है, गालियाँ मेरे खाते में जाने दो, लेकिन इसे अच्छा करने में आप जुड़ जाओ। बुरा हो तो मेरे खाते में और अच्छा हो तो आपके खाते में। आओ, मिल करके चलें। ...(व्यवधान)...

हमारे कृषि मंत्री जी लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार मीटिंग्स हो रही हैं और अभी तक कोई तनाव पैदा नहीं हुआ है। एक-दूसरे की बातों को समझने का, समझाने का प्रयास चल रहा है। हम लगातार आंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रकर से बुजुर्ग लोग वहाँ बैठें, यह ठीक नहीं है, इसलिए आप उन सबको ले जाइए, आप आंदोलन को खत्म कीजिए, आगे बढ़ने के लिए मिल-बैठ कर चर्चा करेंगे, रास्ते खुले हैं - यह सब हमने कहा है। मैं आज भी इस सदन के माध्यम से भी निमंत्रण देता हूँ।

आदरणीय सभापति जी, यह बात निश्चित है कि हमारी खेती को खुशहाल बनाने के लिए फैसले लेने का यह समय है। हमें इस समय को गँवा नहीं देना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए, देश को पीछे नहीं ले जाना चाहिए। पक्ष हो, विपक्ष हो, आंदोलनरत साथी हों, इन सुधारों को हमें मौका देना चाहिए और एक बार देखना चाहिए कि इस परिवर्तन से हमें लाभ होता है या नहीं होता है। कोई कमी हो, तो उसको ठीक करेंगे और कहीं ढिलाई है, तो उसको कसेंगे। ऐसा तो है नहीं कि सब दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, इसलिए मैं कहता हूँ, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मंडियाँ अधिक आधुनिक बनेंगी, अधिक प्रतिस्पर्धी होंगी। हमने इस बार बजट में भी उसके लिए प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था और एमएसपी रहेगा। हम इस सदन की पवित्रता समझें। जिन 80 करोड़ से अधिक लोगों को सस्ते में राशन दिया जाता है, वह भी continue रहेगा, इसलिए मेहरबानी करके भ्रम फैलाने के काम में हम न जुड़ें, क्योंकि देश ने हमको एक विशिष्ट जिम्मेवारी दी है।

किसानों की आय बढ़ाने के जो दूसरे उपाय हैं, उन पर भी हमें बल देने की जरूरत है। आबादी बढ़ रही है, परिवार के अंदर सदस्यों की संख्या बढ़ रही है, जमीन के टुकड़े छोटे होते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमें कुछ न कुछ ऐसा करना ही होगा, ताकि किसानी पर बोझ कम हो और हमारे किसान के परिवार के लोग भी रोज़ी-रोटी कमा सकें, इसके लिए हम किसानों के लिए और अवसर उपलब्ध करा सकें। इनकी तकलीफों को दूर करने के लिए हमें काम करना होगा और मैं मानता हूँ कि अगर हम देर कर देंगे, अपने ही राजनीतिक समीकरणों में फँसे रहेंगे, तो हम किसानों को अंधकार की तरफ धकेल देंगे। कृपा करके हमें किसानों के उज्ज्वल भविष्य के लिए इससे बचना चाहिए। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि हमें इस बात की चिंता करनी होगी।

आदरणीय सभापति जी, हमें डेयरी और पशुपालन को हमारे कृषि क्षेत्र के साथ बढ़ावा देने की जरूरत है ताकि हमारा किसान पगभर हो। उसी प्रकार, हमने इसी काम के लिए foot and mouth disease के लिए एक बहुत बड़ा अभियान चलाया है, ताकि किसान या पशुपालक, जो by and large किसानी से जुड़ा हुआ रहता है, उसको भी लाभ हो। हमने फिशरीज़ पर भी बल दिया और इसके लिए एक अलग मिनिस्ट्री बनाई और 20,000 करोड़ रुपए 'पीएम मत्स्य संपदा योजना' के लिए लगाये हैं, ताकि इस पूरे क्षेत्र को एक नया बल मिले। भारत में sweet revolution की बहुत संभावनाएँ हैं। इसके लिए बहुत जमीन की जरूरत नहीं है। अगर किसान अपने ही खेत के एक कोने में यह कर दे, तो भी वह एक साल में 40 हज़ार, 50 हज़ार, एक लाख या दो लाख रुपए कमा लेगा, इसलिए हमने शहद के लिए sweet revolution का माहौल बनाया। उसी प्रकार से bee wax का है। दुनिया में bee wax की माँग है। भारत bee wax एक्सपोर्ट कर सकता है। हमने उसके लिए माहौल बनाया। अगर कोई छोटा किसान होगा, तो वह अपने ही खेत के एक कोने में इसको करके एक नई कमाई कर सकता है। हमें इसको जोड़ना होगा, क्योंकि मधुमक्खी पालन के लिए कोई सैकडों एकड जमीन की जरूरत नहीं है, बल्कि किसान आराम से अपने खेत में कर सकता है।

सोलर पम्प - हम कहते हैं कि अन्नदाता ऊर्जादाता बने। वह अपने खेत में ही अपने सोलर सिस्टम से ऊर्जा पैदा करे, सोलर पम्प चलाए, अपनी पानी की आवश्यकता को पूरी करे। इस प्रकार से वह अपने इस खर्च के बोझ को कम करे और अगर वह एक फसल लेता है, तो दो फसल ले, अगर दो फसल लेता है, तो तीन फसल ले। अगर crop pattern में बदलाव करना है, तो उसमें बदलाव करे, उस दिशा में हम जा सकते हैं। आदरणीय सभापति महोदय, एक और बात है। भारत की ताकत ऐसी समस्याओं के समाधान करने और नए रास्ते खोजने की रही है और आगे भी खोजेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, जो भारत अस्थिर रहे, अशांत रहे, इसके लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं। हमें इन लोगों को जानना होगा। हम यह न भूलें कि पंजाब के साथ क्या हुआ। जब बंटवारा हुआ, तब सबसे ज्यादा पंजाब को भुगतना पड़ा। जब 1984 के दंगे हुए, तब सबसे ज्यादा आंसू पंजाब में बहे, पंजाब को सबसे ज्यादा दर्दनाक घटनाओं का शिकार होना पड़ा। जो जम्मू-कश्मीर में हुआ, निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया गया, जो नॉर्थ-ईस्ट में होता रहा, आए-दिन बम, बंदूक और गोलियों का कारोबार चलता रहा। इन सारी बातों ने किसी न किसी रूप में देश का बहुत नुकसान किया है। इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं, इसे हर समय सभी सरकारों ने देखा है, जाना है, परखा है, इसलिए हम उस जज़्बे से इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए तेजी से आगे बढ़ें और हम यह न भूलें कि कुछ लोग, खासकर हमारे पंजाब के, खासकर सिख भाइयों के दिमाग में गलत चीज़ें भरने में लगे हैं। यह देश हर सिख के लिए गर्व करता है। इन्होंने देश के लिए क्या-कुछ नहीं किया। हम इनका जितना आदर करें, उतना कम है। गुरुओं की महान परंपराओं को -- मेरा भाग्य रहा है कि मुझे पंजाब की रोटी खाने का अवसर मिला है। मैंने जिंदगी के बहुत महत्वपूर्ण वर्ष पंजाब में बिताए हैं, इसलिए मुझे मालूम है। कुछ लोग उनके लिए जो भाषा बोलते हैं,

उनको गुमराह करने का प्रयास करते हैं, इससे देश का कभी भला नहीं होगा, इसलिए हमें इस दिशा में चिंता करने की आवश्यकता है।

आदरणीय सभापति महोदय, हम लोग कुछ शब्दों से बड़े परिचित हैं - श्रमजीवी, बुद्धिजीवी - इन सभी शब्दों से परिचित हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है और वह है आंदोलनजीवी। आप देखेंगे कि चाहे वकीलों का आंदोलन है, वे वहाँ नज़र आएंगे, स्टूडेंट्स का आंदोलन है, वे वहाँ नज़र आएंगे, मजदूरों का आंदोलन है, वे वहाँ नज़र आएंगे - कभी परदे के पीछे, तो कभी परदे के आगे - एक पूरी टोली है, जो आंदोलजनजीवी है। वे आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन के साथ जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा, जो सब जगह पहुंचकर बड़ा ideological stand दे देते हैं, गुमराह कर देते हैं, नए-नए तरीके बता देते हैं। देश को आंदोलनजीवी लोगों से बचना चाहिए, क्योंकि यही उनकी ताकत है। उनका तरीका यह है कि वे खुद तो चीज़ों को खड़ा नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे का कुछ चल रहा हो, तो वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। जितने दिन आंदोलन चले, वहाँ उनका काम चल जाता है। ऐसे लोगों को पहचानने की बहुत आवश्यकता है। ये सारे आंदोलनजीवी, परजीवी होते हैं और यहाँ पर सब लोगों को मेरी बात से आनंद इसलिए भी होगा, क्योंकि आप जहाँ-जहाँ सरकारें चलाते होंगे, आपको भी ऐसे परजीवी, आंदोलनजीवियों का अनुभव होता होगा।

सभापति महोदय, इसी प्रकार से, मैं एक नई चीज़ देख रहा हूँ। देश प्रगति कर रहा है, हम Foreign Direct Investment (FDI) की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इन दिनों एक नया FDI मैदान में आया है। इस नए FDI से देश को बचाना ही है। हमें Foreign Direct Investment (FDI) चाहिए, लेकिन यह जो नया FDI नज़र आ रहा है, इस नए FDI से जरूर बचना होगा और यह नया FDI, Foreign Destructive Ideology है, इसलिए इस FDI से देश को बचाने के लिए हमें और जागरूक रहने की जरूरत है। आदरणीय सभापति जी, हमारे देश के विकास के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अपना एक मूल्य है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमारे 'आत्मनिर्भर भारत' का एक अहम स्तम्भ है। 'आत्मनिर्भर भारत', यह किसी सरकार का कार्यक्रम नहीं हो सकता है और होना भी नहीं चाहिए, यह 130 करोड़ देशवासियों का संकल्प होना चाहिए। हमें गर्व होना चाहिए और इस पर कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों ने हमें यही रास्ता दिखाया था। अगर हम वहाँ से थोडे हट गए हैं, तो वापस उस पटरी पर आने की जरूरत है और 'आत्मनिर्भर भारत' के रास्ते पर हमको बढना ही होगा। अगर हमें गाँव और शहर की खाई को पाटना है, तो उसके लिए भी हमें 'आत्मनिर्भर भारत' की ओर बढ़ना ही होगा। मुझे विश्वास है कि जब हम उन बातों को लेकर आगे बढ रहे हैं. तो हमारे देश के सामान्य मानवी का विश्वास बढेगा। जैसे, अभी प्रश्नोत्तर काल के अंदर 'जल-जीवन मिशन' की चर्चा हो रही थी कि इतने कम समय में तीन करोड़ परिवारों तक पीने का पानी पहुँचाने का, उनके घर में नल का कनेक्शन देने का काम हो चुका है। आत्मनिर्भरता तभी संभव है, जब अर्थव्यवस्था में सभी की भागीदारी हो।

हमारी सोनल बहन ने अपने भाषण को बहनों और बेटियों की भागीदारी पर फोकस कर, उस पर विस्तार से चर्चा की। कोरोना काल में, चाहे राशन हो, आर्थिक मदद हो या मुफ्त गैस सिलेण्डर हो, एक प्रकार से सरकार ने हर तरह से हमारी माताओं और बहनों को असुविधा न हो,
इसकी पूरी चिन्ता करने का प्रयास किया है और उन्होंने एक शक्ति बनकर इन चीज़ों को सम्भालने में मदद भी की है। जिस तरह इस मुश्किल परिस्थिति में हमारे देश की नारी-शक्ति ने बड़े धैर्य के साथ परिवार को सम्भाला, परिस्थितियों को सम्भाला है, कोरोना की इस लड़ाई में हर परिवार की मातृ-शक्ति की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है और उनका मैं जितना धन्यवाद करूँ, उतना कम है। बहनों और बेटियों का यह हौसला देखकर मैं समझता हूँ कि 'आत्मनिर्भर भारत' में हमारी माताएँ एवं बहनें अहम भूमिका निभाएँगी, मुझे यह पूरा विश्वास है। आज युद्ध-क्षेत्र में भी हमारी बेटियों की भागीदारी बढ़ रही है। जो नए लेबर कोड्स बने हैं, उनमें भी बेटियों के लिए हर सेक्टर में काम करने के लिए समान वेतन का हक दिया गया है। 'मुद्रा योजना' से जो 70 प्रतिशत लोन लिया गया है, वह हमारी बहनों के द्वारा लिया गया है, यानी एक प्रकार से यह addition है। करीब सात करोड़ महिलाओं की सहभागिता से 60 लाख से ज्यादा Self help groups आज 'आत्मनिर्भर भारत' के प्रयासों को एक नई ताकत दे रहे हैं।

भारत की युवा-शक्ति पर हम जितना जोर लगाएँगे, उनको हम जितने अवसर देंगे, मैं समझता हूँ कि वे उतने हमारे देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए एक मजबूत नींव बनेंगे। जो राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी आई है, उस राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी में भी हमारी युवा-पीढ़ी को नए अवसर देने का प्रयास हुआ है। मुझे खुशी है कि एजुकेशन पॉलिसी पर चर्चा में एक लम्बा समय लगा, लेकिन देश में जिस प्रकार से उसकी स्वीकृति हुई है, उसने एक नया विश्वास पैदा किया है और मुझे विश्वास है कि यह नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे देश के लिए एक नये तरीके से पढ़ने का, एक नये तरीके के विचार का आगमन है।

हमारे MSME सेक्टर को रोज़गार के सबसे ज्यादा अवसर मिल रहे हैं। कोरोना काल में जो stimulus की बात हुई, उसमें भी MSMEs पर पूरा ध्यान दिया गया और उसी का परिणाम है कि आर्थिक रिकवरी में आज हमारे MSMEs बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं।

हम लोग प्रारम्भ से 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' का मंत्र लेकर चल रहे हैं। उसी का परिणाम है कि चाहे नॉर्थ-ईस्ट हो या नक्सल प्रभावित क्षेत्र हों, वहाँ धीरे-धीरे हमारी समस्याएँ कम होती जा रही हैं और समस्याएँ कम होने के कारण, सुख और शान्ति के अवसर पैदा होने के कारण विकास की मुख्य धारा में हमारे सभी साथियों को आने का अवसर मिल रहा है। भारत के उज्ज्वल भविष्य में ईस्टर्न इंडिया बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा, मैं यह साफ देख रहा हूं और हम पूरी मज़बूती से काम करेंगे। मैं आदरणीय गुलाम नबी आज़ाद जी को सुन रहा था, मृदुता, सौम्यता और कभी भी कटु शब्दों का उपयोग न करना, यह उनकी विशेषता रही है। मैं मानता हूं कि हम सभी सांसदगणों को उनसे यह सीखना चाहिए, इसलिए मैं उनका आदर भी करता हूं। उन्होंने जम्मू-कश्मीर में होने वाले चुनावों की तारीफ की। उन्होंने यह भी कहा कि मेरे दिल में जम्मू-कश्मीर विशेष है और उनके दिल में यह होना स्वाभाविक भी है। पूरे हिन्दुस्तान के दिल में जम्मू-कश्मीर उसी भाव से भरा पड़ा है। जम्मू-कश्मीर आत्मनिर्भर बनेगा, उस दिशा में वहां पंचायत के चुनाव हुए, बीडीसी के चुनाव हुए, डीडीसी के चुनाव हुए और इन सबकी सराहना गुलाम नबी जी ने की है, इस प्रशंसा के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं, लेकिन मुझे डर लगता है-आपने प्रशंसा की। मुझे विश्वास है कि आपकी पार्टी वाले इसको उचित स्पिरिट में लेंगे। गलती से जी-23 की राय मानकर उलटा न कर दें। सभापति महोदय, कोरोना के चुनौतीपूर्ण दौर में सीमा पर भी चुनौती देने की कोशिश हुई। हमारे वीर जवानों के हौसले और उनकी कुशलता ने सटीक जवाब दिया है। हर हिन्दुस्तानी को इस बात पर गर्व होना चाहिए। मुश्किल परिस्थितियों में भी हमारे जवान डटकर खड़े रहे। हमारे तमाम साथियों ने भी हमारे जवानों के शौर्य की सराहना की है, मैं उनका आभारी हूं। एलएसी पर जो स्थिति बनी है, उस पर भारत का रुख बहुत स्पष्ट है और देश उसको भली-भांति देख रहा है और गर्व भी कर रहा है। बॉर्डर इन्फ्रास्ट्रक्चर और बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर हमारी प्रतिबद्धता में किसी प्रकार की ढील आने का सवाल नहीं होता, गुंजाइश ही नहीं है और जो लोग हमारा लालन-पालन और हमारे विचारों को, हमारा उद्देश्य देखते हैं, वे कभी भी इस विषय पर हमसे सवाल ही नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम इस विषय पर डटे रहने वाले लोग हैं। इसलिए हम इन विषयों में कहीं पर भी पीछे नहीं हैं। आदरणीय सभापति जी, इस सदन की उत्तम चर्चा के लिए मैं सबका धन्यवाद करते हुए आखिर में एक मंत्र का उल्लेख करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। हमारे यहां वेदों में एक महान विचार प्राप्त होता है, वह हम सबके लिए, 130 करोड़ देशवासियों के लिए है। यह मंत्र अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। वेदों का यह मंत्र कहता है।

"अयुतो अहं अयुतो मे आत्मा अयुतं मे चक्षुः अयुतं श्रोत्रम् |"

अर्थात् मैं एक नहीं हूं, मैं अकेला नहीं हूं। मैं अपने साथ करोड़ों मानवों को देखता हूं, अनुभव करता हूं। इसलिए मेरी आत्मिक शक्ति करोड़ों की है, मेरे साथ करोड़ों की दृष्टि है, मेरे साथ करोड़ों की श्रवण शक्ति और कर्म शक्ति भी है।

आदरणीय सभापति जी, वेदों की इसी भावना से, इसी चेतना से 130 करोड़ से अधिक देशवासियों वाला भारत सबको साथ लेकर आगे बढ रहा है। आज 130 करोड देशवासियों के सपने हिन्दुस्तान के सपने हैं। आज 130 करोड़ से अधिक देशवासियों की आकांक्षाएं, इस देश की आकांक्षाएं हैं। आज 130 करोड देशवासियों का भविष्य भारत के उज्ज्वल भविष्य की गारंटी है, इसलिए आज जब देश नीतियां बना रहा है, प्रयास कर रहा है, तो यह केवल तत्कालीन हानि-लाभ के लिए नहीं है। जब देश 2047 में एक लम्बे और दूरगामी समय में आज़ादी का शतक मनाएगा, यह देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के सपनों की नींव रखी जा रही है। मुझे विश्वास है कि इस काम को पूरा करने में हम अवश्य सफल होंगे। मैं एक बार फिर आदरणीय राष्ट्रपति जी के उद्बोधन के लिए, उनका आदरपूर्वक धन्यवाद करते हुए अभिनंदन करता हूं। सदन में जिस तरह से चर्चा हुई है, मैं सच बताता हूं कि चर्चा का स्तर भी अच्छा था और वातावरण भी अच्छा था। यह ठीक है कि इससे कितने लाभ होते हैं-मुझ पर भी कितना हमला हुआ है, हर प्रकार से जो भी कहा जा सकता था, कहा गया, लेकिन मुझे बहुत आनन्द मिला कि मैं कम से कम आपके काम तो आया। देखिए, एक तो कोरोना के कारण आपका ज्यादा आना-जाना नहीं होता होगा, आप फंसे रहते होंगे और घर में भी किच-किच होती रहती होगी, तो आपने यहां इतना गुस्सा निकाल दिया, तो आपका मन कितना हल्का हो गया होगा। आप घर के अंदर कितनी खुशी व चैन से समय बिताते होंगे, तो आपको जो यह आनन्द मिला है, इसके लिए मैं काम आया, मैं इसको भी अपना सौभाग्य मानता हूं। मैं चाहूंगा कि आप यह आनन्द लगातार लेते रहिए, लगातार चर्चा करते रहिए, सदन को जीवंत बनाकर रखिए, मोदी है, मौका लीजिए, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद, प्रधान मंत्री जी। I shall now put the Amendments which have been moved to vote. Now, Amendments (Nos. 11 to 18) by Shri Tiruchi Siva.

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, we requested the Prime Minister to have a concern on its citizens who have been protesting for two-and-a-half months.

MR. CHAIRMAN: Are you withdrawing or should I put them to vote? ... *(Interruptions)*... No speeches allowed now. ... *(Interruptions)*... You know that. Are you withdrawing the Amendments or should I put them to vote?

SHRI TIRUCHI SIVA: I am pressing my Amendments but, Sir ... (Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: That you have got every right. ... (Interruptions)...

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, we expected the Prime Minister to give an assurance.

MR. CHAIRMAN: Are you withdrawing the Amendments or should I put them to vote?

SHRI TIRUCHI SIVA: If the Prime Minister gives an assurance, we will not press our Amendments.

MR. CHAIRMAN: He has spoken at length and covered various aspects. Now, it is up to you. ... (Interruptions)...

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, I am pressing my Amendments.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendments (Nos. 11 to 18) by Shri Tiruchi Siva to vote.

The Amendments (Nos. 11 to 18) were negatived.

MR. CHAIRMAN: Now, Amendments (Nos. 19 to 27) by Shri M. Shanmugam. Shri M. Shanmugam, are you withdrawing or pressing your Amendments?

SHRI M. SHANMUGAM (Tamil Nadu): Sir, I am pressing my Amendments.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendments (Nos. 19 to 27) by Shri M. Shanmugam to vote.

The Amendments (Nos. 19 to 27) were negatived.

MR. CHAIRMAN: Now, Amendments (Nos. 28 to 32) by Shri Digvijaya Singh. Shri Digvijaya Singh...

श्री दिग्विजय सिंह (मध्य प्रदेश): मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से अनुरोध करुँगा...(व्यवधान)....

MR. CHAIRMAN: No, no. ... (Interruptions).

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, I have to explain.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, he has to explain his Amendments.

MR. CHAIRMAN: No. That has not been the practice. ... (Interruptions)... We all know that. ... (Interruptions)...

श्री दिग्विजय सिंह: समस्या का निदान सबको मिलकर करना चाहिए। ...(व्यवधान).... उसका पालन करिए। ...(व्यवधान)....

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendments (Nos. 28 to 32) by Shri Digvijaya Singh to vote.

The Amendments (Nos. 28 to 32) were negatived.

MR. CHAIRMAN: Now, Amendments (Nos. 33 to 41) by Shri M.V. Shreyams Kumar. Are you withdrawing or pressing your Amendments?

SHRI M. V. SHREYAMS KUMAR (Kerala): Sir, I am pressing my Amendments.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendments (Nos. 33 to 41) by Shri M.V. Shreyams Kumar to vote.

The Amendments (Nos. 33 to 41) were negatived.

MR. CHAIRMAN: Amendments (Nos. 42 to 51) by Shri K.C. Venugopal. Shri Venugopal, are you withdrawing or pressing?

SHRI K.C. VENUGOPAL (Rajasthan): Sir, I want to speak...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: You have moved them that day. ... (Interruptions)... You have already moved them. That is why, they are on record. ... (Interruptions)... So, the Amendments are moved. I shall now put the Amendments (Nos. 42 to 51) to vote.

The Amendments (Nos.42 to 51) were negatived.

MR. CHAIRMAN: Amendments (Nos. 75 to 77) by Shri Deepender Singh Hooda. Deepender Singh*ji*, are you pressing the Amendments or withdrawing?

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (हरियाणा): सर, किसान विरोधी तीनों कानूनों को वापस लिया जाए। मैंने यह अमेंडमेंट दिया है और ...(व्यवधान)...

श्री सभापति : भाषण नहीं जाएगा। I shall now put the Amendments (Nos. 75 to 77) to vote.

The Amendments (Nos.75 to 77) were negatived.

MR. CHAIRMAN: Amendments (Nos. 78, 79, 82 to 89) by Shri Vishambhar Prasad Nishad. Are you withdrawing the Amendments or pressing?

SHRI VISHAMBHAR PRASAD NISHAD (Uttar Pradesh): Sir, I am pressing.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendments (Nos. 78,79, 82 to 89) to vote.

The Amendments (Nos.78, 79, 82 to 89) were negatived.

MR. CHAIRMAN: Amendments (Nos. 80, 81 and 90 to 93) by Shri Sukhram Singh Yadav. Sukhram Singh*ji*, are you pressing the Amendments?

SHRI SUKHRAM SINGH YADAV (Uttar Pradesh): Sir, I am pressing.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendments (Nos. 80, 81 and 90 to 93) to vote.

The Amendments (Nos.80, 81 and 90 to 93) were negatived.

MR. CHAIRMAN: Amendment (Nos. 94 to 97) by Shrimati Chhaya Verma. Chhaya Vermaji, are you withdrawing or pressing?

श्रीमती छाया वर्मा (छत्तीसगढ़ ): सर, मैं अपने अमेंडमेंट्स press करती हूं।

MR. CHAIRMAN: Amendments are not withdrawn. I shall now put the Amendments (Nos. 94 to 97) to vote.

The Amendments (Nos.94 to 97) were negatived.

MR. CHAIRMAN: Amendments (Nos. 98 to 107) by Shri Bikash Ranjan. Bikash Ranjanji, are you withdrawing the Amendments?

SHRI BIKASH RANJAN (West Bengal): Sir, I am pressing.

MR. CHAIRMAN: Amendments not withdrawn. I shall now put the Amendments (Nos. 98 to 107) to vote.

The Amendments (Nos.98 to 107) were negatived.

MR. CHAIRMAN: Amendment (No. 108) by Shri Elamaram Kareem. Shri Elamaram Kareem, are you withdrawing the Amendment?

SHRI ELAMARAM KAREEM (Kerala): Sir, the controversial farmer's Bills are not repealed, so I press the Amendment.

MR. CHAIRMAN: Amendment not withdrawn. I shall put the Amendment (No. 108) to vote.

The Amendment (No. 108) is negatived.

MR. CHAIRMAN: Now I shall put the Motion to vote. ... (Interruptions)... Please, it will not go on record. ... (Interruptions)... It will not go on record. You all know that this has been the practice for years. Nothing new has been introduced by me. If it had been there earlier, then I would have also thought about the same. The question is:

'That the Members of the Rajya Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the President for the Address which he has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on January 29, 2021.'''

#### The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, I am happy that on the first day, 26 Members and on the second day, 25 Members have spoken. ... (Interruptions)... I am happy that we had a meaningful, deliberate discussion. Now, the Statement regarding Ordinance. Shri Hardeep Singh Puri. ... (Interruptions)...

#### STATEMENT RAGARDING ORDINANCE

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS; THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI HARDEEP SINGH PURI): Sir, with your permission, I rise to lay on the Table, a statement (in English and Hindi) explaining the circumstances which had necessitated immediate legislation by the National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second (Amendment) Ordinance, 2020.

#### GOVERNMENT BILLS AND STATUTORY RESOLUTION

# The National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second (Amendment) Bill, 2021

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS; THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI HARDEEP SINGH PURI): Sir, I move for leave to introduce a Bill further to amend the National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second Act, 2011.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, I introduce the Bill.

# \*Disapproval of the Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Ordinance, 2021

#### and

#### \*The Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill, 2021

MR. CHAIRMAN: Now, the Statutory Resolution. ...(Interruptions)... Please, this is not the way. You know the practice also. ...(Interruptions)... Nothing else will go on record except what the Chairman has permitted. Now, Statutory Resolution and the Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill, 2021, to be discussed together. The time allotted is two hours. Now, Shri Elamaram Kareem to move the Resolution.

SHRI ELAMARAM KAREEM (KERALA): Mr. Chairman, Sir, I move:-

"That this House disapproves the Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Ordinance, 2021 (No.1 of 2021) promulgated by the President of India on 7<sup>th</sup> January, 2021."

MR. CHAIRMAN: The Resolution is moved. ... (Interruptions)... You have got every right. It is over now. You should have done it in the beginning itself. You have wasted time. ... (Interruptions)...

(At this stage, some hon. Members left the Chamber)

MR. CHAIRMAN: Now, Shri G. Kishan Reddy to move the motion for consideration of the Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill, 2021. ... (Interruptions)...

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI G. KISHAN REDDY): Mr. Chairman, Sir, I move:-

That the Bill to amend the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019, be taken into consideration.

<sup>\*</sup> Discussed together

#### The questions were proposed.

MR. CHAIRMAN: We have moved to the Kashmir issue and the Resolution has been moved. Please bear with me. Members will speak now and, after the discussion is over, the Minister will respond. ... (Interruptions)... Please, we have now taken up the Bill on Jammu and Kashmir ... (Interruptions)... Now, the Bill has been moved by the Home Minister and it is open for discussion. Shri Ghulam Nabi Azad to initiate the discussion.

विपक्ष के नेता (श्री गुलाम नबी आज़ाद): माननीय चेयरमैन सर, आज जो बिल यहां सदन के सामने रखा गया है, वह जम्मू-कश्मीर का आईएएस, आईपीएस, आईएफएस का जो कैडर है, उसको UT गोवा, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश के कैडर के साथ merge करने के लिए, जो कानून बनाया जा रहा है, उस कानून के बारे में है।

### (MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.)

अगर यह नॉर्मल Union Territory होता, तो शायद मुझे कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन जैसा कि इस सदन में माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी ने भी बताया है कि जम्मू-कश्मीर के स्टेट को Union Territory का दर्जा कुछ समय के लिए दिया गया था और उसके बाद जम्मू-कश्मीर को दुबारा से स्टेटहुड दिया जाएगा तो मैं माननीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अगर स्टेट बनाना है, जो कि बहुत अनिवार्य है और क्यों अनिवार्य है, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। जब पिछले तीन साल से, पहले गवर्नर रूल और जब से यूटी बना अब लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल...

#### 12.00 Noon

अगर तब से इसी cadre से काम चल रहा था और अगर आपने कुछ महीनों में स्टेटहुड देना है, तो जब इतने साल से उसी cadre से काम चल रहा था, तो इसको अब merge करने की क्या जरूरत है? इससे एक बड़ी शंका पैदा होती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जम्मू-कश्मीर में permanently Union Territory तो नहीं रखना चाहती है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको permanently Union Territory नहीं रखना चाहती है, तो फिर दो-चार महीनों के लिए cadre को merge करना और फिर स्टेट बनेगा और फिर उससे बाहर निकालना - तब तक के लिए ट्रांसफर्स इधर की होंगी, उधर की इधर होंगी, कोई अरुणाचल प्रदेश से जम्मू-कश्मीर आएगा, कोई जम्मू-कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश जाएगा, कोई गोवा, मिज़ोरम से जम्मू-कश्मीर आएगा, जम्मू-कश्मीर से गोवा, मिज़ोरम जाएगा, तो फिर कुछ महीनों के लिए इतना परिवर्तन करने की क्या जरूरत थी? मुझे खुशी है कि माननीय गृह मंत्री जी यहां पर बैठे हैं। बहुत सारी चीज़ों पर जब आर्टिकल 370 खत्म हुआ था - Union Territory बना, उस पर चर्चा हुई थी। मैं आज उस पर दोबारा चर्चा नहीं करना चाहता हूं। मैं कठोर शब्दों का भी इस्तेमाल आज नहीं करना चाहता हूं क्योंकि शायद यह इस सदन में मेरी किसी भी बिल पर या question पर आखिरी स्पीच हो। उस वक्त कुछ तर्क दिए गए थे कि यू.टी. क्यों बनाया जा रहा है। उस समय यह तर्क दिया गया था कि वहां पर विकास नहीं हो रहा है, development नहीं हो रहा है, वहां पर बाहर से industries जा नहीं पा रही हैं , वहां पर उनको ज़मीन नहीं मिल रही है, इसलिए उद्योग बाहर से नहीं जा पा रहे हैं, जिसके कारण वहां पर लोगों को employment नहीं मिल रहा है, वहां पर बहुत ज्यादा unemployment है। इसको यू.टी. बनाएंगे, तो बहुत सारे लोग आएंगे, development करेंगे, उद्योग लगाएंगे, विकास करेंगे। वहां की जो गवर्नमेंट है, वह रुचि नहीं ले रही है, जो वहां पर unemployment है, हम उसका समाधान निकालेंगे।

माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, जब से लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल हुआ, विशेष रूप से जब से यूनियन टेरिटरी बना है और स्टेटहुड खत्म हो गयी है - एक स्टेट हिन्दुस्तान के नक्शे से खत्म हो गया और यूनियन टेरेटरी बन गया, यह तो अलग बात है, लेकिन मैं उन मुद्दों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं जिनके आधार पर एक बेस बनाया गया था कि ये-ये कारण यू.टी. बनाने के लिए हैं।

में इंडस्ट्रीज़ की बात करता हूं। कश्मीर में बहुत कम इंडस्ट्रीज़ जाती हैं। वहां पर बाहर का तो कोई जाता ही नहीं है। उसका कारण है कि वहां पर इंडस्ट्रीज़ सफल नहीं रहती हैं, क्योंकि छह महीने तो वहां पर विंटर होती है, वह दूर भी है। हमारे जम्मू province में 10 डिस्ट्रिक्ट्स थे और उन 10 डिस्ट्रिक्ट्स में से तीन डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं, जो पंजाब के साथ लगे हैं, जिनका नाम कठुआ, सांबा और जम्मू है। अधिकतर तो कठूआ में हैं, फिर थोड़े सांबा में हैं और थोड़े जम्मू में हैं। जो बाकी के सात डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें कोई उद्योग लगाता नहीं है, क्योंकि वे जम्मू से बहुत दूर हैं और वहां रेल की सूविधा नहीं है। लोग normally rail head पर ही उद्योग लगाने की कोशिश करते हैं। में आज के आंकड़े बताता हूं। माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, वहां पर नया उद्योग कोई नहीं आया है, लेकिन इन दो सालों में जम्मू province में उद्योगों की 12,997 थी, 13,000 उद्योगों में तकरीबन तीन कम हैं। इनमें से आज कितने चल रहे हैं- 5,890 उद्योग चल रहे हैं और 7,107 उद्योग बंद हुए हैं। माननीय गृह मंत्री जी, 60 परसेंट उद्योग बंद हो गए और कोई नया आया नहीं। यह तर्क कहाँ है? इसका मतलब है कि वह जो तर्क दिया गया था कि हम यू.टी. बनाएंगे, तो बाहर से Industrialist आएंगे, मैं उस पर यह कहता हूं कि वे सब बाहर के थे। कोई पंजाब का था, कोई हरियाणा का था, कोई दिल्ली का था, कोई मुंबई का था। यू.टी. बनाने के बाद कोई नया आया नहीं, बल्कि यू.टी. बनाने के बाद जो पूराने थे, वे भी चले गए क्योंकि uncertainty है, incentives खत्म किए गए। फिर एक-डेढ़ साल से, 5 अगस्त 2019 से जो गतिरोध बनता रहा, उससे लोग भाग ही गए एक रोज। इसलिए मैं यह बताना चाहता हूं कि यह फॉर्मूला ठीक नहीं है।

माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, डेवलपमेंट ठप हो गया। कोई डेवलपमेंट नहीं है, टेलीविज़न में हो सकता है, लेकिन रोड पर कोई डेवलपमेंट नहीं है। सड़कों की condition बहुत खराब है। यहाँ तक खराब है कि मैं कल या परसों किसी विषय पर चर्चा करते हुए नेशनल हाईवे का जिक्र कर रहा था कि 30 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है बटौत से बनिहाल तक, वह सात साल से नहीं बन रहा है। साल में कई बार हमारा नेशनल हाईवे ही बंद रहता है। नेशनल हाईवे बरसात में दो-तीन महीने और विंटर में चार महीने बंद रहता है। हमारे बॉर्डर एरियाज़ में - मैं उसका ज्यादा उल्लेख नहीं कर रहा, मैं आज ही बता चुका हूं कि कितने ceasefire violations बढ़ गए हैं। ये पिछले साल 5 हज़ार से ज्यादा, उससे पिछले साल 3 हज़ार से ज्यादा, उससे पिछले साल तकरीबन 3 हज़ार हैं, जिसकी वजह से हमारे जम्मू, सांबा, कठुआ, राजौरी, पुंछ में बहुत नुकसान होता है। इससे किसानों का भी और लोगों का भी नुकसान होता है। लोगों की जान-माल का नुकसान होता है। जहाँ बॉर्डर की लाइन है, वहाँ 5 मरले जमीन बॉर्डर से दूर देनी थी, ताकि जब भी फायरिंग होती तो वे बच सकते, लेकिन वह काम अभी तक नहीं हुआ है।

वॉटर सप्लाई की बड़ी प्रॉब्लम है। आप कभी भी यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जम्मू-कश्मीर में वॉटर सप्लाई की प्रॉब्लम है। उसका कारण है कि जम्मू-कश्मीर में कोई न कोई नये तज़ुर्बे होते रहते हैं। पहले जब इरिगेशन के या वॉटर सप्लाई के टेंडर्स निकलते थे, तो उनमें प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट 70 परसेंट करता था और 30 परसेंट वेजेज़ contractor लगाता था। मैं पाइप्स का उदाहरण देता हूं। वॉटर सप्लाई वाले 70 परसेंट पाइप्स खरीदते थे। वे एक तो सस्ता खरीदते थे, सरकार का खरीदते थे और एक जगह से खरीदते थे, लेकिन अब यह आदेश निकला है कि नहीं, contractor 70 परसेंट नहीं, बल्कि 100 परसेंट खुद खरीदेगा। उससे क्या होता है? उससे यह होता है कि contractor ढूंढ़ता रहता है कि यह मुझे कहाँ मिलेगा? सरकार एक ही वक्त में खरीदती थी और एक ही वक्त पर बाँट देती थी कि कहाँ contract है। उसमें दूसरी यह गलती की है कि अगर कहीं पाइप टूट गया, फट गया, तो रिपेयरिंग का जो काम डिपार्टमेंटल होता था, अब वह डिपार्टमेंटल रिपेयरिंग नहीं होगी, उसके लिए भी टेंडर निकलेगा। उसको तब तक वॉटर सप्लाई के लिए प्यासा रहना है। अगर इसमें डिपार्टमेंट होता तो रातों-रात दूसरा पाइप लगाता, उसको जोड़ देता, लेकिन नहीं, अब उसके लिए भी टेंडर निकलेंगे।

महोदय, पावर के लिए कहूं तो जब तक वहाँ सरकार थी, तब उस वक्त 90 रुपये पर यूनिट टैरिफ था, लेकिन आज 375 पर यूनिट टैरिफ है।

Unemployment के लिए कहूं तो unemployment भयंकर रूप से बढ़ गया है। जैसा कि मैंने बताया है कि unemployment बढ़ने के क्या रीज़न्स हैं। उसके तीन-चार रीज़न्स हैं। कश्मीर का अलग रीज़न है, जम्मू का अलग रीज़न है। कश्मीर का अलग रीज़न है कि 5 अगस्त, 2019 को जब स्टेट को Union Territory बनाया गया, उसके बाद कई महीनों तक जम्मू-कश्मीर का पूरा स्टेट बंद रहा। वहाँ पर एक तरीके से कर्फ्यू की स्थिति रही। उसके बाद कोविड आया और नतीजा यह रहा कि टूरिज्म शून्य के बराबर हुआ, हैंडिक्राफ्ट शून्य के बराबर हुआ और दूसरे डेवलपमेंटल वर्क्स जम्मू में भी बंद हो गए, कश्मीर में भी बंद हो गए। Schools, colleges, universities, educational institutes बंद रहे। जो private schools थे, उनमें भी जिन टीचर्स को तन्ख्वाह मिलती थी, वह भी बंद हो गई। इससे जो employed थे, वे भी unemployed हो गए। इसलिए जो unemployment होता है, सरकारी employment तो बंद हो ही गया, लेकिन जो दूसरे तिजारत के जरिए लोगों को तिजारत करने से पैसा मिलता था, वह भी नहीं मिल रहा है। अभी इस वक्त unemployment हर लेवल पर कई गुना बढ़ गया है। अगर वहाँ सरकार होती, तो इसका समाधान होता, क्योंकि elected government होती है, तो कुछ हद तक समाधान होता है। मंत्री कम होते, लेकिन MLAs होते। क्यों हम पूरे देश में Union Territories नहीं बनाते हैं, क्यों elected Government रखते हैं? सर, मैं किसी ऑफिसर के खिलाफ, किसी लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन माननीय गृह मंत्री जी यह मानेंगे कि जो responsibility एक elected representative की होती है, वह एक मूलाज़िम की नहीं होती है। आपने अभी जम्मू-कश्मीर में BDC और DDC के elections कराए, जिसकी हमने सराहना की, जिसको हमने support किया। क्यों किया? आपने ये elections क्यों कराए? ऐसा इसलिए, ताकि elected representatives उस लेवल पर भी हों, ब्लॉक लेवल पर भी हों, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हों, छोटी-छोटी constituencies में भी हों और वे development करें। लेकिन MLA तो कानन भी बनाता है, अब हमारा ऑफिसर तो कानून नहीं बना सकता। वह कानून बनाएगा, तो वह एक जगह एक आदमी बनाएगा। अभी हम यहाँ discuss करते हैं। जब आप यहाँ बिल लाते हैं, तो उसमें कितने amendments आते हैं, उसमें कितने suggestions आते हैं। आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कानून बनाएँगे, ऑर्डर करेंगे, लेकिन उसमें कोई suggestion नहीं आएगा। वह एक आदमी का, चीफ सेक्रेटरी का दिमाग होगा या किसी ऑफिसर का दिमाग होगा, वह एक आदमी का suggestion होगा। उसका impact देहात में क्या होगा, उसका impact जम्मू में क्या होगा, उसका impact लदाख में क्या होगा, उसका impact किसानों पर क्या होगा, मजदूरों पर क्या होगा, वह नहीं सोचेगा, वह तो दफ्तर में बैठ कर कानून बनाएगा। उस impact को देखने के लिए हम पार्लियामेंट या विधान सभाओं में जो कानून बनाते हैं, उस पर चर्चा होती है और एक collective wisdom होती है, उस collective wisdom से उसका नक्शा ही बदल जाता है।

सर, इस सरकार ने Union Territory के दौरान employment के लिए कुछ रास्ते दिए। रहबर-ए-खेल टीचर्स, जो स्कूलों में बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, विशेष रूप से Physical Training Teachers. 3,000 Physical Training Teachers इसी सरकार में दो साल पहले लगे, लेकिन 7 साल तक उनका probation period है। माननीय गृह मंत्री जी, आप हैरान होंगे, जो Physical Training Teachers by selection लगाए गए हैं, जो B.A., LLB हैं, M.A. हैं, M.Phil. हैं, Ph.D. हैं, 7 साल तक उनको per month सिर्फ 3,000 रुपए मिलेंगे! आप किसी Physical Training Teacher को 3,000 रुपए 7 साल तक दे सकते हैं? माननीय गृह मंत्री जी, वहाँ यह कौन सा तज़ुर्बा हो रहा है? मुझसे एक delegation मिला, जम्मू का भी और श्रीनगर का भी। एक की दो लड़कियाँ थीं, दूसरे को एक लड़का और लड़की थी, तीसरे की एक लड़की थी। वे कहते हैं कि सर, मैं हर महीने अपने दोस्तों से 100-100, 200-200 रुपए लेता हूँ, क्योंकि बच्ची छोटी है और उसका दूध पूरा नहीं होता है। माननीय गृह मंत्री जी, आप इसकी तरफ ध्यान दीजिए कि probation तो होता है, 6 महीने का होता है, एक साल का होता है, लेकिन अगर 7 साल का Physical Training Teacher का probation होगा, तो उसकी आधी नौकरी इसी तरह निकल जाएगी। पहले आजकल नौकरी कोई 25-30 साल वाले की तो लगती नहीं है, नौकरी 40 साल वाले की लगती है, उसके बाद ये 7 साल गए, तब तक उसके 50 साल हो जाएँगे, उसके 10 साल बाद वह retire होगा और उसके बाद उसको पेंशन भी नहीं है। वहां पर ये चीज़ें हो रही हैं। अगर वहां विधान सभा होती, तो इन लडकों को जम्मू और कश्मीर से चलकर मुझसे मिलने के लिए आने की जरूरत न पडती। वहां अपना MLA होता, मिनिस्टर होता, चीफ मिनिस्टर होता, तो वे उनसे मिल सकते थे। वे कहते हैं कि हमारी बात सुनने के लिए ऑफिसर्स से हमें टाइम ही नहीं मिलता है। सर, स्टेटहुड वहां इसीलिए जरूरी है। किसी आदमी को चीफ मिनिस्टर बनने का शौक होगा, इसके लिए स्टेटहुड जरूरी नहीं है, लेकिन लोगों की समस्याओं के समाधान निकल सकें, इसके लिए स्टेटहुड जरूरी है।

माननीय गृह मंत्री जी, वहां के लोगों को पानी मिले, बिजली मिले, नौकरी मिले, रोज़गार मिले, इसके लिए स्टेटहुड जरूरी है। आज हमारा देश कोरोना से लड़ रहा है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने अभी अपने भाषण में बहुत सारा समय कोरोना को दिया। देश को बहुत गौरव है कि हमारे साइंटिस्ट्स ने इसकी वैक्सीन बनाई और आज हमारा पूरा देश और दुनिया उसका लाभ उठा रही है। लेकिन एक तरफ जब हम कोरोना जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं, ऐसे वक्त में हमारे हॉस्पिटल्स में स्टाफ नहीं है। अगर वहां एमएलए या मंत्री होते, तो अब तक कई मीटिंग्स हो गई होतीं और तुरन्त एक्स्ट्रा स्टाफ लगा दिया गया होता। वहां ट्रेंड लोगों की कमी नहीं है। Specialists, MBBS लड़के और लड़कियां unemployed बैठे हुए हैं, Medical Assistants unemployed बैठे हुए हैं।

माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, हमारे यहां सरकारी नौकरी में 2,500 के करीब Medical Assistants और Pharmacists हैं। दूसरी तरफ 15,000 लड़के और लड़कियां ऐसे भी हैं, जो Medical Assistant और Pharmacist की ट्रेनिंग करके बैठे हुए हैं, लेकिन State Pharmacy Act उनको रजिस्टर ही नहीं करता है। हम सब जानते हैं कि आज हॉस्पिटल्स में इनकी कितनी जरूरत है। एक तरफ हम नये इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को MBBS, MD, Medical Assistant और Pharmacists की ट्रेनिंग दी जा सके और भारत के गाँव-गाँव तक ये पहुंच सकें, लेकिन दूसरी तरफ हमारे जम्मू-कश्मीर में 15,000 बच्चे ट्रेनिंग करके खाली बैठे हुए हैं। किसी ऑफिसर को इतनी फुरसत नहीं है कि इन बच्चों को State Pharmacy Act के तहत परमिशन दे दे। इन सब लोगों तक यह सुविधा पहुंच सके, इसीलिए स्टेटहुड जरूरी है। वहां unemployment पहले से ही है।

सर, आर्टिकल 370 में ज्यादा कुछ नहीं बचा था। आर्टिकल 370 में मुख्य रूप से दो चीज़ें बची थीं, एक तो बाहर वाला कोई भी व्यक्ति वहां नौकरी नहीं कर सकता था, IAS, IPS तो कर सकते थे, लेकिन बाकी मुलाज़िम नहीं कर सकते थे। दूसरा, किसी और स्टेट का कोई भी व्यक्ति वहां ज़मीन नहीं खरीद सकता था। कई ग्रामीण इलाकों में आज बाहर के लोग आकर बस गए हैं और नौकरी कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्यों वहां पर बाहर का आदमी नौकरी नहीं कर सकता था? ऐसा नहीं है कि जम्मू-कश्मीर कोई आसमान से उतरा था, जिसके कारण कोई दूसरा वहां नौकरी के लिए नहीं जा सकता था और जम्मू-कश्मीर वाले पूरे हिन्दुस्तान में जा सकते थे। यह आज के ज़माने से नहीं, महाराजा हरि सिंह जी के ज़माने से चला आ रहा था। आज़ादी से कई साल पहले, 1925 में यह कानून बना दिया गया था। इसका कारण मैं इस सदन में पहले भी बता चुका हूं कि जम्मू-कश्मीर में या तो पहाड़ हैं या जंगल हैं। वहां जमीन न के बराबर है। जब जम्मू-कश्मीर Union Territory बना, तो पार्लियामेंट के मेरे बहुत सारे साथी कहने लगे कि हम भी वहां पर ज़मीन खरीदेंगे, वहां तो ज़मीन बहुत सस्ती होगी। मैंने उनसे कहा कि आज तक मैं तो वहां ज़मीन नहीं खरीद पाया हूं, आप ही खरीद लीजिए। मैंने उनको बताया कि आपको गलतफ़हमी है कि सिर्फ जम्मू-कश्मीर वाले ही वहां जमीन खरीद सकते हैं। आप तो एकड़ों में ज़मीन खरीद लेंगे। मैंने उनसे पूछा, क्या आपको मालूम है कि जम्मू शहर और श्रीनगर शहर में ज़मीन का प्रति एकड रेट क्या है? उन्होंने कहा शायद 30-40 लाख रुपये प्रति एकड होगा। तो मैंने उनको बताया कि 30-40 लाख रुपये प्रति एकड़ नहीं, वहां पर 40-50 करोड़ रुपये प्रति एकड़ का रेट है। जम्मू शहर या श्रीनगर शहर में आपको 40-50 करोड़ रुपये में एक एकड़ ज़मीन मिलेगी। इसका कारण यह है कि वहां ज़मीन है ही नहीं। हमारी सारी ज़मीन में जंगल और पहाड हैं। महाराजा हरि सिंह जी ने इसीलिए यह चीज़ रखी थी कि जब वहां पर ज़मीन ही नहीं है, ऐसे में अगर कोई बाहर वाला हमारी यह ज़मीन भी ले जाएगा, तो यहां के लोग कहां जाएंगे और क्या खाएंगे? इसी तरह नौकरी में भी यह प्रोविज़न रखा गया था ताकि कोई बाहर वाला वहां नौकरी के लिए नहीं जा सके। जम्मू-कश्मीर हिन्दुस्तान का आखिरी हिस्सा है, जहां हिन्दुस्तान खत्म होता है या यह भी कह सकते हैं कि जहां से हिन्दुस्तान शुरू होता है। हमारे एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ चीन है। कश्मीर तक अभी रेल की सुविधा नहीं पहुंची है। वहां गाड़ियों में माल जाता है, इसलिए वहां पहुंच कर सबसे महंगा माल बिकता है। गुजरात से, तमिलनाडु से, मुम्बई से तैयार माल वहां जाता है। जहां तक ट्रेन की सुविधा है, वहां तक तो ठीक है। वहां से ट्रकों में माल जाना है, इसलिए डबल महंगा हो जाता है। वहां कोई उद्योग नहीं बना, अनसर्टेनिटी की वजह से, दुर्भाग्य है, कोई बडा उद्योग नहीं है। यही छोटे-छोटे उद्योग हैं, जो मैंने ये 12 हज़ार गिने, ये 12 हज़ार उद्योग किसी गुजरात के या मुम्बई वाले उद्योग के एन्सिलियरी होंगे, जिनमें बेचारे 10-15 लोग काम करते हैं। ये छोटे-छोटे उद्योग हैं, इन्हीं पर हम गुज़ारा करते हैं, वहां बड़ा उद्योग नहीं है। जब बडा उद्योग नहीं है तो नौकरी नहीं है। इसलिए वहां जो इम्प्लॉयमेन्ट है... वहां कोई उद्योग नहीं है, केवल ये छोटी-मोटी नौकरियां ही उद्योग हैं। इसी कारण से एमफिल पढा हुआ लड़का, जम्मू और कश्मीर का पीएचडी करा हुआ लड़का, जिसके दो बच्चे हों, ऐसे तीन हज़ार लड़के, तीन-तीन हज़ार रुपये पर सात साल काम करते हैं।

इसलिए माननीय गृह मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि जम्मू-कश्मीर...

<sup>†</sup>قائد حزب اختلاف (جناب غلام نبی آزاد) : مانّئے چیئرمین سر، آج جو بل یہاں سدن کے سامنے رکھا گیا ہے، وہ جموں -کشمیر کا آئی۔اے۔ایس، آئی۔یی۔ایس، آئی۔ایف۔ایس۔ کا جو کیڈر ہے، اس کو گووا، میزورم اور اروناچل پردیش کے کیے کیے لئے، جو قانون بنایا جا رہا ہے، اس قانون کے بارے میں ہے۔ کے کیڈر کے ساتھہ مرج کرنے کے لئے، جو قانون بنایا جا رہا ہے، اس قانون کے بارے میں ہے۔ (اُپ سبھا پتی صدر نشیں ہوئے)

اگر یہ نارمل یونین ٹیریٹری ہوتا، تو شاید مجھے کوئی آپتی نہیں ہوتی، لیکن جیسا کہ اس سدن میں مانئے پردھان منتری جی اور مانئے گرہ منتری جی نے بھی بتایا ہے کہ جموں-کشمیر کے اسٹیٹ کو یونین ٹیریٹری کا درجہ کچھہ وقت کے لئے دیا گیا تھا اور اس کے بعد جموں-کشمیر کو دوبارہ سے اسٹیٹ-ہوڈ دیا جائے گا تو میں مانئے گرہ منتری جی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اسٹیٹ بنانا ہے، جو کہ بہت ضروری ہے، اور کیوں ضروری ہے، اس کے بعد جموں-کشمیر کو دوبارہ سے اسٹیٹ کو یونین ٹیریٹری کا درجہ کچھہ وقت کے لئے دیا گیا تھا اور اس کے بعد جموں-کشمیر کو دوبارہ سے اسٹیٹ-ہوڈ دیا جائے گا تو میں مانئے گرہ منتری جی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اسٹیٹ بنانا ہے، جو کہ بہت ضروری ہے، اور کیوں ضروری ہے، اس کے بنا پوٹٹنٹ گورنر رول اور جب سے یو ٹی۔ بنا اب لیفٹنٹ گورنر رول اور جب سے یو ٹی۔ بنا

اگر تب سے اسی cadre سے کام چل رہا تھا اور اگر آپ نے کچھ مہینوں میں اسٹیٹ ہوڈ دینی ہے، تو جب اتنے سال سے اسی cadre سے کام چل رہا تھا، تو اس کو اب مرج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے ایک بڑی شنکا پیدا ہوتی ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا جموں و کشمیر میں permanently Union Territory نہیں permanently Union Territory نہیں رکھنا چاہتی ہے۔ اگر گورنمنٹ آف انڈیا اس کو استر میں permanently Union Territory نہیں رکھنا چاہتی ہے۔ تو پھر رکھنا چاہتی ہے۔ اور میں اسٹیٹ ہو ڈ دینی ہے، تو اس کو اب مرج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے ایک بڑی شنکا پیدا ہوتی ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا جموں و کشمیر میں permanently Union Territory نہیں رکھنا چاہتا ہے، تو پھر رکھنا چاہتی ہے۔ اگر گورنمنٹ آف انڈیا اس کو اسٹیٹ ہو کرنے کی کیا ضرورت ہو کہیں رکھنا چاہتا ہے، تو پھر رکھنا چاہتی ہے۔ اگر گورنمنٹ آف انڈیا اس کو اسٹیٹ بنے گا اور پھر اس سے باہر نگالنا۔ تب تک کے لیے ٹرانسفرس ادھر کی ہونگی، ادھر کی ہونگی، کوئی اروناچل پردیش سے جموں و کشمیر آئے گا، جموں و کشمیر آئے گا، جموں و کشمیر میں کالنا۔ تب کا کے لیے ٹرانسفرس ادھر کی ہونگی، ادھر کی ہونگی، کوئی اروناچل پردیش سے جموں و کشمیر آئے گا، جموں و کشمیر آئے گا، جموں و کشمیر میں میں اسٹیٹ ہو ہو ہو ہوں ہو کے لیے ٹرانٹ آف انڈیا اس کو کرنا اور پھر اسٹیٹ بنے گا اور پھر اس سے باہر نگالنا۔ تب تک کے لیے ٹرانسفرس ادھر کی ہونگی، کوئی اروناچل پردیش سے جموں و کشمیر آئے گا، جموں و کشمیر

<sup>&</sup>lt;sup>[]</sup> Transliteration in Urdu script.

سے اروناچل پردیش جائے گا، کوئی گوا، میزورم سے جموں وکشمیر آئے گا، جموں و کشمیر سے گوا ، میزورم جائے گا، تو پھر کچھ مہینوں کے لیے اتنی تبدیلی کرنے کی کیا ضروت تھی؟

مجھے خوشی ہے کہ مانیئے گرہ منتری جی یہاں پر بیٹھے ہیں۔ بہت ساری چیزوں پر جب آرٹیکل 370 ختم ہوا تھا، Union Territory بنا، اس پر چرچہ ہوئی تھی۔ میں آج اس پر دوبارہ چرچہ نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں کٹھور شبدوں کا بھی استعمال آج نہیں کرنا چاہتا ہوں، کیوں کہ شاید یہ اس سدن میں میری کسی بھی بل پر یا کویشچن پر آخری اسپیچ ہو۔ اس وقت کچھ ترک دیئے گئے تھے کہ یو ٹی کیوں بنایا جارہا ہے۔ اس وقت یہ ترک دیا گیا تھا کہ وہاں پر وکاس نہیں ہررہا ہے، ڈیولپمنٹ نہیں ہورہا ہے، وہاں پر باہر سے جا نہیں پارہی ہیں، وہاں پر ان کو زمین نہیں مل رہی ہے، اس لیے ادیوگ باہر سے نہیں جاپارہے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پر لوگو کو سارے لوگ آئیں گے، ڈیولپمنٹ کریں گے، ادیوگ لگائیں گے، وکاس کی جو گورنمنٹ ہے، وہ روچی نہیں لے رہی ہے، جو وہاں پر nemployment ہے، ہیں کریا گائیں گے، وکاس کی جو گورنمنٹ ہے، وہ روچی نہیں لے رہی

مانیئے ڈپٹی چئیرمین صاحب، جب سے لیفٹننٹ گورنر رول ہوا، خاص طور سے جب سے یونین ٹیرٹی بنا ہے اور اسٹیٹ ہوڈ ختم ہوگئی ہے۔ ایک اسٹیٹ ہندستان کے نقشے سے ختم ہوگئی اور یونین ٹیرٹری بن گیا ہے، یہ تو الگ بات ہے، لیکن میں ان مدعوں کی طرف دھیان دلانا چاہتا ہوں جن کے آدھار پر ایک بیس بنایا گیا تھا کہ یہ وجوہات یوٹی بنانے کے لیے ہیں۔

میں انڈسٹریز کی بات کرتا ہوں۔ کشمیر میں بہت کم انڈسریز جاتی ہیں۔ وہاں پر باہر کا تو کوئی جاتا ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ وہاں پر انڈسٹریز کامیاب نہیں رہتی ہیں، کیوں کہ چھ مہینے تو وہاں پر ونٹر ہوتا ہے، وہ دور بھی ہے۔ ہمارے جموں province میں دس ڈسٹرکٹس تھے اور ان دس ڈسٹرکٹس میں سے تین ڈسٹرکٹس ایسی ہیں، جو پنجاب کے ساتھ لگے ہیں، جن کا نام کٹھو عہ، سامبا اور جموں ہے۔ زیادہ تر تو کٹھو عہ میں ہیں، پھر تھوڑے سامبا میں ہیں اور تھوڑے جموں میں ہیں۔ جو باقی کے سات ڈسٹرکٹس ہیں، ان میں کوئی ادیو گ لگاتا نہیں ہے، کیوں کہ وہ جموں سے بہت دور ہیں اور وہاں ریل کی سہولیات نہیں ہیں۔ لوگ میں حالی ہر نو کٹھو عہ میں ہیں، پھر ہے، کیوں کہ وہ جموں سے بہت دور ہیں اور وہاں ریل کی سہولیات نہیں ہیں۔ لوگ ان میں کوئی ادیو گ لگاتا نہیں دوئی نہیں آیا ہے، لیکن ان دو سالوں میں جموں میں ہیں۔ جو باقی کے سات ڈسٹرکٹس ہیں، ان میں کوئی ادیو گ لگاتا نہیں دیو گ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں آج کے آنکڑے بتاتا ہوں۔ مانیئے ڈپٹی چئیرمین صاحب، وہاں پر نیا ادیو گ کوئی نہیں آیا ہے، لیکن ان دو سالوں میں جموں province میں ادیو گوں کی کل تعداد 12,097 تھی، تقریباً تین کوئی نہیں آیا ہے، لیکن ان دو سالوں میں جموں province میں ادیو گوں کی کی تعداد 13,097 تھی، تقریباً تین ادیو گ بند ہوئے ہیں۔

مانیئے گرہ منتری جی 60 فیصد ادیوگ بند ہوگئے اور کوئی نیا آیا نہیں۔ یہ ترک کہاں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ترک دیا گیا تھا کہ ہم یوٹی بنائیں گے، تو باہر آئیں گے، میں اس پر یہ کہتا ہوں کہ وہ سب باہر کے تھے۔ کوئی پنجاب کا تھا، کوئی ہریانہ کا تھا، کوئی دہلی کا تھا، کوئی ممبئی کا تھا۔ یو ٹی بنانے کے بعد کوئی آی انہیں، بلکہ یوٹی بنانے کے بعد جو پر انے تھے، وہ بھی چلے گئے کیوں کہ uncertainty ہے، incentives ختم کئے گئے۔ پھر ایک ڈیڑھ سال سے، 5 اگست 2019 سے جو گتی رودھ بنتا رہا، اس سے لوگ روز بھاگتے ہی گئے۔ اس لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ فار مولہ ٹھیک نہیں ہے۔

مانیئے ڈپٹی چئیر مین صاحب، ڈیولپمنٹ ٹھپ ہو گیا، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے۔ ٹیلی ویژن میں ہوسکتا ہے، لیکن روڈ پر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے۔ سڑکوں کی کنڈیشن بہت خرات ہے۔ یہاں تک خراب ہے کہ میں کل یا پرسوں کسی موضوع پر چرچہ کرتے ہوئے نیشنل ہائی وے کا ذکر کررہا تھا کہ تیس کلومیٹر کا ایک اسٹریچ ہے بٹوت سے بانہال تک، وہ سات سال سے نہیں بن رہا ہے۔ سال میں کئی بار ہمارا نیشنل ہائی وے بند ہی رہتاہے۔ یہ برسات میں دو، تین مہینے اور ونٹر میں چار مہینے بند رہتا ہے۔ ہمارے بارڈر ایریاز میں۔ میں اس کا زیادہ الیکھ نہیں کررہا۔ میں آج ہی بتا چکا ہوں کہ کتنے Ceasefire violations بڑگئے ہیں۔ یہ پچھلے سال پانچ ہزار سے زیادہ، اس سے پچھلے سال تین ہزار سے زیادہ، اس سے پچھلے سال تقریباً تین ہزار ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ہموں، سانبا، کٹھو عہ، راجوری، پونچھ میں بہت نقصان ہوتا ہے۔ اس سے کسانوں کا بھی اور لوگوں کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ لوگوں کی جان مال کا نقصان ہوتا ہے۔ جہاں بارڈر کی لائن ہے، وہ ہیں ہی جس کی وجہ سے ہمارے

واتر سپلائی کی بڑی پرابلم ہے۔ آپ کبھی بھی یہ اندازا لگا سکتے ہیں کہ جموں وکشمیر میں واٹر سپلائی کی پرابلم ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ جموں وکشمیر میں کوئی نہ کوئی نئے تجربے ہوتے رہتے ہیں۔ پہلے جب اڑی گیشن کے یا واٹر سپلائی کے ٹینڈرس نکلتے تھے، تو اس میں پریکیور مینٹ ڈپارٹمنٹ ستّر فیصد کرتا تھا اور تیس فیصد ویجیز کانٹریکٹر لگاتا تھا۔ میں پائپس کی مثال دیتا ہوں۔ واٹر سپلائی والے ستّر فیصد پائپ خریدتے تھے۔ وہ ایک تو سستا خریدتے تھے، سرکار سے خریدتے تھے اور ایک جگہ سے خریدتے تھے، لیکن اب یک بادیش نکلا ہے کہ نہیں، کانٹریکٹر ستّرفیصد نہیں، بلکہ سو فیصد خود کریگا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ کانٹریکٹر ڈھونٹتا رہتا ہے کہ یہ مجھے کہاں ملے گا؟ سرکار ایک ہی وقت میں خریدتی تھی اور ایک ہی وقت پر بانٹ دیتی تھی۔ اس میں دوسری یہ غلطی کی ہے کہ اگر کہں پائپ ٹوٹ گیا، پھٹ گئا، تو ریپئیرنگ کا جو کام ڈپارٹمنٹل ہوتا تھا، اب وہ ڈپارٹمنٹل ریئیرنگ نہیں ہوگی، اس کے لیے بھی ٹینڈر نکلے گا۔ اس کو تب تک واٹر سپلائی کے لیے پیاسا رہنا پڑتا ہے۔ اگر ڈیپارٹمنٹ ہوتا تو راتوں رات دوسرا پائپ لگاتا، اس کو جوڑ دیتا، لیکن

مہودے، پاور کے لیے کہوں تو جب تک وہاں سرکار تھی، تب اس وقت نوّے روپے پریونٹ ٹیرف تھا، لیکن آج 375 پریونٹ ٹیرف ہے۔

Unemployment کے لیے کہوں تو Unemployment بھینکر روپ سے بڑ ھ گئی ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ Unemployment بڑ ھنے کے کیا ریزنس ہیں۔ اس کے تین چار ریزنس ہیں۔ کشمیر کا الگ ریزن ہے۔ جموں کا الگ ریزن نے جموں کا الگ ریزن ہے۔ کموں کا الگ ریزن پے کہ پانچ اگست 2019، کو جب اسٹیٹ union territory بایا اس کے بعد کئی مہینوں تک جموں وکشمیر کی پورا اسٹیٹ بند رہا۔ وہاں پر ایک طریقے سے کرفیو کے حالات رہے۔ اس کے بعد کئی مہینوں تک جموں وکشمیر کی پورا اسٹیٹ بند رہا۔ وہاں پر ایک طریقے سے کرفیو کے حالات رہے۔ اس کے بعد کئی مہینوں تک جموں وکشمیر کی پورا اسٹیٹ بند رہا۔ وہاں پر ایک طریقے سے کرفیو کے حالات رہے۔ اس کے بد کروڈ آیا اور نتیجہ یہ رہا کہ ٹورزم زیرو کے برابر ہوا، ہینڈی کرافٹ شونیہ کے برابر ہوا اور دوسرے ڈیولپمنٹل ورکس جموں میں بھی بند ہوگئے، کشمیر میں بھی بند ہوگئے۔

اسکول، کالجز، یونیور سٹیز، ایجوکیشنل آنسٹی ٹیوٹس بند رہے۔ جو پر آئیویٹ اسکول تھے، ان میں بھی جن ٹیچرس کو تنخواہ ملتی تھی، وہ بھی بند ہو گئی۔ اس سے جو ایمپلائیڈ تھے، وہ بھی ان-ایمپلائیڈ ہو گئے۔ اس لئے جو ان-ایمپلائمینٹ ہوتا ہے، سرکاری ایمپلائمینٹ تو بند ہو ہی گیا، لیکن جو دوسرے تجارت کے ذریعے لوگوں کو تجارت کرنے سے پیسہ ملتا تھا، وہ بھی نہیں مل رہا ہے۔ ابھی اس وقت ان-ایمپلائمینٹ ہر لیول پر کئی گنا بڑھہ گیا ہے۔ اگر وہاں سرکاری ہوتی، تواس کا سمادہان ہوتا، کیوں الیکٹڈ گوورنمینٹ ہوتی ہے، تو کچھہ حد تک سمادھان ہوتا ہے۔ منتری کم ہوتے، لیکن ایم۔ایل۔ایز۔ ہوتے۔ کیوں ہم پورے دیش میں یونین ٹیرٹریز نہیں بناتے ہیں، کیوں الیکٹڈ گوورنمینٹ رکھتے ہیں؟ سر، میں کسی آفس کے خلاف، کسی لیفٹنٹ گورنر یا گورنر کے خلاف نہیں ہوں، لیکن مانّئے گرہ منتری جی یہ مانیں گے کہ جو ذمہ داری ایک elected representative کی ہوتی ہے، وہ ایک ملازم کی نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے ابھی جموں-کشمیر میں بیڈی سی۔ اور ڈیڈی سی۔ کے الیکشنس کرائے، جس کی ہم نے سراہنا کی، جس کو ہم نے سپورٹ کیا۔ کیوں کیا؟ آپ نے یہ الیکشنس کیوں کر ائے؟ ایسا اسلئے، تاکہ elected representatives اس ليول پر بھی ہوں، بلاک ليول پر بھی ہوں، ڈسٹرکٹ ليول پر بھی ہوں، چھوٹی چھوٹی constituencies میں بھی ہوں اور وہ ڈیولپمینٹ کریں۔ لیکن ایم۔ایل۔اے۔ تو قانون بھی بناتا ہے، اب ہمار ا آفیسر تو قانون نہیں بنا سکتا۔ وہ قانون بنائے گا، تو وہ ایک جگہ ایک آدمی بنائے گا۔ ابھی ہم یہاں ڈسکس کرتے ہیں۔ جب آپ یہاں بل لاتے ہیں، تو اس میں کتنے امینڈمینٹس آتے ہیں، اس میں کتنے suggestions آتے ہیں۔ آج ایفٹنٹ گورنر صاحب قانون بنائیں گے، آرڈر کریں گے، لیکن اس میں کوئی suggestion نہیں آئے گا۔ وہ ایک آدمی کا، چیف سکریٹری کا دماغ ہوگا یا کسی آفیسر کا دماغ ہوگا، وہ ایک آدمی کا suggestion ہوگا۔ اس کا impact دیہات میں کیا ہوگا، اس کا impact جموں میں کیا ہوگا، اس کا impact لدّاخ میں کیا ہوگا، اس کا impact کسانوں پر کیا ہوگا، مزدوروں پر کیا ہوگا، وہ نہیں سوچے گا، وہ تو دفتر میں بیٹھہ کر قانون بنائے گا۔ اس impact کو دیکھنے کے لئے ہم پارلیمنٹ یا ودھان سبھاؤں میں جو قانون بناتے ہیں، اس پر چرچا ہوتی ہے اور ایک collective wisdom ہوتی ہے، اس collective wisdom سے اس کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے۔

سر، اس سرکار نے یونین ٹیریٹری کے دوران ان-ایملائمینٹ کے لئے کچھہ راستے دئے، رہبر کھیل ٹیچرس، جو اسکول میں بچوں کو ٹریننگ دیتے ہیں، خاص طور سے فزیکل ٹیچرس، تین ہزار فزیکل ٹیچرس اسی سرکار میں دو سال پہلے لگے، لیکن سات سال تک ان کا پروبیشن پیریڈ ہے۔ مائئے کرہ منتری جی، آپ حیران ہوں گے، جو سال پہلے لگے، ایکن سات سال تک ان کا پروبیشن پیریڈ ہے۔ مائئے کرہ منتری جی، آپ حیران ہوں یہ ملک ہیں، پی۔ایچ ڈی۔ ہیں، سات سال تک ان ہر مہینے صرف تین ہزار روپے ملیں گے۔ آپ کسی فزیکل ٹیچر کو تین ہزار روپے سات سال تک دے سکتے ہیں۔ مائئے گرہ منتری جی، وہاں یہ کون سا تجربہ ہو رہا ہے؟ مجھہ سے ایک ڈیلی گیشن ملا، جموں کا بھی اور سری نگر کا بھی۔ ایک کی دو لڑکیاں تھیں، دوسرے کا ایک لڑکا اور ایک لڑکی تھی، تیسرے کی ایک لڑکی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ سر، میں ہر مہینے اپنے دوستوں سے سو -سو، دوسو -دوسو روپے لیتا ہوں، کیوں بچی چھوٹی ہے اور اس کا دودھہ پورا نہیں ہوتا ہے۔ مائئے گرہ منتری جی، آپ اس کی طرف دھیان دیجئے کہ پروبیشن تو ہوتا ہے، چھہ مہینے کا ہوتا ہے، ایک سال کا ہوتا ہے، لیکن اگر سات سال کا فزیکل ٹیچر کا پروبیشن ہوگا، تو اس کی آدھی نوکری اسی طرح نکل جائے گی۔ پہلے آج کل نوکری کوئی 30-25 سال والے کی تو لگتی نہیں ہے، نوکری چالیس سال والے کی لگتی ہے، اس کے بعد یہ سات سال گئے، تب تک اس کے پچاس سال ہو جائیں گے، اس کے دس سال بعد وہ ریٹائر ہوگا اور اس کے بعد اس کو پینشن بھی نہیں ہے۔ وہاں پر یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ اگر وہاں ودھان سبھا ہوتی، تو ان لڑکوں کو جموں اور کشمیر سے چل کر مجھہ سے ملنے کے لئے آنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ وہاں اپنا ایم ایل اے۔ ہوتا، منسٹر ہوتا، چیف منسٹر ہوتا، تو وہ ان سے مل سکتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری بات سننے کے لئے آفیسرس سے ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا ہے۔ سر، اسٹیٹ ہڈ وہاں اسی لئے ضروری ہے۔ کسی آدمی کو چیف منسٹر بننے کا شوق ہوگا، اس کے لئے اسٹیٹ -ہڈ ضروری نہیں ہے، لیکن لوگوں کی پریشانیوں کا حل نکل سکے، اس کے لئے اسٹیٹ -ہڈ ضروری ہے۔ مائیے گرہ منتری جی، وہاں کے لؤی اس کے لئے اس کے دسی آدمی کو چیف منسٹر بنے کا شوق ہوگا، اس کے لئے اسٹیٹ -ہڈ مروری نہیں ہے، لیکن لوگوں کی پریشانیوں کا حل نکل سکے، اس کے لئے اسٹیٹ اس کے اسے مائیں -ہڈ

آج ہمارا دیش کورونا سے لڑ رہا ہے۔ مانّئے پردھان منتری جی نے ابھی اپنے بھاشن میں بہت سارا وقت کورونا کو دیا۔ دیش کو بہت گورو ہے کہ ہمارے سائنٹسٹ نے اس کی ویکسین بنائی اور آج ہمارا پورا دیش اور دنیا اس کا لابھہ اٹھا رہی ہے۔ لیکن ایک طرف جب ہم کورونا جیسی بیماری سے جوجھہ رہے ہیں، ایسے وقت میں ہمارے ہاسپٹلس میں اسٹاف نہیں ہے۔ اگر وہاں ایم۔ایل۔اے۔ یا منتری ہوتے تو اب تک کئی میٹنگس ہو گئی ہوتیں اور فورا ایکسٹرا اسٹاف لگا دیا گیا ہوتا۔ وہاں ٹرینڈ لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ اسپیشنٹسٹس، ایمبی ہیں۔ لڑکے اور لڑکیاں اُن-ایمپلائیڈ بیٹھے ہوئے ہیں، میڈیکل اسٹینٹس اُن-ایمپلائیڈ بیٹھے ہوئے ہیں۔

مائئے ڈپٹی چیئرمین صاحب، ہماری یہاں سرکاری نوکری میں ڈھائی ہزار کے قریب میڈیکل اسسٹینٹس اور فارمیسٹس ہیں۔ دوسری طرف پندرہ ہزار لڑکے اور لڑکیاں ایسے بھی یہں، جو میڈیکل اسسٹینٹ اور فارمیسسٹ کی ٹریننگ کرکے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اسٹیٹ فارمیسی ایکٹ ان کو رجسٹر ہی نہیں کرتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آج ہاسپٹلس میں ان کی کتنی ضرورت ہے۔ ایک طرف ہم نئے انسٹی ٹیوشنس بناتے ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو ایم بی بی۔ ایم ڈی۔، میڈیکل اسسٹنٹ اور فارمیسسٹ کی ٹریننگ دی جا سکے اور بھارت کے گاؤں گاؤں تک یہ پہنچ سکیں، لیکن دوسری طرف ہماری جموں کشمیر میں ڈھائی ہزار بچے ٹریننگ کرکے خالی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی آفیسر کو انتی فرصت نہیں ہے کہ ان بچوں کو اسٹیٹ فارمیسی ایکٹ کر کے دے دے۔ اس سب لوگوں تک یہ سویدھا پہنچ سکے، اسی لئے اسٹیٹ -ہڈ ضروری ہے۔ وہاں ان -ایملائمینٹ پہلے

سر، آرٹیکل 370 میں زیادہ کچھہ نہیں بچا تھا۔ آرٹیکل 370 میں خاص طور سے دو چیزیں بچی تھیں، ایک تو باہر والا کوئی بھی آدمی یہاں نوکری نہیں کر سکتا تھا، آئی۔اے۔ایس۔، آئیپی۔ایس۔ تو کر سکتے تھے، لکن باقی ملازم نہیں کر سکتے تھے۔ دوسرا، کسی اور اسٹیٹ کا کوئی بھی آدمی یہاں زمین نہیں خرید سکتا تھای۔ کئی گر امین علاقوں میں آج باہر کے لوگ آکر بس گئے ہیں اور نوکری کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کیوں وہاں پر باہر کا آدمی نوکری نہیں کر سکتا تھا؟ ایسا نہیں ہے کہ جموں-کشمیر کوئی آسمان سے اترا تھا، جس کی وجہ سے کوئی دوسرا وہاں نوکری کے لئے نہیں جا سکتا تھا اور جموں-کشمیر والے پورے ہندوستان میں جا سکتے تھے۔ یہ آج کے زمانے سے نہیں، مہاراجہ ہری سنگھہ جی کے زمانے سے چلا آ رہا تھا۔ آزادی سے کئی سال پہلے، 1925 میں یہ قانون بنا دیا گیا تھا۔ اس کی وجہ سے میں اس سدن میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جموں-کشمیر میں یا تو پہاڑ ہیں یا جنگل ہیں۔ وہاں زمین نہ کے برابر ہے۔ جب جموں کشمیر یونین ٹیرٹری بنا، تو پارلیمنٹ کے میرے بہت سارے ساتھی کہنے لگے کہ ہم بھی وہاں پر زمین خریدیں گے، وہاں تو زمین بہت سستی ہوگی۔ میں نے ان سے کہا کہ آج تک میں تو وہاں زمین نہیں خرید پایا ہوں، آپ ہی خرید لیجئے۔ میں نے ان کو بتایا کہ اپ کو غلط فہمی ہے کہ صرف جموں کشمیر والے ہی وہاں زمین خرید سکتے ہیں۔ اپ تو ایکڑوں میں زمین خرید لیں گے۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ جموں شہر اور شری نگر شہر میں زمین کا پرتی ایکڑ ریٹ کیا ہے؟ انہوں نے کہا شاید 40-30 لاکھہ روپے پرتی ایکڑ ہوگا۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ 40-30 لاکھہ روپے پرتی ایکڑ نہیں، وہاں پر 50-40 کروڑ روپے پرتی ایکڑ کا ریٹ ہے۔ جموں شہر یا سری نگر شہر میں آپ 50-40 کروڑ روپے میں ایک ایکڑ زمین ملے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں زمین ہے ہی نہیں۔ ہماری ساری زمین میں جنگل اور پہاڑ ہیں۔ مہاراجہ ہری سنگھہ جی نے اسی لئے یہ چیز رکھی تھی کہ جب وہاں پر زمین ہی نہیں ہے، ایسی میں اگر کوئی باہر والا ہماری یہ زمین بھی لے جائے گا، تو یہاں کے لوگ کہاں جائیں گے اور کیا کھائیں گے؟ اسی طرح نوکری میں بھی یہ پروویژن رکھا گیا تھا تاکہ کوئی باہر والا وہاں نوکری کے

لئے نہیں جا سکے۔ جموں-کشمیر ہندوستان کا آخری حصہ ہے، جہاں ہندوستان ختم ہوتا ہے یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جہاں سے ہندوستان شروع ہوتا ہے۔ ہمارے ایک طرف پاکستان ہے اور دوسری طرف چین ہے۔ کشمیر تک ابھی ریل کی سویدھا نہیں پہنچی ہے۔ وہاں گاڑیوں میں مال جاتا ہے، آس لئے وہاں پہنچ کر سب سے مہنگا مال بکتا ہے۔ گجرات سے، تملُ ناڈو سے، ممبئی سے تیار مال جاتا ہے۔ جہاں تک ٹرین کی سویدھا ہے، وہاں تک تو ٹھیک ہے۔ و ہاں سے ٹرکوں میں مال جانا ہے، اس لیے ڈبل مہنگا ہوجاتا ہے۔ وہاں کوئی ادیوگ نہیں بنا، انسر ٹینلی کی وجہ سے ، دربہآگیہ ہے، کوئی بڑا ادہیوگ نہیں ہے، یہ چھوٹے چھوٹے ادیوگ ہیں، جو میں نے یہ بارہ ہزار گنے، یہ بارہ ہزار ادیوگ کسی گجرات کے یا ممبئی والے ادیوگ کے اینسلیری ہونگے، جن میں بے چارے 15-10 لوگ کام کرتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے ادیوگ ہیں، انہیں پر ہم گزارا کرتے ہیں، وہاں بڑا ادیوگ نہیں ہے۔ جب بڑا ادیوگ نہیں ہے تو نوکری نہیں ہے۔ اس لیے وہاں جو امپلائمنٹ ہے، وہ ایک ادیوگ کے طور پر کام کرتے ہیں۔ وہاں کوئی ادیوگ نہیں ہے تو یہی ایک ادیوگ ہے۔ اگر ادیوگ نہیں ہوتا تو ایم فِل پُر ہا ہوا لڑگا، جموں اور کشمیر کا پی ایچ دی کرا ہوا لڑکا، جس کے دو بچے ہوں، تین ہزار لڑکے، تین تین ہزار روپیے پر سات سال کام کرتے اس لیے مانیئے گرہ منتری جی سے میرا نویدن ہے کہ جموں وکشمیر ...

श्री उपसभापतिः माननीय आज़ाद जी, आपका समय बहुत पहले खत्म हो चुका है।

श्री गुलाम नबी आज़ादः मैं दो-तीन मिनट में खत्म कर दूंगा। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि जम्मू-कश्मीर को आप जितनी जल्दी स्टेटहुड देंगे और उसके बाद इलेक्शन करेंगे- स्टेटहुड से पहले इलेक्शन करेंगे तो फिर मामला ख़राब होगा। मैं इस बारे में किसी भी दिन आपसे अलग से बात करूंगा, आपके साथ बैठकर उसके नेगिटिव- पॉज़िटिव क्या नतीजे निकलेंगे - वे नेगेटिव चीज़ें मैं यहां कहना नहीं चाहता हूं, अच्छा भी नहीं है, लेकिन मैं यहां पॉज़िटिव चीज़ें कहूंगा। मैं परसों यहां राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर यही कह रहा था कि जम्मू-कश्मीर बॉर्डर स्टेट है, जिस तरह की टेंशन और जिस तरह हमारे दोनों तरफ से दुश्मन हैं, पाकिस्तान की तरफ से भी और चाइना की तरफ से वे हमारे सिर पर बैठे हुए हैं, तो कोई भी अक्लमंद सरकार यही करेगी कि कम से कम उनसे तो निपटते रहेंगे, लेकिन यहां अपने देश के जो लोग बॉर्डर पर हैं, वे तो हमारे साथ पीछे खड़े रहें, जिस तरह से आज तक खड़े रहे, जिस तरह से 1947 में कश्मीर के लोग खड़े रहे, जब कि फौज 27 अक्टूबर को बाद में पहुंची, लेकिन तब तक बीस दिन तो कश्मीर के लोगों ने उन्हें रोका। मैं आपको भेजूंगा, मुझे तब की एक किताब मिली है और जिसमें पहली दफा मैंने देखा कि बच्चों को थ्री नॉट थ्री बंदूक की ट्रेनिंग दी जा रही है। मैंने पहली दफ़ा देखा, शायद हिन्दुस्तान में ऐसा नहीं हुआ, जो उस बुक में है कि औरतों की एक मिलिशिया बनाई गई, उनकी बंदू कें हैं, उनको सिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान से जो रज़ाकार आ रहे हैं, उनको रज़ाकार कह रहे हैं, उनको फायर कैसे करना है। मौहल्ले-मौहल्ले की कमिटी बनाई गई। 15-20 दिन उन बच्चों ने, औरतों ने और मर्दों ने ही पाकिस्तान की फौज को रोका। उससे बड़ा टैस्ट क्या होता था, जबकि मज़हब की बुनियाद पर पाकिस्तान और हिन्दुस्तान बनाये गये थे, वे सब जाते और उनके साथ मिल जाते। वे उनके साथ नहीं मिले, बल्कि उनके साथ हमला किया। उन्होंने कश्मीर के लोगों को सूली पर चढ़ा दिया। इसलिए इन छोटी-छोटी बातों को नहीं रखना है, बड़े इतिहास को हमने देखना है और जम्मू-कश्मीर में हम हिन्दू, मुसलमान, सिख और बौद्ध आज तक एक रहे हैं और हमेशा एक रहेंगे। राजनीति में सबको मौका मिलता है, कोई पीछे नहीं है, उसमें कोई यह नहीं कहेगा और हमें हमारी स्टेट का गौरव है। हिन्दुस्तान के सब स्टेट्स को सोचना चाहिए और

सीखना चाहिए। मेज्योरिटी मुस्लिम होकर भी हमारे यहां मुसलमान डीजी को हुए कई दशक हो गये, हमारे यहां कई दशक हुए मुसलमान चीफ सैक्रेटरी को हुए, शायद तब मैं पढ़ता था। जब हमारी 80 परसेन्ट गवर्नमेन्ट होती है और मुस्लिम चीफ मिनिस्टर होते हैं, हमारे 70 परसेन्ट ऑफिसर्स नॉन-मुस्लिम लोग हुए हैं। मैंने आज तक कोई चीफ मिनिस्टर नहीं देखा, मुझसे लेकर चाहे श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद हों, श्री उमर अब्दुल्ला हों या फारूक अब्दुल्ला हों, जिनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी हिन्दू न हो, जिनका चीफ सेक्रेटरी हिन्दू न हो, जिनका डीजीपी हिन्दू न हो। जिनके आधे से ज्यादा, दो-तिहाई ऑफिसर्स चाहे वे डी.सीज़ और एस.पीज़ हों, वे हिन्दु न हों। हमारे यहां यह नहीं है और हमने कभी ऐसा नहीं सोचा है। इसलिए मैं आखिर में एक ही शेर आपसे कहता हूँ। आप यह जो तजुर्बा कर रहे हैं, हमको जो गिनी पिग बनाया जा रहा है, यह गिनी पिग के तजुर्बे बन्द कर दें। बहुत हुआ, पहले प्राइम मिनिस्टर रहा, प्रेज़िडेंट रहा, फिर चीफ मिनिस्टर रहा, गवर्नर रहा, अब हम एलजी पर पहुँच गये हैं। ये सब एक्सपेरिमेंट्स हैं। आप जानते हैं कि आज-कल वैक्सीन की बात चल रही है। मैं साइंस स्टूडेंट भी रहा हूँ, हेल्थ मिनिस्टर भी रहा हूँ। वैक्सीन आदमियों से पहले किसको दी जाती है - माउस, चूहे को, उसके बाद बन्दर को दी जाती है और उसके बाद वह आदमी पर टेस्ट होती है। यहाँ तो चूहा भी हम ही बन रहे हैं, बन्दर भी हम ही बन रहे हैं, सब एक्सपेरिमेंट्स जम्मू-कश्मीर पर किये जा रहे हैं। इस तरह हम तो इस एक्सपेरिमेंट में गिनी पिग हो गये। इसलिए खुदा के लिए इस गिनी पिग बनने से हमें बचाइए। मैं इस शेर से अपनी बात खत्म करूँगा कि 'एक रात..' - यह शेर गृह मंत्री जी के लिए है। अभी रात नहीं है, शायर ने शेर में 'रात ' बताया है, तो उसका रात वाला कोई दूसरा किस्सा रहा होगा। शायर तो आप जानते हैं, लेकिन यहाँ तो दिन में हुआ था, माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था। यह जो शेर है, उसे गृह मंत्री जी समझ जायेंगे। 'एक रात आपने उम्मीद पे क्या रखा है..' - जब आपने कहा था कि वह स्टेट बनेगा, उसके बारे में बता रहा हँ।

## "एक रात से आपने उम्मीदों पर क्या रखा है? हमने आज तक चिराग़ों को जला रखा है।"

हम तब से उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि कब आयेगी, अभी आयेगी, अभी आयेगी। अगला जो सेशन है, उसमें मैं भाषण करने के लिए नहीं रहूँगा, इसलिए हमारी तरफ से आपको यह बहुत बड़ा गिफ्ट होगा कि अगले सेशन में, इसी बजट का जो अगला भाग है, उसमें आप जम्मू-कश्मीर के statehood का बिल लायें, उससे हमारी तमाम समस्याओं का समाधान होगा और हमारी तमाम मुश्किलात दूर हो जाएँगी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, गृह मंत्री जी, आपका भी धन्यवाद।

<sup>†</sup>جناب غلام نبی آزاد : میں دو تین منٹ میں ختم کردونگا۔ میں آپ سے یہی نویدن کرونگا کہ جموں کشمیر کو آپ جتنا جلدی اسٹیٹ ہوڈ دیں گے اور اس کے بعد الیکشن کریں گے، اسٹیٹ ہوڈ سے پہلے الیکشن کریں گے تو پھر معاملہ خراب ہوگا۔ میں اس بارے میں کسی بھی دن الگ سے بات کرونگا، آپ کے ساتھ بیٹھ کر اس کے نگیٹیو پازیٹیو کیا نتیجے نکلیں گے، یہاں وہ نگیٹیو چیزیں میں یہاں کہنا نہیں چاہتا ہوں، اچھا بھی نہیں ہے، لیکن میں یہاں پازیٹیو چیزیں کہوں گا۔ میں پرسوں یہاں راشٹرپتی مہودے کے خطاب پر یہی کہہ رہا تھا کہ جموں وکشمیر بارڈر

<sup>&</sup>lt;sup>I</sup> Transliteration in Urdu script.

اسٹیٹ ہے، جس طرح کی ٹینشن اور جس طرح ہمارے دونوں طرف سے دشمن ہیں، پاکستان کی طرف سے بھی اور چائنا کی طرف سے وہ ہمارے سر پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو کوئی بھی عقلمند سرکار یہی کریگی کہ کم سے کم ان سے تو نپٹنے رہیں گے لیکن یہاں اپنے دیش کو جو لوگ بارڈر پر ہیں، وہ تو ہمارے ساتھ پیچھے کھڑے رہیں جس طرح سے آج تک کھڑے رہے، جس طرح سے 1947 میں کشمیر کے لوگ کھڑے رہے، جب کہ فوج 27 اکتوبر کو بعد میں پہنچی، لیکن تب تک بیس دن تو کشمیر کے لوگوں نے انہیں روکا۔ میں آپ کو بھیجونگا، مجھے تب کی ایک کتاب ملی ہے اور جس میں پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ جس میں بچوں کو 3 ناٹ 3 بندوق کی ٹریننگ دی جارہی ہے۔ میں نے پہلی دفعہ دیکھا، شاید ہندستان مین ایسا نہیں ہوا، جو اس بک میں ہے کہ عورتوں کی ایک ملیشیا بنائی گئی، وہ ان کی بندوقیں ہیں، ان کو سکھایا جارہا ہے کہ جو پاکستان سے جو رضاکار اُرہے ہیں، ان کو رضاکار کہہ رہے ہیں، ان کو فائر کیسے کرنا ہے۔ محلے محلے کی کمیٹی بنائی گئی۔ 20-15 دن ان بچوں نے، عورتوں نے اور مردوں نے ہی پاکستان کی فوج کو روکا۔ اس سے بڑا ٹیسٹ کیا ہوتا تھا، جب کہ مذہب کی بنیاد پر پاکستان اور ہندوستان بنائے گئے تھے۔ وہ سب جاتے اور ان کے ساتھہ مل جاتے۔ وہ ان ساتھی نہیں ملے، بلکہ ان کے ساتھہ حملہ کیا۔ انہوں نے کشمیر کے لوگوں کو سولی پر چڑھا دیا۔ اس لئے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو نہیں رکھنا ہے، بڑے اتہاس کو ہم نے دیکھنا ہے اور جموں کشمیر میں سب ہندو، مسلمان، سکھہ اور بودھہ آج تک ایک رہے ہیں، اور ہمیشہ ایک رہیں گے۔ راجنیتی میں سب کو موقع ملتا ہے، کوئی پیچھے نہیں ہے، اس میں کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہمیں ہماری اسٹیٹ کا گورو ہے اور ہندوستان کے سب اسٹیٹس کو سوچنا چاہئے اور سیکھنا چاہئے۔ میجورٹی مسلم ہوکر بھی ہمارے یہاں مسلمان ڈی۔جی۔ کو ہوئے کئی دہائیاں ہو گئے، ہمارے یہاں کئی دہائیاں ہوئیں مسلمان چیف سکریٹری کو ہوئے، شاید تب میں پڑ ہتا تھا۔ جب ہماری اسّی فیصد گُوور نمینٹ ہوتی ہے اور مسلم چیف منسٹر ہوتے ہیں، ہمارے ستّر فیصد آفیسرز نان-مسلم لوگ ہوئے ہیں۔ میں نے آج تک کوئی چیف منسٹر نہیں دیکھا، مجھہ سے لے کر چاہے جناب مفتی محمد سعید ہوں، جناب عمر عبداللہ ہوں یا فاروق عبداللہ ہوں، جن کا پر نسپل سکریٹر ی ہندو نہ ہو، جن کا چیف سکریٹر ی ہندو نہ ہو، جن کا ڈی جی پی۔ ہندو نہ ہو۔ جن کے ادھے سے زیادہ، دو-تہائی آفیسرز چاہے وہ ڈی۔سیز۔ اور ایس پیز۔ ہوں، وہ ہندو نہ ہوں، ہمارے یہاں یہ نہیں ہے اور ہم نے کبھی ایسا نہیں سوچا ہے۔

اسی لئے میں آخر میں ایک ہی شعر آپ سے کہتا ہوں۔ آپ یہ جو تجربہ کررہے ہیں، ہم کو جوگنی-پگ بنایا جا رہا ہے، یہ گنی-پگ کے تجربے بند کر دیں۔ بہت ہوا، پہلے پرائم منسٹر رہا، پریذیڈینٹ رہا، پھر چیف منسٹر رہا، گورنر رہا، اب ہم ایل جی۔ پر پہنچ گئے ہیں۔ یہ سب ایکپیرمینٹس ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ویکسین کی بات چل رہی ہے۔ میں سائنس کا اسٹوڈینٹ بھی رہا ہوں، ہیلتھہ منسٹر بھی رہا ہوں۔ ویکسین آدمیوں سے پہلے کو کو دیا جاتا ہے، ماؤس، چوہے کو، اس کے بعد بندر کو دی جاتی ہے اور اس کے بعد وہ آدمی پر ٹیسٹ ہوتی ہے۔ یہاں تو چوہا بھی ہم ہی بن رہیں ہیں، بندر بھی ہم ہی بن رہے ہیں، سب ایکسپیر مینٹس جموں-کشمیر پر کئے جا رہے ہیں۔ اس طرح ہم تو اس ایکسپیر مینٹ میں گنی-پک ہو گئے۔ اس لئے خدا کے لئے اس گنی-پک بننے سے ہمیں بچائیئے۔ میں اس شعر سے اپنی بات ختم کروں گا کہ 'ایک رات' — یہ شعر گرہ منتری جی کے لئے ا ہے۔ ابھی رات نہیں ہے، شاعر نے شعر میں 'رات' بتایا ہے، تو اس کا رات والا کوئی دوسرا قصہ رہا ہوگا۔ شاعر تو آپ جانتے ہیں، لیکن یہاں تو دن میں ہوا تھا، مانّئے گرہ منتری جی نے کہا تھا۔ یہ جو شعر ہے، اسے گرہ منتری جی سمجھہ جائیں گے۔ 'ایک رات آپ نے امید یہ کیا رکھا ہے'۔۔۔ جب آپ نے کہا تھا کہ وہ اسٹیٹ بنے گا، اس کے بارے میں، میں بتا رہا ہوں۔

# ایک رات آپ نے امید پہ کیا رکھا ہے

ہم نے آج تک چرآغوں کو جلا رکھا ہے ہم تب سے امید لگا کر بیٹھے ہیں کہ کب آئے گی، ابھی آئے گی، ابھی آئے گی۔ اگلا جو سیشن ہے، اس میں میں بھاشن کے لئے نہیں رہوں گا، اس لئے ہماری طرف سے آپ کو یہ بہت بڑی گفٹ ہوگی کہ اگلے سیشن میں، اسی بجٹ کا جو اگلا حصہ ہے، اس میں آپ جموں-کشمیر کے اسٹیٹ-ہڈ کا بل لائیں، ہماری تمام پریشانیوں کا حل ہوگا اور ہماری تمام مشکلات دور ہو جائیں گی۔ آپ کا بہت بہت دھنیواد، گرہ منتری جی، آپ بھی دھنیواد۔

श्री दुष्यंत गौतम (हरियाणा): आदरणीय उपसभापति जी, आपने मुझे बोलने का जो मौका दिया है, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ।

आदरणीय उपसभापति जी, मुझे अभी-अभी जम्मू-कश्मीर चुनाव में जाने का मौका मिला। उस मौके के अन्दर मैंने देखा कि आज़ादी के बाद धारा-370 के माध्यम से वहाँ के लोगों को किस प्रकार से आज़ादी मिली है। आदरणीय वल्लभभाई पटेल जी ने अनेकानेक रियासतों को इकट्ठा करके एक देश का निर्माण किया था, लेकिन उस समय के तथाकथित शासनकर्ताओं ने जम्मू-कश्मीर को इस तरीके से बना दिया कि सबकी रियासतें खत्म हो गयीं, लेकिन जम्मू-कश्मीर के अन्दर तीन रियासतें धारा-370 के कारण लगातार चलती रहीं। 70 वर्षों तक वे तीन रियासतें, चाहे वे मुफ्ती जी की रियासत हो या अब्दुल्ला परिवार की रियासत हो या नेहरू परिवार की रियासत हो, इन रियासतों ने लगातार इस प्रकार से ही शासन किया, जैसे रजवाड़े राज करते हैं और लगातार वहाँ की जनता का शोषण होता रहा। मुझे ध्यान है कि जब संविधान बना था, तब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी ने वोट का अधिकार दिया था और उन्होंने वोट के अधिकार में कहा था कि आज के बाद राजा-रानी के पेट से पैदा नहीं होंगे, हमारे वोट के अधिकार से पैदा होंगे। जब मैं जम्मू-कश्मीर में गया, तो देखा कि 70 वर्षों के बाद छोटे निकायों के अन्दर उनको वोट देने का अधिकार मिला, 70 वर्षों के बाद उनको लगा कि हमें आज आज़ादी मिल रही है, 70 वर्षों के बाद उनको लगा कि उनकी जो मौलिक जरूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए वे अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। उसके बाद लगातार जो विश्वास वहाँ की जनता ने दिया, तो हम जो सूनते आ रहे थे कि उस समय के लोगों ने कहा था कि हम यह धारा-370 लगा रहे हैं, जो घिसते-घिसते घिस जायेगी, लेकिन 70 वर्षों के अन्दर जनता ने जब देखा कि यह तो नहीं हटायेंगे, लेकिन उसको हटाने के बाद उन्होंने तीनों दलों को एक प्रकार से घिस दिया। चाहे वहाँ पर नेशनल कांफ्रेंस हो, मुफ्ती जी की पार्टी हो, कांग्रेस हो, तीनों दलों के बहुमत को अगर आप देखें, तो तीनों को जोड़ने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी एक सर्वोपरि दल के रूप में वहाँ पर खड़ी हुई है। यह साफ-साफ लगता है कि धारा-370 कहीं न कहीं उनका शोषण कर रही थी।

आदरणीय उपसभापति जी, अभी मुझे जम्मू-कश्मीर के अंदर जाने का मौका मिला। वहाँ पर जिस प्रकार से सीज़फायर वॉयलेशन चल रहा था, बढ़ रहा था, उस प्रकार से पूर्व के शासन में नहीं था, क्योंकि पूर्व के शासन में जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान की जो घुसपैठ लगातार बढ़ रही थी, वह घुसपैठ आज सीज़फायर तोड़ने के रूप में दिखाई देती है। इसलिए पूर्व के शासन के समय में उसको सीज़फायर तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। उस समय जम्मू-कश्मीर के अंदर ही राष्ट्र विरोधी ताकतें इकट्ठी थीं, स्कूलों को जलाया जाता था, हमारे सैनिकों पर पत्थर मारे जाते थे। वहाँ के लोकल लोग आतंकवाद के माध्यम से वहाँ की जनता को मारने का काम करते थे। मैं सीधा-सीधा कह सकता हूँ कि हमारे उस समय के शासन करने वाले कहीं न कहीं पाकिस्तान में बैठ कर मोदी जी की सरकार को गिराने का षड्यंत्र भी करते थे। देश के अंदर ऐसा वातावरण बनाया गया था, इसलिए मुझे लगता है कि उस शासन में पाकिस्तान को सीज़फायर तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि हमारे देश के अंदर ही, जम्मू-कश्मीर के अंदर ही ऐसी ताकतें बैठी हुई थीं, जो हमें demoralize करती थीं, लेकिन मुझे लगता है कि आज जम्मू-कश्मीर के अंदर पाकिस्तान जो सीज़फायर कर रहा है, वह अपनी फेस सेविंग कर रहा है, अपने आकाओं को खुश करने के लिए कर रहा है या पाकिस्तान में जो समस्याएँ हैं, उन पर पर्दा डालने के लिए यह कर रहा है।

आरदणीय उपसभापति जी, अभी लाल किले पर तिरंगे के अपमान की घटना हुई। मुझे ध्यान है कि लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराने के लिए, उस समय के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुरली मनोहर जोशी जी ने अपने नेतृत्व में आह्वान किया था। उन्होंने आह्वान किया था कि मैं कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराना चाहता हूँ। तिरंगा फहराने के लिए लाखों लोग पूरे देश से चले थे, लेकिन उस समय देश पर शासन करने वाले जो तथाकथित लोग थे, उन्होंने इस प्रकार का माहौल बना दिया, वातावरण बना दिया कि पाँच-छः लोगों को ही लाल चौक पर तिरंगा फहराने की अनूमति दी गई और शायद पाँच हज़ार पुलिस वाले आसपास लगाये गये थे। उस समय हमारे आज के प्रधान मंत्री, आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने आह्वान किया था कि मैं लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए जा रहा हूँ, किसी माई के लाल में हिम्मत है, तो मुझे झंडा फहराने से रोक कर दिखाए। आज उन्होंने चरितार्थ कर दिया। आज उनके शासन काल में जम्मू-कश्मीर में ही नहीं, खाली लाल चौक पर ही नहीं, बल्कि पूरे देश में और खास करके जम्मू-कश्मीर के किसी भी कोने में तिरंगा झंडा फहराया जा सकता है, कोई माई का लाल उसको रोक नहीं सकता। हमारे शासन ने आज जम्मू-कश्मीर के अंदर यह स्थिति बनाई है। उस समय हमने तिरंगे की कद्र की थी, लेकिन लाल किले पर जिस प्रकार से तिरंगे झंडे का अपमान किया गया, यह देख कर दुख होता है। अपमान करने वाले लोग, किसान आंदोलन के माध्यम से, किसान का परदा पहन कर वहाँ पर गए थे। सभी दलों ने, खास कर सभी किसान नेताओं ने कहा कि हम यह मान कर चलते हैं कि वह एक गलत काम था, एक घिनौना काम था, लेकिन दुख तब होता है, जब तिरंगे का अपमान करने वाले को सज़ा देने की बात होती है, तब सभी कहते हैं कि उनको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन जब हम उनको identify करते हैं, जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया है, जिन्होंने वहाँ पर एक धर्म का झंडा फहराया, तब यही काँग्रेस के लोग उन लोगों के लिए 70 वकील खड़े करते हैं, उनको बचाने के लिए 70 वकील खड़े करते हैं। स्टंट करते हुए किसी प्रकार से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, बड़ा दुख होता है कि एक पार्टी की वरिष्ठ नेता प्रियंका गाँधी जी वहाँ पर गईं, हमें उनके जाने पर कोई एतराज़ नहीं है, किसी की मृत्यु पर जाना चाहिए, लेकिन वहाँ पर जो चार सौ सिपाही थे, सैनिक थे, जो अस्पतालों के अंदर भर्ती थे, परेशान थे, तकलीफ में थे, उनके पास जाने का उनको मौका नहीं मिला। आज तिरंगे का अपमान पर अपमान, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, लगातार किया जा रहा है। अगर इतने ही वकील 1984 के दंगे के लिए खडे कर देते, तो मेरे ख्याल से 1984 के दंगे में जो लोग नामित थे, जिन्होंने सिखों को मारा था, उनको उसी समय सज़ा मिल गई होती। उन लोगों को न्याय के लिए मोदी सरकार का इंतज़ार नहीं करना पडता कि मोदी सरकार आएगी और उनको सजा देने का काम करेगी। इस प्रकार से, हमने लगातार हमारे देश को एक आतंक मुक्त शासन दिया है। हम वर्ष 2014 से पहले देखा करते थे कि देश में बसों के अंदर, ट्रेनों के अंदर, अनेक मार्केटस के अंदर यही लिखा रहता था कि "कृपया देखें, कोई आपत्तिजनक चीज़ बम हो सकती है", लेकिन आपको दिखाई देगा कि हमारे सुशासन के कारण आज बस और ट्रेनों के अंदर तो क्या, देश के किसी भी कोने में किसी को भी बम तो दूर है, पटाखा छोड़ने की भी इजाज़त नहीं है। हमने ऐसा शासन देने का काम किया है कि हमारे देश के नागरिक बिना किसी खतरे के कहीं भी घूम सकते हैं।

आदरणीय उपसभापति महोदय, मुझे ध्यान आता है कि जब धारा-370 लगाई गई थी, तब डा. भीमराव अम्बेडकर जी ने उसका बहुत विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि धारा-370 के कारण कोई व्यक्ति पूरे देश में कमाएगा और कश्मीर में बैठकर खाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब कश्मीरियों को यह हक है, तो पूरे देश को भी यह हक है। जब कश्मीरी पूरे देश में रह सकते हैं, तो पूरा देश भी कश्मीर में रह सकता है। मुझे दुख होता है कि हमारे कश्मीर के अंदर दो विधान, दो निशान, दो प्रधान चल रहे थे। हमारे प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्यामाप्रसाद मुखर्जी जी ने कश्मीर को जोड़ने के लिए अपना बलिदान दिया था। मुझे दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि ये काँग्रेस के लोग धारा-370 की वकालत करते थे, बड़े-बड़े भाषण दिया करते थे। मुझे ध्यान है कि वहाँ पर 70 के दशक तक आरक्षण लागू नहीं होता था। मैं अभी पीछे जम्मू-कश्मीर गया था। मैंने विधान सभा के सामने भगत अमरनाथ जी की एक मूर्ति का अनावरण किया था। उनकी मूर्ति का अनावरण करते हुए मुझे जानकारी मिली कि उन्होंने वहाँ पर एक आंदोलन किया था, assembly के सामने भूख हड़ताल की थी और उनका बलिदान हो गया था। उनके बलिदान के बाद ही वहाँ पर आरक्षण मिलना शुरू हुआ था।

आदरणीय उपसभापति महोदय, आज धारा-370 हटने के बाद बड़ी-बड़ी बातें की जा रही हैं कि नौकरी में यह हो गया, नौकरी में वह हो गया। किसी को यह चिंता नहीं थी कि जो लाखों वाल्मीकि समाज के लोग जम्मू-कश्मीर में रहते थे, उनके बच्चे डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, प्रोफेसर बन गए, उन्होंने अनेकानेक शिक्षाएं प्राप्त कीं, लेकिन वहाँ की सरकार यह कहती थी कि धारा-370 के तहत हम आपको सफाई कर्मचारी ही बना सकते हैं, हम आपको कोई नौकरी नहीं दे सकते हैं। अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के साथ ऐसा घिनौना अपराध किया गया और सिर्फ उनके साथ ही नहीं, बल्कि डा. अम्बेडकर के साथ भी ऐसा ही किया गया। डा. अम्बेडकर जी का सिर्फ एक ही कुसूर था कि वे धारा-370 नहीं चाहते थे, डा. अम्बेडकर जी का एक ही कुसूर था कि वे मजबूत भारत चाहते थे, डा. अंबेडकर जी का यही कुसूर था कि वे तुष्टिकरण की नीति को नहीं चाहते थे। यही कारण है कि जब इनकी काँग्रेस सरकार का शासन समाप्त हो गया, तब उनको भारत रत्न मिला, उस समय देश में गैर काँग्रेसी सरकार थी। यह इनका डा. अम्बेडकर जी के लिए 36 का आंकड़ा था।

आदरणीय उपसभापति जी, मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूँ। जब हम दिल्ली में बच्चों को घुमाने के लिए जाते थे, तब हम मार्केट में घूमते हुए बच्चों को अनेकानेक समाधियाँ दिखाया करते थे, अनेकानेक संग्रहालय दिखाया करते थे। क्योंकि मैं दलित समाज से आता हूँ, इसलिए हमारे बच्चे भी पूछा करते थे कि पापा, सबकी समाधियाँ दिखाई देती हैं, सबके संग्रहालय दिखाई देते हैं, लेकिन डा. अम्बेडकर की समाधि कहाँ है, डा. अम्बेडकर का संग्रहालय कहाँ है? मुझे बड़ा दुख होता था कि जिस समय डा. अम्बेडकर जी ने अंतिम सांस ली, उस समय के शासनकर्ताओं ने डा. अम्बेडकर जी की डेड बॉडी का दिल्ली में कहीं भी अंतिम संस्कार नहीं करने दिया और उन्हें बॉम्बे ले जाकर उनका अंतिम संस्कार किया गया। वहाँ पर भी एक छोटी सी चैत्य भूमि बनाई गई थी। उस समय भी वहाँ पर आदरणीय गडकरी जी राज्य मंत्री थे। दादर में समुद्र किनारे एक चैत्य भूमि बनाई गई थी। उस समय हमारे अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित डा. अम्बेडकर के सभी अनुयायी, जो उन्हें मानते थे, वे उस समय के शासनकर्ताओं से निवेदन और प्रार्थना करते रहते थे कि डा. अम्बेडकर जी को भी सम्मान दीजिएगा, लेकिन उन्हें कभी भी सम्मान नहीं दिया गया। आज मैं देश के प्रधान मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने अपनी दूरदृष्टि से, बिना वोट बैंक की राजनीति के कहा कि जब सबकी समाधि हो सकती हैं, तो डा. अम्बेडकर की समाधि क्यों नहीं हो सकती? वहाँ पर Indu mill बंद पड़ी हुई थी। उन्होंने वह साढ़े दस एकड़ की Indu mill लेकर डा. भीमराव अम्बेडकर की समाधि, चैत्य भूमि बनाने का काम किया है, इसके लिए मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ।

आदरणीय उपसभापति जी, यह पीड़ा और तकलीफ है। यह तकलीफ बार-बार होती है और कहती है कि मैं सभी के संग्रहालय गया, मैंने इंदिरा गांधी का संग्रहालय भी जाकर देखा, मैं उनको भी नमन करता हूँ कि उनकी जिस साड़ी पर गोली लगी थी, वहाँ वह साड़ी भी दिखाई देती है। ऐसे अनेक महापुरुष हुए, जिनके संग्रहालय मैंने दिल्ली के अंदर देखे हैं या देश के अंदर देखे हैं, लेकिन डा. भीमराव अम्बेडकर जी का संग्रहालय मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। वह क्यों नहीं दिखाई दिया? क्योंकि इनको अभी तक शासन करने में यही लगा कि अगर किसी और को महापुरुष बना दिया, तो हम नेहरू खानदान का गुणगान कैसे करेंगे? आज मुझे मालूम पड़ रहा है कि जब 26, अलीपुर रोड से इन कांग्रेसियों ने डा. भीमराव अम्बेडकर जी का सामान उठाकर बाहर फेंक दिया था, तब उनके साथ नानक चंद रत्तू जी थे, जो उस सामान को लेकर नागपुर से 35 किलोमीटर दूर चिचोली गाँव में अपने यहाँ ले गए थे। वहाँ पर उस सामान को रखा गया। मुझे ध्यान आता है, वर्ष 2013 में मीडिया ने इस बारे में आवाज़ उठाई। जब एक घर के अंदर कोई व्यक्ति रहता है, तो वहाँ उसकी चारपाई भी होती है, उसकी कुर्सी भी होती है, उसकी टेबल भी होती है, पढ़ाई का सामान भी होता है। वे वायसराय थे, कोट भी पहना करते थे, टाइयाँ भी डाला करते थे। जब मैंने वहाँ पर जाकर देखा, तो पाया कि उनकी सारी टाइयों को दीमक खा गई है।

श्री उपसभापति : माननीय दुष्यंत जी, आप कन्क्लूड करें, आपका समय पूरा हो रहा है।

श्री दुष्यंत गौतमः जी सर, दो मिनट।

श्री उपसभापतिः दो मिनट नहीं, समय कम है, अब आप कन्क्लूड करें।

श्री जयराम रमेश (कर्नाटक) : सर, ये बिल पर नहीं बोल रहे हैं। ...(व्यवधान)...

**श्री दुष्यंत गौतम :** उनकी टाइयों को भी दीमक खा गई है, कोटों को भी दीमक खा गई है। जिस टाइपराइटर से संविधान लिखा गया, वह भी टूट गया है। जिस कुर्सी पर वे बैठते थे, वह कुर्सी भी टूट गई है, लेकिन इन्होंने कभी उसकी चिन्ता नहीं की। आज वहाँ पर 13 एकड़ जमीन के अंदर हम डा. अम्बेडकर जी का संग्रहालय बनाने का काम कर रहे हैं।

आदरणीय उपसभापति जी, जिस प्रकार से लगातार कांग्रेस और विरोधी दलों ने यह मन बना लिया है कि हम सीएए का भी विरोध करेंगे, जबकि ये सीएए लाना चाहते थे... श्री उपसभापति : माननीय दुष्यंत जी, खत्म करें।

श्री दुष्यंत गौतम : उपसभापति जी, मैं कहूँगा कि अगर आप मुझे दो-तीन मिनट और दे देंगे, तो मैं अपनी पूरी बात को रख दूँगा। सीएए से अगर किसी को लाभ होने वाला था, तो वह दलितों को होने वाला था। ...(व्यवधान)... श्री उपसभापति : समय तय है, समय की सीमा है।

श्री दुष्यंत गौतम : सर, अब अंत में, मैं खत्म कर रहा हूँ। सीएए, जीएसटी, इनके सारे बनाए कानूनों को हम लाने का काम कर रहे हैं।

श्री उपसभापतिः धन्यवाद, माननीय दुष्यंत जी।

श्री दुष्यंत गौतम : इनके विरोध की मानसिकता इस प्रकार से बन गई है कि अगर मोदी जी इनको हलवा भी खिलाएँगे और कहेंगे कि मीठा हलवा है, तो ये कहेंगे कि नहीं, हलवा फीका है, केवल चीनी मीठी थी। बहुत-बहुत धन्यवाद, सर।

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN (Tamil Nadu): Sir, I rise to support this Bill. Even on the earlier occasion, I supported the main Act, the Jammu & Kashmir Reorganization Act. Now, the Bill is being brought to bring amendment to Sections 13 and 88. It is a welcome step. I welcome it because there is a huge deficiency of officers of All India Services in the Union Territory of Jammu & Kashmir and the developmental and Centrally-sponsored schemes are not being carried out there. Hence, Jammu & Kashmir requires more number of officers of the All India Services. That is why, now it is being merged with the Arunachal Pradesh, Goa and Mizoram cadres. So, officers from these cadres can be posted to the Union Territory of Jammu & Kashmir to meet out the deficiency to some extent. So, it is for a good purpose and a good object that this Amendment has been brought in. I welcome it. Jammu & Kashmir is better off now as a Union Territory. Considering the attitude of border nations like Pakistan and China, Jammu & Kashmir must be under the direct control of the Union Government. This is my humble view.

I welcome and support this Bill. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Now, Dr. Amar Patnaik; not present. Shri V. Vijayasai Reddy; not present. Prof. Manoj Kumar Jha.

प्रो. मनोज कुमार झा (बिहार) : उपसभापति महोदय, आज The Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill, 2021 पर मैं कुछ बातें रखना चाहता हूं। हमारे Leader of Opposition, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने बहुत तफ़सील से अपनी बातें रखीं। मैं दो-तीन चीज़ों के लिए दरख्वास्त करूंगा कि आप जो कैडर परिवर्तन कर रहे हैं, यह परिवर्तन temporary है या permanent है, यह जानना बहुत ज़रूरी है। मेरे कई सारे दोस्त ब्यूरोक्रेसी में हैं, पुलिस में हैं। महोदय, मेरे पास कम से कम डेढ़-दो मिनट का समय तो होगा?

## **श्री उपसभापति** : जी।

प्रो. मनोज कुमार झा : मैं समझता हूं कि अक्सर जब उनका ट्रांसफर अरुणाचल प्रदेश में होता है, तो वे किसी न किसी जुगाड़ में रहते हैं कि दिल्ली में ही arrangement हो जाए, ताकि उन जगहों पर न जाना पड़े। हमें इन विषयों को ध्यान में रखना है।

माननीय उपसभापति महोदय, यहां माननीय गृह मंत्री जी भी मौजूद हैं। मेरा ताल्लुक एजुकेशन से है और मेरे कई सारे स्टूडेंट्स जम्मू-कश्मीर से हैं और वे जम्मू-कश्मीर में अब टीचर हैं। महोदय, हमने बीते दो वर्षों में बहुत परेशानियां देखी हैं। अभी आपने दो दिन पहले 4G introduce किया। ज़ाहिर है, हमने देखा है कि कई सारे विद्यार्थी, जो हमारे विश्वविद्यालय में पीएचडी में एडमिशन लेते, वे नहीं ले पाए, क्योंकि वे पहुंच नहीं पाए। मैं खुद गवाह हूं कि मेरे यहां दो पीएचडी स्टूडेंट्स को आना था, वे नहीं आ पाए, क्योंकि वे उस समय meet नहीं कर पाए। ज़ाहिर तौर पर वहां की एजुकेशन की अभी जो हालत है, मैं समझता हूं। हम बार-बार कहते हैं और मैं बचपन से सुनता आ रहा हूं कि कश्मीर हिन्दुस्तान का अभिन्न हिस्सा है। महोदय, कोई भी अभिन्न हिस्सा किसी भी तरह का भिन्न व्यवहार स्वीकार नहीं कर पाएगा। हो सकता है तात्कालिक तौर पर यह मुद्दा न बने, लेकिन आगे बन सकता है।

दूसरी चीज़ मैं माननीय गृह मंत्री जी को आपके माध्यम से कहूंगा कि कश्मीर को लेकर जो पूरा narrative है, वह ज़मीन के टुकड़े को लेकर है। मैंने इसी सदन में पहले कहा कि कोई भी territory सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा नहीं होती है, वह चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या जम्मू-कश्मीर हो। वहां ज़िदा लोग रहते हैं। सर, मैं एक मिनट का समय और लूंगा, उससे ज्यादा नहीं लूंगा। वैसे भी कई लोग आज सदन में नहीं थे।

## **श्री उपसभापति** : अन्य लोग हैं।

प्रो. मनोज कुमार झा : सर, normalcy in Jammu and Kashmir को लेकर काफी चर्चा हुई। Normalcy सिर्फ rhetoric नहीं होनी चाहिए, वह reality में तब्दील होनी चाहिए। मेरा अपना उदाहरण भी है। विपक्ष के कई सांसद वहां जाना चाहते थे। हमें एयरपोर्ट पर रोक दिया गया, लेकिन बाद में EU के सांसदों को जाने की इजाज़त दी गई।

मेरी आखिरी टिप्पणी यह है कि इतने निर्णय के बाद क्या मिलिटेंसी में रिकूटमेंट में बढ़ोतरी हुई? आप कश्मीर को नॉर्मल कीजिए, कश्मीर की तथाकथित normalcy पूरे देश को न झेलनी पड़े। कश्मीर वाली normalcy, जो हम हाल के दिनों में दिल्ली के बॉर्डर पर देख रहे हैं, वह न हो। जय-हिन्द।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri M.V. Shreyams Kumar; not present. Shri Binoy Viswam; not present. Shri Sushil Kumar Gupta; not present. Shri Ashok Siddharth.

श्री अशोक सिद्धार्थ (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभापति महोदय, मैं आज इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, क्योंकि जब धारा-370 खत्म की गई थी, उसके आधार पर जो बाकी सुविधाएं वहां पर बहाल करने की बात आई है, उसमें जम्मू-कश्मीर कैडर के आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के लोगों को अब एक नए कैडर, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और यूनियन टेरिटरी के कैडर में संबद्ध किया जाएगा। इससे दो चीज़ें स्पष्ट हैं। जब जम्मू-कश्मीर में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार या अन्य तमाम प्रदेशों के नौजवान वहां आईएएस, आईपीएस और आईएफएस की नौकरी करने जाते थे, तो उनके परिवार के लोग बहुत चिंतित रहते थे। हालांकि जम्मू-कश्मीर भारत की ही नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है। वहां घूमने के लिए सब लोग आतुर रहते हैं और जाना चाहते हैं, लेकिन प्रायः देखा गया है कि जब भी जम्मू-कश्मीर कैडर allot होता था, चाहे वह आईएएस का हो, आईपीएस का हो या आईएफएस का हो, तो परिवार के लोगों में थोड़ी चिंता रहती थी, क्योंकि वहां पर हमेशा से ही कुछ न कुछ तनाव रहता था। उपसभापति महोदय, पहले लद्दाख व जम्मू-कश्मीर एक स्टेट था, अब जम्मू-कश्मीर Union Territory हो गया है। पहले वहां पर जो KAS ऑफिसर्स, स्टेट सर्विस के ऑफिसर्स थे, उनको 50 per cent promotion देकर IAS बनाने की प्रक्रिया थी, लेकिन इस बिल के पास होने के बाद उनको मात्र 33 per cent promote किया जाएगा। मेरा माननीय मंत्री जी से अनूरोध है कि यह 50 per cent की प्रक्रिया बहाल रखी जाए, चूंकि जब 50 per cent की प्रक्रिया होगी, तो जो SC/ST के लोग reservation पाकर KAS बनेंगे, उनको भी IAS बनने का मौका मिलेगा।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक और निवेदन करना चाहूंगा कि धारा-370 समाप्त होने के बाद से पूरे जम्मू-कश्मीर रीजन में एक भय का वातावरण रहा है और पूरे देश में भी रहा है। इससे जनजीवन की व्यवस्थाएं इतने लम्बे समय तक बंद कर दी गई थीं, धीरे-धीरे उनको लागू किया जा रहा है। मेरा अनुरोध है कि वहां पर जो चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा और ट्रांसपोर्टेशन की मौलिक सुविधाएं हैं, उनको यथाशीघ्र पूरी तरह से लागू किया जाए। इसके साथ ही जो टेलीफोन व मोबाइल हमारे जीवन का एक मुख्य अंग बन गया है, इनकी इंटरनेट की सुविधाओं को भी पूरी तरह से लागू किया जाए। मैं निम्न चार लाइनों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं,

> "मौत सच है यह बात अपनी जगह, ज़िंदगी का श्रृंगार करते रहो। नफा-नुकसान होता रहता है, प्यार का कारोबार करते रहो।"

धन्यवाद, महोदय।

श्री सुशील कुमार गुप्ता (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली) : उपसभापति महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आपने इस बिल में कहा है कि अभी जम्मू-कश्मीर की efficiency down है, ऑफिसर्स कम हैं, इसलिए दूसरे कैडर को मिलाकर एक कैडर करना चाहते हैं, ताकि AGMUT में जो अधिक ऑफिसर्स हैं, उनको वहां पर ट्रांसफर करके efficiency का लाभ उठाया जा सके। मैं यह जानकारी लेना चाहूंगा कि किस-किस UT में या किस राज्य में, जहां पर अधिक ऑफिसर्स हैं, उनको वहां पर ट्रांसफर करके आप यह करना चाहते हैं? मेरा इस अवसर पर एक और निवेदन यह है कि जब आपने धारा-370 हटाई थी, तो आपने कहा था कि जम्मू-कश्मीर की हालत बहुत खराब है और हम बहुत जल्द हालात ठीक करके इसको पुनः पूर्ण राज्य के अंदर कन्वर्ट करेंगे। हालात को ठीक करने के लिए और धारा-370 हटाने के लिए आम आदमी पार्टी ने आपका पूर्ण समर्थन किया था। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय गृह मंत्री जी कृपया बताएं कि हालात कब ठीक होंगे और जम्मू-कश्मीर को UT से पुनः पूर्ण राज्य में कब कन्वर्ट किया जाएगा? अगर इसको पूर्ण राज्य के अंदर कन्वर्ट जल्दी से होना है, तो आप इन ऑफिसर्स को आज हिन्दुस्तान के कोने-कोने से जम्मू-कश्मीर भेजेंगे और जम्मू-कश्मीर से हिन्दुस्तान के कोने-कोने में आएंगे, तो पुनः राज्य बनने के बाद इनको वापस अपने कैडर के अंदर भेजा जाएगा या इनका कैडर वही रहेगा? मैं आपसे यह निवदेन करना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर हिन्दुस्तान का सिर है, हिन्दुस्तान का ताज है, हिन्दुस्तान का अभिन्न हिस्सा है, हमें इस बात पर गर्व है। यदि जम्मू-कश्मीर काफी लम्बे समय तक आधी शक्ति के साथ रहेगा, तो कहीं न कहीं हमारे दिल के अंदर एक बात आएगी कि जम्मू-कश्मीर के लोगों को अपना पूर्ण अधिकार नहीं मिला।

महोदय, मेरा आपसे इसीलिए यह निवेदन है कि जल्द से जल्द हालात को सामान्य करने की दिशा में सरकार प्रयत्न करे और उसको पूर्ण राज्य में कन्वर्ट करे, जैसा आपने उस समय आश्वासन दिया था। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री शमशेर सिंह मन्हास (जम्मू-कश्मीर) : उपसभापति महोदय, आज सुबह हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में गिनाया कि किस प्रकार हमारा देश प्रगति पर है। उनका भाषण समाप्त होने के बाद जम्मू-कश्मीर री-आर्गेनाइज़ेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2021 यहां पर लाया गया। सर्वप्रथम आदरणीय गुलाम नबी आज़ाद जी, जो मेरे बड़े भाई हैं और जम्मू-कश्मीर से आते हैं, उनका बोलना प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम उन्होंने यह कहा कि यदि जम्मू-कश्मीर में देखा जाए, तो विकास के नाम पर किसी प्रकार की कोई चीज़ वहां पर नहीं हुई है। हम सब यह जानते हैं कि पिछले दो वर्षों के कार्यकाल में पूरे देश में हमारी केन्द्र सरकार ने कितनी योजनाएं प्रारंभ की हैं और उनको प्रारंभ करने के बाद इम्प्लिमेंट करने का प्रयास भी किया जा रहा है। किंतु शायद उन्हें दिखता नहीं, लगता नहीं। उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि बटौत से लेकर बनिहाल तक 30 किलोमीटर का एरिया है, जहां पर सड़कें बंद हो जाती हैं, जाना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने स्पष्ट क्यों नहीं किया कि जब बरसात के मौसम में पहाड़ी क्षेत्र में बर्फ गिरती है और जब बर्फ पिघलती है, तब वहां पर लैंड स्लाइड्स होती हैं। यह आज से नहीं, 1947 से नहीं, यह परंपरागत जब से रहा होगा, तब से हमेशा उस क्षेत्र में उस प्रकार की लैंड स्लाइड्स होती होंगी, रास्ते बंद होते होंगे, गाड़ियां नहीं चल पाती होंगी। इसलिए एक चीज़ को लेकर बोलना और केवल मात्र वह चीज़ बोलना, यह उचित नहीं है।

दूसरी बात मैं यह बोलना चाहूंगा कि आज जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए हमारा काम बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि यहां पर तीन-तीन एम्स दिए गए हैं। जम्मू में अलग से एम्स दिया गया है, कश्मीर में अलग से एम्स दिया गया है और लद्दाख, जो कि दूसरी यू.टी. बन गई है, वहां पर तीसरा एम्स दिया गया है। कई स्थानों पर तो एक भी एम्स नहीं मिलता होगा, जबकि वहां पर तीन-तीन एम्स दिए गए हैं। वहां आईआईटी मिला, वहां पर आईआईएम बन रहा है और वहां पर हर प्रकार का निर्माण हो रहा है। मैं कहता हूं कि जम्मू-कश्मीर के इर्द-गिर्द एक रिंग रोड बन रही है। उस रिंग रोड को बनाने के लिए बहुत व्यवस्था चाहिए। हमारी जो रोड्स हैं, वे आज़ाद साहब के समय, जब वे मुख्य मंत्री थे, तो सिंगल लेन होती थी। आज उनको डबल लेन या फोर लेन किया जा रहा है। वे देख नहीं रहे हैं कि विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन सब चीज़ों के लिए जितने भी वक्ता यहां पर बोल रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे एक बार जम्मू में आकर देखने का प्रयास करें कि आज जम्मू कितना आगे बढ़ चुका है। एमएसएमई के माध्यम से, उन्होंने गिनाया कि हमारे 12 हज़ार से ज्यादा उद्योग थे। आज उन उद्योगों को देखा जाए, तो सबसे ज्यादा क्षेत्र जो handicrafts के माध्यम से चाहे कालीन बनता होगा, चाहे अखरोट की लकड़ी का काम होता होगा, चाहे दूसरे कार्य होते होंगे, वे सारे छोटे-छोटे लघु उद्योग जिस प्रकार से पनप रहे हैं, उनके बारे में मैं केन्द्र सरकार से और हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि इन लघु उद्योगों को बढ़ाने के लिए और प्रयास करें।

#### 1.00 **P.M**.

ताकि हमारा जम्मू-कश्मीर और पनप सके और वहां रोजगार के और साधन मिल सकें। उनको रोजगार के साधन मिलेंगे, तो हमारा प्रदेश तरक्की कर सकता है। इसलिए कहा गया है कि वहां पर इतने सारे काम करने के उपरांत जिस प्रकार का सरकारी तंत्र है, जिस प्रकार के हमारे आईएएस ऑफिसर्स हैं, जिस प्रकार के आईपीएस ऑफिसर्स हैं, वे बहुत कम मात्रा में हैं। अगर ज्यादा काम करने होंगे, तो ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए इन ऑफिसर्स को जैसे मिज़ोरम, उत्तराखंड और बाकी क्षेत्रों यानी यूटी के साथ मिलाकर, वहां से और ऑफिसर्स वहां पर लाएं जाएं, तो हमारा काम और तीव्र गति से बढ सकता है। अगर हमारे पास छोटा सा समय रहेगा, ऑफिसर्स कम रहेंगे, तो यह काम कम अवधि में नहीं हो सकता। जैसे हम जानते हैं कि पुंछ की ओर रेल का निर्माण करवाना, आज रेल का निर्माण करवाने के लिए वहां पर जिस प्रकार के लोग चाहिए, जिस प्रकार के कार्यकर्ता चाहिए, जिस प्रकार के ऑफिसर्स चाहिए, वे नहीं हैं। इसी प्रकार वहां पर फोर लेन बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए, वे नहीं हैं। जिस प्रकार डैम्स और जैसे कि पावर सेक्टर के संबंध में बोला गया था और यहां पर माननीय सदस्य बोल रहे थे, में उनसे आग्रहपूर्वक निवेदन करूंगा कि जब आप मुख्य मंत्री थे, उस समय हमारे पास कितनी पावर थी और आज हमारे पास कितने प्रोजेक्ट्स और लगे हैं जिससे कि अब जम्मू-कश्मीर में पावर तीन गुना बढ़ चुकी है। यह सारा कार्य कैसे होगा और इन कार्यों को बढ़ाने के लिए वहां पर ऑफिसर्स चाहिए। अगर हमारे पास मैक्सिमम ऑफिसर्स होंगे, तो हम सारे कार्य कर सकते हैं। अन्यथा उनको कौन करेगा, कौन संभालेगा, कौन देख-रेख करेगा, कौन लुक आफ्टर करेगा? इन सब चीज़ों को लुक आफ्टर करने के लिए ऑफिसर्स की जरूरत होती है। इसलिए चार-पांच यूटीज़ को मिलाकर, उन ऑफिसर्स को वहां पर तैनात किया जाए, ताकि हमारा काम और आगे बढ सके। एक हमारे बंधु बोल रहे थे, मैं उनका समर्थन करता हूं कि जम्मू में केएएस और केपीएस के जो लोग हैं, पहलें उनकी 50 परसेंट प्रोमोशन्स होती थीं, आज वहां पर उनको 33 प्रतिशत पर रखा गया है। मैं कहना चाहता हूं कि यह 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 परसेंट ही रखा जाए, ताकि उन लोगों को बढ़ावा मिले। हमें काम करने का मौका और भी मिल सकता है। मेरे बंधुओ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि धारा-370 समाप्त होने से पहले पंचायत के चुनाव पिछले 70 वर्षों में जम्मू-कश्मीर में कितनी बार हुए? हर प्रदेश में पांच साल के बाद पंचायत के चुनाव होते होंगे। जम्मू-कश्मीर में केवल चार बार चुनाव हुए हैं। बीच में उसका कार्यकाल होता ही नहीं था और पंचायती राज सिस्टम था ही नहीं। वहां पर बीडीसी कोई बनता ही नहीं था, यानी उसका प्रावधान ही नहीं था। हम कई बार कहते थे कि 73<sup>rd</sup> और 74<sup>th</sup> Amendment को लाया जाए। इसको लाने के बाद हमारा काम तेज़ गति से बढ़ सकता है। जैसे हमारे गौतम जी बोल रहे थे कि ये डीडीसी के चुनाव में गए हुए थे। वहां पर पहली बार, यानी आज डीडीसी का चुनाव हुआ है।

# [उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) पीठासीन हुए]

सारा काम अपने लोगों द्वारा हो, जो वे स्वयं कर सकें। अगर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड बनता है, वह अपनी तैयारी करे, अपने जिले का निर्माण करने के लिए क्या-क्या चीज़ें चाहिए कौन-कौन सी चीज़ें चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जैसे कौन-सी सडक बननी चाहिए, कहां पर पानी का कुआं चाहिए, कहां पर हैंड पम्प चाहिए। आप छोटा डेवलपमेंट बोर्ड बनाने का प्रयास करें और हमारे जो डीडीसी के मेम्बर्स होते हैं, वे इसके बारे में बताएंगे। पहले क्या होता था, वहां का जो मंत्री होता था, वह डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन हुआ करता था। उसको क्या पता, वह कहां से आया हुआ है। वह मंत्री जो एक कोने से आया है, उसे दूसरे कोने के बारे में नॉलेज नहीं है। वहां पर क्या जरूरत है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड में क्या-क्या चीज़ें आनी चाहिए, उन्होंने ऑलरेडी खाका तैयार करके रखा होता था। अगर उस खाके को पहले ही तैयार कर लिया और किसी से पूछा नहीं, तो वह डिक्टेटरशिप हो जाती थी। इसलिए उस डिक्टेटरशिप को छोड़कर, सबकी सहानुभूति लेकर, इसको आगे बढ़ाने का हम प्रयास करें। इस सिस्टम को implement किसने किया - इसको भारतीय जनता पार्टी और आज की केन्द्र सरकार द्वारा किया गया है। केन्द्र सरकार ने धारा-370 को समाप्त करने के बाद इस सिस्टम को चलाने का प्रयास किया है। हम कई बार कह चूके हैं। कई चीज़ें होती हैं, जिनके बारे में मैं अवश्य बोलना चाहूंगा। अगर कहीं पर सबसे ज्यादा निर्माण कार्य हो रहा है, तो वह लेह में हो रहा है। आप देख रहे हैं कि वहां पर कितना पैसा जा रहा है। पहले जितना पैसा जाता था - मैं एक बात यहां पर अवश्य रखना चाहूंगा और उसको मैंने पहले भी रखा है - आज तक जम्मू-कश्मीर की आय बिल्कूल नहीं थी, वे केवल केन्द्र पर आश्रित होते थे। केन्द्र हमें क्या देगा, कितना देगा, उस पर हम आश्रित रहते थे। जो केन्द्र से धनराशि मिलती थी, उसमें से बहुत कम प्रतिशत धनराशि लद्दाख को मिलती थी, बहुत कम प्रतिशत धनराशि जम्मू को मिलती थी और सबसे ज्यादा धनराशि कश्मीर वैली को मिलती थी। उसके बावजूद भी आज जम्मू-कश्मीर में जिस प्रकार की प्रगति होनी चाहिए थी, जिस प्रकार की बात वहां पर पनपनी चाहिए थी, जिस प्रकार की इंडस्ट्री वहां पर होनी चाहिए थी, MSME सेक्टर आगे बढना चाहिए था, वह क्यों नहीं आगे बढ पाया, क्योंकि वहां पर सर्दियों में छह महीने बर्फ पडती है, लोग अपने घरों में रहते हैं, लोग अपने घरों में चुल्हा जलाते हैं और चुल्हा जलाने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं होता है। वे अपने घरों में बैठकर कालीन बना सकते थे, शॉल बना सकते थे। आप जानते ही होंगे कि पश्मीने का शॉल एक लाख रुपए, दो लाख रुपए तक में बिकता है। पश्मीना के शॉल को बनाने में एक-एक साल का समय लगता है। वे इस प्रकार का निर्माण वहां पर करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने निर्माण करवाने का प्रयास नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसका कारण मैं जानना नहीं चाहता। यहां पर आज़ाद साहब, बड़ा सीना ठोककर कह रहे थे कि हमें वहां पर यह-यह करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि जितने भी ऑफिसर्स जम्मू-कश्मीर में हैं, उनका बाकी के स्टेट्स के साथ विलय किया जाए। दूसरी स्टेट्स के ऑफिसर जम्मू-कश्मीर में भेजे जाएं, जिससे कि वहां का निर्माण कार्य तेज़ गति से आगे बढ़ सके। हमें जिस गति से भी चलना पड़ेगा, हम उस गति से आगे चलकर जम्मू-कश्मीर का नया निर्माण करवा सकते हैं।

आज टूरिज्म सेक्टर आगे बढ़ रहा है। जिस प्रकार से लोग जम्मू-कश्मीर को देखने के लिए जा रहे हैं, उससे यह सेक्टर आगे बढ़ रहा है। लोग शांतिपूर्वक ढंग से कश्मीर में जा रहे हैं। उनको किसी प्रकार की बाधा नहीं है, किसी प्रकार का हर्डल नहीं है। आज से तीन साल पहले क्या लोग वहां जा सकते थे? हम वहां जाने से डरते थे। हम सोचते थे कि वहां जाएंगे, तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हो सकता है कि कोई गोली हमारे सीने में लग जाए। इस प्रकार का भी डर लोगों के मन में बैठा हुआ था। इस बार गुलमर्ग, पहलगाम, श्रीनगर में लाखों की संख्या में पर्यटक गए होंगे। अगर पूरे-पूरे होटल्स देखे जाएं, तो सारे के सारे होटल्स पैक हो रखे थे, वहां पर रहने के लिए व्यवस्था नहीं हो पाई थी, क्योंकि वहां पर इतने ज्यादा लोग गए हुए थे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आज वहां पर शांति बन रही है।

सीमा क्षेत्र में हमने बॉर्डर पर रोड्स का निर्माण किया है जिसके कारण आर्मी आराम से बॉर्डर तक जा सकती है, उनके लिए ammunition पहुंच सकता है। वहां पर पाकिस्तान तो दिन-प्रतिदिन षड्यंत्र करता ही रहता है, लेकिन उसको रोकने के लिए जरूरी है कि वहां की रोड्स अच्छे हों, जिन पर गाड़ियां सरपट दौड़ सकें, तुरंत वहां पर पहुंच सकें और लोगों का इलाज हो सके। हम लोगों को हैलिकॉप्टर के द्वारा इलाज करवाने के लिए लाते हैं। वहां पर पहाड़ी क्षेत्र है और इसमें एक अलग प्रकार से निर्माण हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरकार आईएएस ऑफिसर्स, आईएफएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स को मैक्सिमम संख्या में जम्मू-कश्मीर भेजने का प्रयास करे। अगर ये ऑफिसर्स वहां पर आ गए तो हमारे यहां की गति तेज़ हो सकती है और हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर प्रधान मंत्री जी द्वारा...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर): शमशेर सिंह जी, अब आप समाप्त करिए। आपके बोलने का समय समाप्त हो गया है।

श्री शमशेर सिंह मन्हास : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में समाप्त करता हूं। प्रधान मंत्री जी द्वारा जिस प्रकार से जम्मू-कश्मीर का काम अपने हाथ में लिया है, हमारे लिए केन्द्र सरकार का खजाना खोला हुआ है और वे इस खजाने से हमारे जम्मू-कश्मीर का नया निर्माण करना चाहते हैं, जम्मू-कश्मीर के लोगों को बढ़ावा देना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय। उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) : मीर मोहम्मद फ़ैयाज, आप नहीं थे, लेकिन आप जम्मू-कश्मीर से हैं, इसलिए आपको दो मिनट का समय दे सकते हैं।

## एक माननीय सदस्य : सर, जम्मू एंड कश्मीर।

### उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) : जम्मू-कश्मीर..(व्यवधान)..जम्मू एंड कश्मीर।

मीर मोहम्मद फ़ैयाज (जम्मू-कश्मीर) : धन्यवाद उपसभाध्यक्ष जी, 5 अगस्त, 2019 को जब इसी हाउस में धारा-370 हटाई गई थी, तब उस वक्त और भी कुछ चीज़ें हुई थीं। इसमें हमारे स्टेट को दो हिस्सों में बांटकर दो Union Territories बनाई गई थीं। उस वक्त इसके साथ-साथ हमें यह भी कहा गया था कि जैसे ही वहाँ पर हालात सामान्य होंगे, हम इसे स्टेट का दर्जा वापस करेंगे। कुछ ही दिनों पहले 5 अगस्त को, हमारे स्टेट का जो 4G बंद किया गया था, वह छोड दिया गया। वहाँ पर हमारे स्टेट के लोगों को यही उम्मीद थी कि शायद इस सेशन में हमें स्टेट का दर्जा भी वापस दिया जाएगा, लेकिन आज यह बिल देखकर ऐसा नहीं लग रहा है। यहाँ पर अभी हमारे शमशेर सिंह मन्हास साहब ने कहा, हमारे प्रधान मंत्री जी ने भी कहा है कि जम्मू-कश्मीर में पंचायत के इलेक्शन हए, DDC के इलेक्शन हए, BDC के इलेक्शन हए। वहाँ पर हालात बिलकुल ठीक हैं, ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ है। अगर हालात ठीक हैं, सब कुछ सामान्य है, तो मुझे लगता है कि आज इस बिल की बजाय काश ऐसा होता कि एक तो हमारे स्टेट का दर्जा वापस दिया जाता, दूसरा, जैसा कि हमारे आज़ाद साहब ने कहा है कि 70 सालों के बाद भी वहाँ पर, हमारे कश्मीर में ट्रेन नहीं पहुंची है, इसके साथ-साथ उसके बारे में भी कुछ होता। आज भी जब हमारा सामान यहाँ से जाता है, चाहे वह फ्रेश फूट हो या बाकी चीज़ें हों, वे दस-दस दिन तक जम्मू-श्रीनगर रोड बंद होने की वजह से खराब हो जाती हैं और फिर वह सड़ा हुआ माल वहाँ कश्मीर में पहुंच जाता है। आज भी बिजली तीन या चार घंटे मिलती है। काश ऐसा होता कि जो हमें 5 अगस्त को कहा गया

था कि हम नया जम्मू-कश्मीर बनाएंगे, वैसा होता, लेकिन आज वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ पर employment नहीं है। बजाय इसके आप यह कहते कि हम वहाँ पर 2022 तक ट्रेन पहुंचाएंगे, 2022 तक वहाँ का फोर-लेन बनाएंगे, वहाँ पर जो बेरोज़गारी है, उसको खत्म करेंगे, तब हम समझते कि नया कश्मीर.. (व्यवधान)..

<sup>T</sup> **جناب میر محمد فیاض** (**جموں وکشمیر**): دہنیواد اُپ سبھا ادھیکش جی، 5 اگست 2019، کو جب اسی ہاؤس میں دھارا 370 ہٹائی گئی تھی، تب اس وقت اور بھی کچھ چیزیں ہوئی تھیں۔ اس میں ہماری اسٹیٹ کو دو حصوں میں بانٹ کر دو Strip Union Territories بائٹ گئی تھی، تب اس وقت اور بھی کچھ چیزیں ہوئی تھیں۔ اس میں ہماری اسٹیٹ کو دو حصوں میں وہاں پر حالات نور مل ہونگے، ہم اسے اسٹیٹ کا درجہ واپس کریں گے۔ کچھ ہی دنوں پہلے پانچ اگست کو، ہمارے وہاں پر حالات نور مل ہونگے، ہم اسے اسٹیٹ کا درجہ واپس کریں گے۔ کچھ ہی دنوں پہلے پانچ اگست کو، ہمارے وہاں پر حالات نور مل ہونگے، ہم اسے اسٹیٹ کا درجہ واپس کریں گے۔ کچھ ہی دنوں پہلے پانچ اگست کو، ہمارے اسٹیٹ کا جو 40 بند کیا گیا تھا، وہ چھوڑ دیا گیا۔ وہاں پر ہمارے اسٹیٹ کے لوگوں کو یہی امید تھی کہ شاید اس سیشن میں ہمیں اسٹیٹ کا درجہ بھی واپس دیا جائے گا، لیکن آج یہ بل دیکھ کر ایسا نہیں لگ رہا ہے۔ یہاں پر ابھی ہمارے شمٹیر سنگھ منہاس صاحب نے کہا، ہمارے پر دھان منتری جی نے بھی کہا ہے کہ جموں وکشمیر میں پر ایچی پر ایچی ایکٹ کی دیا ہوں وکشمیر سی سیٹی کا حرجہ ہوں وکشمیر میں سیٹیٹ کے لوگوں کو یہی اس دو وکشمیر میں سیٹی کی اسٹی کی اور ہوں کہ کہ شاید اس سیشن میں ہمیں اسٹیٹ کا درجہ بھی واپس دیا جائے گا، لیکن آج یہ بل دیکھ کر ایسا نہیں لگ رہا ہے۔ یہاں پر ابھی ہمارے شمشیر سنگھ منہاس صاحب نے کہا، ہمارے پر دھان منتری جی نے بھی کہا ہے کہ جموں وکشمیر میں پر ای ایکٹی میں اسٹیٹ کی اوگے، DDC کے الیکشن ہوئے، وہاں کی درخان منتری جی نے بھی کہا ہے کہ جموں وکشمیر میں کہ کی دوای میٹرے دو اولات بلکل ٹھیک ہیں، ایسا کی دو ایے دوباں پر والات بلکل ٹھیک ہیں، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے۔ اگر حالات ٹھیک ہیں، سب کچھ نار مل ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ آج اس بل کی بجائے کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے۔ اگر حالات ٹھیک ہیں، سب کچھ نار مل ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ آج اس بل کی بجائے کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے۔ اگر حالات ٹھیک ہیں، سب کچھ نار مل ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ آج اس بل کی بجائے

Transliteration in Urdu script.

کاش ایسا ہوتا کہ ایک تو ہمارے اسٹیٹ کادرجہ واپس دیا جاتا، دوسرا، جیسا کہ ہمارے آزاد صاحب نے کہاں ہے ک ستر سالوں کے بعد بھی وہاں پر ، ہمارے کشمیر میں ٹرین نہیں پہنچی ہے ، اس کے بارے میں کچھ ہوتا۔ آج بھی جب ہمارا سامان یہاں سے جاتا ہے ، چاہے وہ فریش فروٹ ہو یا باقی چیزیں ہوں، وہ دس دس دن تک جموں۔ سری نگر روڈ بند ہونے کی وجہ سے خراب ہوجاتا ہے او رپھر وہ سڑا ہوا مال وہاں کشمیر میں پہنچ جاتا ہے۔ آج بھی بجلی تین یا چار گھنٹے ملتی ہے۔ کاش ایسا ہوتا کہ جو ہمیں پانچ اگست کو کہا گیا تھا کہ ہم نیا جموں وکشمیر بنائیں گے، ویسا ہوتا، لیکن آج وہاں پر ڈیولمپمنٹ نہیں ہے، وہاں پر ایمپلائمنٹ نہیں ہے۔ بجائے اس کے آپ یہ کہتے کہ ہم وہاں پر 2022 تک ٹرین پہنچائیں گے، 2022 تک وہاں کا فور لین بنائیں گے، وہاں پر جو بے روزگاری ہے ، اس کو

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें। आपका समय खत्म हो गया है।

मीर मोहम्मद फ़्रैयाजः एक-दो मिनट दे दीजिए। हमारे जम्मू-कश्मीर का कभी-कभी आता है। आज हमारा लास्ट ही है, एक दिन रह गया है।

**جناب میرمحمد فیّاض** : ایک دو منٹ دے دیجئے۔ ہمارے جموں-کشمیر کا کبھی کبھی آتا ہے۔ آج ہمارا لاسٹ ہی ہے، ایک دن رہ گیا ہے۔ ہے، ایک دن رہ گیا ہے۔ उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) : ठीक है, एक मिनट में समाप्त कीजिए।

मीर मोहम्मद फ़्रैयाज: मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसे आज़ाद साहब ने यहाँ पर कहा, चाहे वह रहबरी खेल है, चाहे रहबरी टीचर है, उन्हें NIS training करने के लिए पटियाला भेजा था। उनको लगाया भी गया था, लेकिन फिर उन्हें निकाला गया। इसी तरह हमारे होम गार्ड वाले पिछले दस दिन से जम्मू में एहतजाज कर रहे हैं। इसी तरह हमारे SPOs हैं, हमारे 61,000 daily wagers हैं। जब यहाँ धारा-370 को हटाया गया था, तब उनको शायद यह उम्मीद थी कि नये कश्मीर में हमारा मसला भी हल हो जाएगा, लेकिन वह आज तक नहीं हो सका। बजाय इसके कि हमें कुछ नया मिलता..(व्यवधान)..

<sup>†</sup>جناب میرمحمد فیّاض : میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے آزاد صاحب نے یہاں پر کہا، چاہے وہ رہبر کھیل ہے، چاہے رہبر ٹیچر ہے، انہیں این آئی ایس ٹریننگ کرنے کے لئے پٹیالہ بھیجا تھا۔ ان کو لگایا بھی گیا تھا، لیکن پھر انہیں نکالا گیا۔ اسی طرح ہمارے ہوم گارڈ والے پجھلے دس دن سے جموں میں احتجاج کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے ایس پی اوز - ہیں، ہمارے اکسٹھہ ہزار ڈیلی ویجرس ہیں۔ جب یہاں دھارا 370 کو ہٹایا گیا تھا، تب ان کو شاید یہ امید تھی کہ نئے کشمیر میں ہمارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، لیکن وہ آج تک نہیں سکا۔ بجائے اس کے کہ ہمیں کچھہ نیا ملتا ۔۔۔(مداخلت)۔۔۔

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर): माननीय सदस्य, कृपया आप अब समाप्त करें।

मीर मोहम्मद फ़ैयाजः एक मिनट दे दीजिए। ...(व्यवधान)..

<sup>†</sup> جناب میرمحمد فیّاض : ایک منٹ دے دیجئے ...(مداخلت)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) :नहीं, अब आप समाप्त करें।..(व्यवधान)..

Transliteration in Urdu script.

मीर मोहम्मद फ़्रैयाज : अभी डीडीसी के चुनाव हुए हैं। उसकी दो सीटों पर काउंटिंग रोकी हुई है। हम यहां कहते हैं कि PoK is part of India. वहाँ की दो ladies आई थीं, उन्होंने इलेक्शन लड़ा था।..(व्यवधान)..

**Feil** میرمحمد فیاض : ابھی ڈی ڈی سی۔ کے چناؤ ہوئے ہیں۔ اس کی دو سیٹوں پر کائنٹنگ روکی ہوئی ہے۔ ہم یہاں کہتے ہیں کہ PoK is part of India. وہاں کی دو لیڈیز آئی تھیں، انہوں نے الیکشن لڑا تھا ۔۔۔۔(مداخلت)۔۔۔۔

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) : अब आप समाप्त करें ।..(व्यवधान)..

मीर मोहम्मद फ़ैयाज: मैं बस एक मिनट लूंगा I..(व्यवधान)..हमारा यहाँ पर एक दिन है। جناب میر محمد فیّاض : میں بس ایک منٹ لوں گا ۔۔۔(مداخلت)۔۔۔ ہمارا یہاں پر ایک دن ہے۔

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) : आप already दो मिनट बोल चुके हैं।

मीर मोहम्मद फ़्रैयाज: उसकी काउंटिंग रुकी हुई है। इसी तरह आज कश्मीर में जो हालात बने हुए हैं, वे ठीक नही हैं। हमें यह लग रहा था कि शायद इस सेशन में जो हमसे छीना गया..(व्यवधान).. <sup>†</sup>جناب میرمحمد فیّاض : اس کی کائنٹنگ رکی ہوئی ہے۔ اسی طرح آج کشمیر میں جو حالات بنے ہوئے ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہیں، ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ شاید یہ سیشن میں جو ہم سے چھینا گیا ۔۔۔۔(مداخلت)۔۔۔۔

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) : मोहम्मद मीर फ़ैयाज, प्लीज़ अब आप समाप्त करें I..(व्यवधान)..मैं नेक्स्ट स्पीकर को बुलाऊंगा।

मीर मोहम्मद फ़्रैयाजः वह हमें वापस मिलता, बजाय इसके, हमारा जो था, वह ही छीना जा रहा है।

<sup>†</sup>**جناب میرمحمد فیّاض** : وہ ہمیں واپس ملتا، بجائے اس کے، ہمارا جو تھا، وہ ہی چھینا جا رہا ہے۔

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर): समाप्त कीजिए।

मीर मोहम्मद फ़्रैयाज : ठीक है सर, मैं समाप्त करता हूं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। جناب میرمحمد فیّاض : ٹھیک ہے سر، میں ختم کرتا ہوں۔ آپ کا بہت بہت دھنیواد۔

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): Next speaker is Dr. Amar Patnaik. You have three minutes. ... (Interruptions)...

139

Transliteration in Urdu Script.

SHRI DIGVIJAYA SINGH: His term is ending. He was the only person to speak...... (Interruptions)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) : उनका समय पूरा हो गया, उनको टाइम ही इतना दिया गया था। उनको 3 मिनट दिए गए थे, वे 5 मिनट बोले हैं। उनको जितना समय दिया गया था, मैंने उनको उससे अधिक समय दिया है। अमर जी, बोलिए।

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, this Bill, which seeks to replace the Ordinance as we know, basically, tries to solve the issue of All India Service officers in the two Union Territories created. This is not the first time that such a bifurcation has taken place. We have seen this earlier when States have been divided into smaller States. The AGMUT cadre, which is a combined cadre, basically, looks after the Union Territories of Delhi, Arunachal Pradesh, Mizoram and Goa. The arrangement, which has been made for this cadre, is necessary in order to meet the temporary shortages of these officers at different places and in which case, the whole pool of people who would be available, can actually meet the contingencies arising in a different place from time to time. The move by this Bill to include the two Union Territories, newly created Union Territories, by virtue of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019, seeks to establish this particular cadre in these two Union Territories and merge them into the AGMUT cadre so that the management of personnel to meet the exigencies arising from time to time in these territories can be met much quickly and in a better manner. The pool of people, who would be available to man positions in these two areas in an objective manner, would also increase because of these Amendments.

The Section 88, of the principal Act, which has been amended, says that the members of the Indian Administrative Service, Indian Police Service and the Forest Service for the existing cadre of Jammu and Kashmir shall be borne and become part of Arunachal Pradesh, Goa, Mizoram and Union Territories Cadre and all future allocations to these cadres shall also take place similarly. The objectivity that comes into this arrangement because of the reorganisation is immense in the sense that people who are now going to opt for these two Union Territories would also be from a larger pool of people who would be selected in the Civil Services examination.

Lastly, Sir, the objective that has been set out in the Statement says that for the purpose of bringing clarity to Section 13, it is proposed to amend the said Section so as to include therein any other Article containing reference to elected members of the Legislative Assembly of the Union Territories of Jammu and Kashmir. So, here, the reference was to Puducherry and, I think, this is just an amendment which is necessary for bringing completeness to the Act. Therefore, I support this particular Bill. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): Now, the mover of the Resolution, Shri Elamaram Kareem. He is not present. Now, Mantriji.

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी**) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी संसद सदस्यों, आदरणीय Leader of Opposition, माननीय गुलाम नबी आज़ाद साहब, दुष्यंत गौतम जी, ए. नवनीतकृष्णन जी, प्रो. मनोज कुमार झा जी, अशोक सिद्धार्थ जी, सुशील कुमार गुप्ता जी, शमशेर सिंह मन्हास जी, मीर मोहम्मद फ़ैयाज जी, डा. अमर पटनायक जी को धन्यवाद देता हूँ। माननीय सदस्यों ने अपने वक्तव्य में जो भी कहा, उसमें उनके मन में सबसे ज्यादा विकास की बात थी कि दो Union Territories बनने के बाद जम्मू-कश्मीर में जो विकास होना था, वह नहीं हुआ। ऐसा कुछ लोगों ने बताया था। आदरणीय गुलाम नबी आज़ाद साहब ने भी वहां की roads के बारे में, water supply के बारे में, power के बारे में, employment के बारे में, health के बारे में ध्यान दिलाया था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 70 साल में जम्मू-कश्मीर में जितना विकास हुआ है, Union Territory बनने के बाद के टाइम से, अगर उसको कम्पेयर किया जाए, तो जम्मू-कश्मीर में आज बहुत ज्यादा speedy development हो रहा है। Central Government और जम्मू-कश्मीर Union Territory की सरकार, दोनों मिल-जुल कर जम्मू-कश्मीर को विकास के रास्ते पर ले जाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में वहां और भी बहुत सारे काम होने वाले हैं।

कोरोना के कारण वहां के लिए अभी तक का जो टारगेट हमने बनाया था, वह हासिल नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी जम्मू-कश्मीर में हुए विकास के बारे में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। भारत सरकार ने वहां जो-जो कदम उठाए, उनकी तरफ मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जम्मू-कश्मीर की जनता का ध्यान भी इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि भारत सरकार ने UT बनने के बाद वहां क्या-क्या डेवलपमेंट किया है। आदरणीय गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कल माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलते हुए, वहां के local body elections और पंचायती राज चुनावों का सम्मान किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर के विकास के विषय पर भारत सरकार और जम्मू-कश्मीर Union Territory की सरकार ने revolutionary and historical decisions लिए हैं। सबसे पहले, जैसा आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने अभी-अभी बताया, वहां District Development Council का चुनाव successfully complete हुआ है। उससे पहले, नवम्बर-दिसम्बर, 2018 में वहां पंचायती राज के चुनाव हुए थे, जिनमें लगभग 74% वोटर्स की भागीदारी रही। आज़ादी के बाद पहली बार जम्मू-कश्मीर में, UT बनने के बाद Block Development Council के चुनाव करवाए गए, जिनमें 98% वोटर्स की भागीदारी रही। उपसभाध्यक्ष महोदय, जम्मू-कश्मीर में केवल इलेक्शंस ही नहीं करवाए गए, पहली बार वहां local bodies को, Panchayati Raj system को strengthen करने के लिए नरेन्द्र मोदी सरकार, वहां की स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रही है। Nearly 1,500 crores of rupees have been devolved to the Panchayats. ऐसा पहली बार हुआ है। Mid-Day Meal Scheme की जिम्मेदारी अब पंचायतों को दी गई है। गांव के जिन स्कूलों में Mid-Day Meal Scheme है, वहां ग्राम पंचायतों के सरपंच ही उसकी जिम्मेदारी निभाते हैं। इसके साथ-साथ आंगनवाड़ी और ICDS Development Programmes की जिम्मेदारी भी उनको ही दी गई है। 'मनरेगा' के काम की जिम्मेदारी भी ग्राम पंचायतों को दी गई है। पिछले एक साल में भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर में ग्राम पंचायतों के द्वारा, 'मनरेगा' के माध्यम से वहां के गांवों के विकास के लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपया दिया है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि वहां की हर पंचायत में grievance box स्थापित किए गए हैं। देश में कहीं भी ऐसे grievance box नहीं हैं, लेकिन पहली बार जम्मू-कश्मीर में ही grievance box लगाए गए हैं। उसके साथ-साथ अधिकारियों को भी जिम्मेदारी दी है कि हर गज़ेटेड ऑफिसर को 'बैक टू विलेजेज़' के नाम पर दो दिन टूर पर जाना चाहिए, एक दिन नाइट हाल्ट करना चाहिए। यह कार्यक्रम जम्मू-कश्मीर में लगातार चल रहा है, हर गज़ेटेड ऑफिसर ने 'बैक टू विलेजेज़' के नाम पर गांव नांव को लिए काम किया है, उन्हें हर गांव में जाना चाहिए। 'जन अभियान कार्यक्रम' में भागीदारी होनी चाहिए, जनता से मिलना चाहिए। हर गांव में गज़ेटेड ऑफिसर को जाकर उनके ग्रीवांसेज जानने चाहिए, डेवलपमेन्टल एक्टिविटी रिव्यू करनी चाहिए। भारत सरकार के द्वारा यह जिम्मेदारी जम्मू-कश्मीर यू.टी. में आज इम्प्लिमेन्ट हो रही है।

इसके साथ-साथ अर्बन एरियाज़ में भी 'माई टाउन, माई प्राइड' के नाम पर म्यूनिसिपैलिटीज़ में अधिकारियों को बस्तियों में जाने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ-साथ जो प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेन्ट पैकेज की आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने घोषणा की है, उस कार्यक्रम के तहत तेजी से काम चल रहा है और 54 परसेन्ट काम पूरा हो गया है। Twenty projects, including seven Central Government and 13 UT प्रोजेक्ट्स को एक्ज़ीक्यूट किया गया है और ये कम्प्लीट होने के लिए तैयार हैं। Eight more projects are likely to be completed by the end of the financial year. All major projects are on track and the bottlenecks have been removed. Kashmir is to be connected with train by December, 2022. आज़ादी के बाद कश्मीर में ट्रेन नहीं गई। अभी 2022 में ट्रेन आएगी, चिनाब ब्रिज with a height of 359 metres will be the highest railway bridge in the entire world. वह जम्मू-कश्मीर में बिगेस्ट रेलवे ब्रिज 359 मीटर्स की हाइट का बन रहा है, वह अगले साल पूरा होगा।

उसके साथ-साथ elevated light rail system is being planned in Srinagar and Jammu cities to provide world class public transport system to be completed in four years. यह केन्द्र सरकार की रेलवे मिनिस्ट्री का प्लान है। इसके अलावा पावर के बारे में भी बात कही गई। पावर सैक्टर में भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर में बहुत कुछ काम शुरू किये हैं। जम्मू-कश्मीर में additional capacity of nearly 3,498 megawatts by 2025 तक प्रोडक्शन करने के लिए एक्शन प्लान भी बना चुके हैं। In the last two years alone, projects worth above 300 megawatt capacity were revived and put on track. Along with that, 333 megawatt capacity new project is to be kick-started. Historic MoU has been signed by NHPC on 3<sup>rd</sup> January, 2021 for four projects in Kirthai, Sawalkot, etc., and Rs.34,882 crores का 3 हज़ार मेगावॉट प्रोजेक्ट भी प्रारम्भ करने वाले हैं। इसके साथ-साथ under 'Power for All', Jammu and Kashmir achieved hundred per cent household electrification. यह हिली एरियाज़ में रिकॉर्ड है। श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने जो भी कमी थी, हर घर को पावर कनेक्शन देने का काम शुरू किया है। 100 प्रतिशत अचीवमेन्ट हो गया है और उसके बाद 'सौभाग्य योजना' के द्वारा 3,57,405 बेनिफिशियरीज़ को कवर किया है और जो बॉर्डर एरियाज़ में विलेजेज़ हैं, उन एरियाज़ में भी गांवों को इलेक्ट्रिसिटी दी है।

वॉटर अवेलेबिलिटी, 'वॉटर फॉर ऑल', 'जलशक्ति' के द्वारा 100 per cent coverage, piped water supply to all 18.16 lakh rural households in September, 2022 को करने वाले हैं। हमने टारगेट बनाया है कि आने वाले साल में अक्टूबर, 2022 तक 18 लाख घरों में पानी के कनेक्शंस देने का लक्ष्य रखा है। विलेज रोड कनेक्टिविटी, 'प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना' के द्वारा Jammu and Kashmir will build 5,300 kilometres of road in 2021; 4,600 kilometres in Jammu region and 700 kilometres in Kashmir valley. उपसभाध्यक्ष जी, प्रधान मंत्री डेवलपमेंट पैकेज के द्वारा Jammu & Kashmir is leading at national level in terms of the road length achieved, over 3,500 kilometers length covered under the black- topping so far, Rs.1400 crores has been spent so far for the black topping. सर, जितनी भी रोड्स थीं, वे different reasons की वजह से खराब हो गई थीं। जम्मू-कश्मीर में UT बनने के बाद उनमें 1,400 करोड़ रुपये खर्च करके emergency level पर black-topping की गयी है।

# (उपसभापति महोदय पीठासीन हुए)

उसके साथ-साथ health sector में भी काम हुए हैं। माननीय गुलाम नबी आज़ाद साहब हेल्थ के बारे में बोल रहे थे। Jammu & Kashmir has received the entire amount of Rs.881 crores of allocation under Pradhan Mantri's Development Programme against which Rs.754 crores have been spent so far. 140 ongoing new health projects have been undertaken under the Pradhan Mantri's Development Programme. Establishment of 2 AIIMS, Super speciality Hospitals and Medical College प्रारम्भ किया गया है।

## (सभापति महोदय पीठासीन हुए)

One each is in Vijaypur, Samba district और साथ-साथ अवन्तिपोरा, पुलवामा में AIIMS colleges को प्रारम्भ किया गया है, and other medical institutions को प्रारम्भ किया गया है। उसमें हम एक-एक एम्स पर 2,000 करोड़ खर्च करने वाले हैं। यह एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। UT बनने के बाद भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर में 7 Medical Colleges को sanction किया है। उसी तरह Nursing Colleges की बात है। 15 B.Sc (Nursing) Colleges को मंजूरी दी गयी है, वे भी प्रारम्भ होने वाले हैं। उसके साथ-साथ UT के द्वारा, 2 cancer institutes प्रारम्भ की गई हैं। एक श्रीनगर में और एक जम्मू में प्रारम्भ होने वाला है। 2 cancer institutions को भी मंजूरी दी गयी है। यह भी एक बहुत बड़ा लाभ होगा, जो जम्मू-कश्मीर की जनता के लिए उपयोगी होगा।

'आयुष्मान भारत' के द्वारा केन्द्र सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। जम्मू-कश्मीर में जो 1,089 wellness centres प्रारम्भ करने का target रखा गया था, उनमें से लगभग 900 wellness centres प्रारम्भ हुए हैं। उसके साथ-साथ 5.97 lakh families are entitled to receive insurance. 'आयुष्मान भारत' के इंश्योरेंस का काम आज तेज़ी से बढ़ रहा है। अभी तक 65 per cent gold cards distribute किये गये हैं। इसके साथ-साथ स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी health insurance का काम हर citizen के लिए हो रहा है। चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो या employee हो, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अलग से टारगेट करके, हर साल 5 lakh per family के insurance की scheme Jammu-Kashmir UT में implement होने वाली है। वैसे ही अलग-अलग जगहों पर केन्द्र सरकार के द्वारा outreach programme चलाया गया है। Central Ministers, Union Ministers, लगभग 30 लोगों ने night halt करते हुए, पहली बार at a time जम्मू-कश्मीर में अलग-अलग जाने के लिए प्रोग्राम बनाया है। मगर कोरोना के कारण अभी 1<sup>st</sup> phase ही हुआ है, दूसरा फेज़ अभी तक नहीं हुआ है। कोरोना के कारण वह रुक गया था। All Ministers, including Cabinet Ministers, Ministers of State, जम्मू-कश्मीर में अलग-अलग जगहों पर night halt करते हुए, लोगों से मिलते हुए, developmental activities का inauguration करते हुए, लोगों की petitions लेते हुए, नरेन्द्र मोदी जी का संदेश, केन्द्र सरकार का development संदेश लेते हुए अलग-अलग जगहों पर गये हैं। इसी प्रकार 'सौभाग्य' के नाम पर 'प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना', 'उजाला योजना', 'स्वच्छ भारत' योजना है। Jammu & Kashmir has now become 100 per cent ODF. इसे नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने जम्मू-कश्मीर में 100 per cent implement किया है। उसी तरह हेल्थ के बारे में अलग-अलग कार्यक्रम हैं। Nearly 8 lakh students have been awarded pre and post-matric scholarship. 250 per cent, ये scholarships 8 लाख स्टूडेंट्स को दी गई हैं। जम्मू-कश्मीर में भारत सरकार के द्वारा यह भी एक बड़ी achievement हुई है। इसके साथ-साथ में यह बताना चाहता हूँ कि approximately 7.7 lakh children within the age group of 0-6 years, वैसे ही pregnant women and adolescent girls are being provided supplementary nutrition on monthly basis. जम्मू-कश्मीर में सभी जगह, specially border villages में इसे implement करने के लिए आदरणीय प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी के आदेश पर यह काम शुरू हो गया है। Sir, regarding the New Industrial Development Scheme, the Government has approved a new Central Sector Scheme for industrial development of Jammu and Kashmir. For the first time, an industrial incentive scheme is taking industrial development to the block level and it will promote far-flung areas of Jammu and Kashmir. Sir, the scheme is approved with a total outlay of Rs. 28,400 crores. केन्द्र सरकार के द्वारा, जम्मू-कश्मीर यूटी के द्वारा इतने रुपए का industrial development package बनाया जाना है। इसके साथ ही it aims to provide employment to over 4 to 5 lakh people. The Government has created a new land bank of approximately 25000 kanals during the year 2021 for setting up the new industrial estate in Jammu and Kashmir. धारा-370 हटने के बाद, 2020 में कोरोना की स्थिति को देखते हुए भारत सरकार के द्वारा नया business revival package दिया गया है। उसमें mega economic stimulus of Rs. 1,350 crores का है, जिसके तहत 5 per cent interest rate पर यह काम शुरू होने वाला है।

सभापति महोदय, Mission Youth - first of its kind, a multi-pronged strategy of the Government of Jammu and Kashmir to provide the youth with job opportunities to realize their potential ... (Interruptions)... जॉब्स के बारे में भी आदरणीय गुलाम नबी आज़ाद साहब ने बताया। मैं आपके माध्यम से आदरणीय सांसद महोदय को बताना चाहता हूँ कि over 10,000 vacancies are identified in Jammu and Kashmir, Services Selection Board has published the recruitment notification for 8,575 posts for class IV vacancies. Another 12,379 posts are identified under recruitment drive; उनमें से 533 gazetted posts and 11,846 non-gazetted posts के रूप में identify की गई हैं और इनके लिए written test भी conduct हुआ है। इस तरह से आने वाले दिनों में इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। 'Back to Village' के नाम पर जो programme है, उसके तहत 19,000 नौजवानों को लोन देने के लिए banks को आदेश दिया गया है। उनमें से अभी तक 15,200 नौजवानों को लोन दिया गया है। सिर्फ जम्मू-कश्मीर के नौजवानों को recruit करते हुए 5 IR battalions की recruitment का प्रोसेस पूरा हो गया है। इसके साथ-साथ, पुलिस के 2 border battalions और 2 women battalions जम्मू-कश्मीर के लड़कों और लड़कियों को देने का निर्णय किया गया है। इसके लिए भी प्रोसेस चल रहा है। इसके लिए board भी constitute किया गया है। Para-military forces में जम्मू-कश्मीर के नौजवानों को मौका देते हुए recruitment करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही developmental activity में Lakhanpur toll abolish किया गया है। इससे बहुत लोगों को फायदा पहुँचा है। जम्मू-कश्मीर में structural reforms in Engineering Department and Departments of Industry, Tourism, Finance and Technical Education का काम भी ज़ोर-शोर से हो रहा है। हम इसको implement कर रहे हैं। The Constitution of India is now fully applicable to Jammu and Kashmir and all Central laws are now applicable there. सर, आर्टिकल 370 हटने की वजह से आज़ादी के बाद यह पहली बार है कि all Central laws, जिन्हें हम इस संसद में पास करते हैं, वे सभी लॉज़ जम्मू-कश्मीर में भी लागू होते हैं। आज discriminated categories, like West Pakistan refugees, Safai Karamcharis, women married outside are given jobs and voting rights. यह पहले नहीं होता था। यह सब आज जम्मू-कश्मीर में successfully implement हो रहा है। इसके साथ-साथ, Reservation Act Rules amended to include left-out but deserving categories such as Paharis, IB Residents and Economically Weaker Sections. Income ceiling for Backward Classes has been increased from Rs.4.5 lakh to Rs.8 lakh. The percentage for Other Backward Classes increase हुआ है। भारत सरकार द्वारा developmental activities के संबंध में भी ऐसा ही किया गया है। मैं आपको law and order के बारे में भी कुछ बताना चाहता हूँ। अभी law and order का इश्यू चल रहा था। इसमें ceasefire violations ज्यादा हुए हैं, क्योंकि जम्मू-कश्मीर विकास के रास्ते पर चल रहा है, जम्मू-कश्मीर की जनता अब 370 नहीं माँग रही है। आज जम्मू-कश्मीर की जनता यही चाहती है कि जम्मू-कश्मीर की जनता का विकास होना चाहिए, नौजवान के पास रोजगार होना चाहिए। पाकिस्तान चाहता है कि यह विकास नहीं होना चाहिए, जम्मू-कश्मीर आगे नहीं बढ़ना चाहिए, इसके लिए वे समय-समय पर घुसपैठ का प्रयास करते हैं और ceasefire violations करते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि last year ceasefire violations के कारण 127 लोग injured हुए थे और 2020 में only 71 लोग injured हुए हैं। मैं infiltration के संबंध में बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2019 में 216 बार infiltration attempt किए गए, मगर अभी 2020 में यह संख्या 99 तक कम हुई है। इसके साथ ही, terrorists का neutralization भी किया गया है। वर्ष 2019 में 157 terrorists को neutralize किया गया था और अभी 2020 में 221 terrorists को neutralize किया गया है। मैं आपको incidents of terrorists violence के संबंध में बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2019 में 594 terrorists violence हुए और अभी 2020 में यह संख्या 244 तक घट गई। Stone-pelting के विषय में भी ऐसा ही है। पहले stone-pelting बहुत ज्यादा होती थी। मैं बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2019 में stone-pelting के 2,009 incidents हुए और साल 2020 में only 327 stone-pelting incidents हुए। इसी तरह, चाहे अलग-अलग developmental activities हों या law and order हो, जम्मू-कश्मीर सही रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि अभी यह एक छोटा बिल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि Jammu & Kashmir Reorganisation Act, 2019 के द्वारा 31 अक्टूबर, 2019 से जम्मू-कश्मीर को UT with legislature और लेह-कारगिल के जिलों को मिलाकर लद्दाख को UT without legislature बनाया गया है। इन दोनों यूटीज़ का देश के साथ complete integration हो गया है। यहाँ पर one constitution, one nation के साथ holistic development और public welfare को हर लेवल पर insure किया जा रहा है। आज इस बिल में अमेंडमेंट के द्वारा जम्मू-कश्मीर कैडर और AGMUT कैडर का मर्जर भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आर्टिकल 370 के abrogation की वजह से सभी constitutional ambiguities हट गई हैं। आज जम्मू-कश्मीर में लगभग 170 सेंट्रल लॉज़ का implementation हो रहा है, जो पहले धारा-370 के कारण नहीं होता था। आज जम्मू-कश्मीर में पार्लियामेंट के सभी निर्णय और Centrally-sponsored schemes का भी implementation हो रहा है। इसके अतिरिक्त, वहाँ डेवलपमेंट और social uplift के प्रोजेक्ट्स भी execute किए जा रहे हैं।

इन laws के smooth implementation के लिए, स्कीम्स को अमल में लाने के लिए और प्रोजेक्ट्स के effective execution के लिए cadre की better strength और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस रखने वाले ऑफिसर्स बहुत जरूरी हैं। जम्मू-कश्मीर और AGMUT cadre के merger के proposal से हम जम्मू-कश्मीर यूनियन टेरिटरी में AGMUT cadre के माध्यम से All India Services के अधिकारियों की सेवा ले सकते हैं और इससे वहाँ अधिकारियों की संख्या भी बढ़ेगी। इसके साथ ही, जम्मू-कश्मीर यूनियन टेरिटरी के डेवलपमेंट के लिए ऐसे अधिकारी भी उपलब्ध होंगे, जिन्हें U.T. Administration का अनुभव हो। जम्मू-कश्मीर कैडर के अधिकारियों को ऑल इंडिया लेवल पर तथा अन्य यूनियन टेरिटरी में काम करने से better exposure और नये-नये experiences मिलेंगे। महोदय, मैं आपके द्वारा सभी माननीय सदस्यों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग unanimously इस बिल के प्रस्ताव का समर्थन कीजिए। यह जम्मू-कश्मीर के विकास में और तेजी से आगे बढ़ने और विकास के रास्ते पर जाने में उपयोगी होगा, इसलिए मैं आप सब लोगों से इसके समर्थन के लिए अनुरोध करना चाहता हूँ।

श्री सभापति : धन्यवाद, मंत्री जी। I shall now put the Statutory Resolution moved by Shri Elamaram Kareem to vote. He is absent. However, I shall put the question to vote.

The question is:

"That this House disapproves the Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Ordinance, 2021 (No.1 of 2021) promulgated by the President of India on 7th January, 2021."

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the motion moved by the Minister, to vote.

The question is:

"That the Bill to amend the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: We shall now take up Clause-by-Clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 4 were added to the Bill. Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: Now, the Minister.

SHRI G. KISHAN REDDY: Sir, I move:

"That the Bill be passed."

The question was put and the motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: Before adjourning the House, I wish to say that we would be taking up tomorrow the Farewell Address of some of the hon. Members who will be completing their tenure, including the Leader of the Opposition. We will first take that up and then go to other issues listed on the Agenda.

The House stands adjourned till 9.00 a.m. on Tuesday, the 9<sup>th</sup> February, 2021.

The House then adjourned at fifty minutes past one of the clock till nine of the clock on Tuesday, the 9<sup>th</sup> February, 2021.

PUBLISHED UNDER RULE 260 OF RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN THE COUNCIL OF STATES (RAJYA SABHA)